राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६७ का २९वां दिवस [संख्या १२

बुधवार, दिनांक ३१ मई, १९६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त-शासन, सिंचाई, जन-स्वास्थ्य, विद्युत्, समाज-कल्याण, शिक्षा, आबकारी, वित्त एवम् वन विभाग]।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया !

जयपुर से झोटवाड़ा सड़क पर बिजली की व्यवस्था

१२८. **श्री लादूराम सुलाणियां (फागी) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(१) क्या यह सही है कि जयपुर से झोटवाड़ा पश्चिम की सड़क जो नला अमानीशा से आगे झोटवाड़ा पंचायत समिति कार्यालय जाती है उस पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध नहीं होने के कारण जन-साधारण को काफी परेशानी रहती है ?

(२) क्या यह सही है कि विकास समिति, झोटवाड़ा की दरख्वास्त पर बिजली की बत्तियां लगाने की मंजूरी कलेक्टर, जयपुर ने १९६६ में नगरपालिका और विद्युत् विभाग को दी थी ?

(३) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा की जनता द्वारा भी इस सम्बन्ध में दरख्वास्तें दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) क्या इस सड़क पर सन् १९६७ में बिजली लगाने की कोई योजना है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) बिजली की रोशनी का प्रबन्ध नहीं है।

(२) जी नहीं।

(३) झोटवाड़ा विकास अधिकारी तथा व्यापार उद्योग-मण्डल के तेरह पत्र प्राप्त हुए हैं।

(४) अभी तक कोई स्वीकृत योजना नगरपालिका के पास नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस टुकड़े पर बत्तियां नहीं लगाई जायं, ऐसी योजना है क्या ? ऐसा कहा जा रहा है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसी बात तो नहीं है।

(अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : माइक खराब है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : शहर के परकोटे के बाहर जो लाइन्स लगाई जाती हैं, वह काम या तो निर्माण विभाग द्वारा या नगर विकास मण्डल द्वारा किया जाता है। विद्युत्-मण्डल से भी निवेदन किया गया था। जो नगर के बाहर बत्तियां लगाने का कार्य है उनका खर्चा सरकार देती है। इस वजह से देरी लगी है। अब तय करके शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री लादूराम मुलाणिया : मंत्री महोदय की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि यह टुकड़ा नगरपालिका की सीमा के अन्दर है। दूसरी बात तारीख २८-४-६६ को नगरपालिका ने लिख दिया है कि हम बत्तियां लगा रहे हैं। मैं पत्र संख्या दे सकता हूं। वह विद्युत्-मण्डल को बार-बार लिख रही है कि खर्चा हम देंगे, नगरपालिका की सीमा में है। बत्तियां लगाना इसलिये जरूरी है कि इस सड़क पर दो-तीन नले पड़ते है। सूर्यास्त होने के बाद कई दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हाल ही में एक ऊंट जाकर उसमें गिरा और मर गया। कई दुर्घटनाएं होती हैं। यह फैक्ट्री रोड है, २४ घन्टे सड़क चालू रहती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि शहर के परकोटे के बाहर जो लाइन्स लगाई जाती हैं, वे या तो निर्माण विभाग द्वारा या नगर विकास मंडल द्वारा लगाई जाती हैं। इस बारे में जो लिखा-पढ़ी हुई उसमें नगर विकास परिषद् ने कहा कि यह हमारी स्कीम में नहीं है, इसलिये कार्य आगे नहीं बढ़ सका। अब केवल बत्तियां लगाना लोकल-सेल्फ गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है और बाकी दूसरे कार्य पी० डब्ल्यू० डी० और इनके जिम्मे हैं। सारी कार्यवाही हो जाय, तब सारी स्कीम पूरी हो सकती है।

श्री लादूराम मुलाणिया : निर्माण विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होता है। यह सारा नगरपालिका और विद्युत् विभाग के बीच का मसला है। छोटी सी बात है। एण्ड में बत्ती लगी हुई है नगरपालिका को और लेबर कॉलोनी तक लगी हुई है और रेल फाटक तक लगी हुई है। सिर्फ बीच के टुकड़े में नहीं लगी हुई है, तो क्या मंत्री महोदय इनको जल्दी करायेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्नकर्ता का आशय है कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराई जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

काली सिंध नदी से लिफ्ट द्वारा सिंचाई

१२९. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सलोनिया, तहसील सांगोद में काली सिंध नदी से लिफ्ट द्वारा सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और वहां से करीब चार गांवों की जमीनों पर पानी फेरा जा सकता है ?

(२) क्या सरकार उपरोक्त योजना का सर्वेक्षण करके उसे कार्यान्वित करने का इन्तजाम करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) उक्त लिफ्ट योजना का सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया। इस कारण कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(श्री मनफूलसिंह)

(२) जी हां।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न है कि....

एक माननीय सदस्य : आवाज साफ नहीं है।

श्री जुझारसिंह : क्या उक्त गांवों में लिफ्ट द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी आवाज साफ नहीं है।

श्री मनफूलसिंह : सर्वेक्षण के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री जुझारसिंह : उक्त गांवों में सर्वे हुआ या नहीं, इतना तो मालूम कर लिया होगा कि उन गांवों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह :- सर्वेक्षण के लिये आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

हिण्डौन के लिये जल-योजना

१३०. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि हिण्डौन शहर में वर्षा के अभाव के कारण कई वर्षों से जल-संकट चला आ रहा है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस जल-संकट को मिटाने के लिए हिण्डौन के लिये नल-योजना स्वीकार हो चुकी है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस साल तालाब व कुओं का पानी सूख जाने के कारण अधिक संकट उत्पन्न हो गया है ?

(४) यदि हां, तो सरकार कब तक नल-योजना के कार्य को शुरू करा रही है ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(४) नल-योजना जिसकी अनुमानित लागत ६,१३,७०० रु० है, बनाई जा चुकी है, किन्तु धनराशि प्राप्त होने पर कार्य हाथ में लिया जायगा।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि इस योजना का शिलान्यास कर दिया गया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : शिलान्यास तो कई स्थानों पर कर दिए गए हैं, परन्तु कुछ योजनायें अभी धनाभाव के कारण नहीं ली जा रही हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जैसे आपने मेरे प्रश्न संख्या १ के उत्तर में कहा कि 'जी हां', तो जब आप इस बात को महसूस करते हैं कि वहां पर जल-संकट है और कई वर्षों से है तो क्या कारण है कि अभी तक यह योजना इतनी देरी से चल रही है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एल. आई. सी. से लोन आने पर इसको कन्सीडर किया जायगा। आप जानते हैं कि जल-संकट कई जगह पर है। उनकी विशेष परिस्थितियां हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जब कर्जा आएगा कार्यवाही की जायगी। पहले योजना बनी थी वह.......

श्री अध्यक्ष : अर्थाभाव आपने बता दिया।

श्री श्रवणलाल : आपने जो नल-योजना स्वीकार की है वह कब की है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : लास्ट ईयर की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तो क्या आपके उत्तर से यह माना जाय कि जब तक एल. आई. सी. से पैसा नहीं आएगा, तब तक राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी स्थान पर जल-योजना का काम प्रारम्भ नहीं किया जाएगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसा तो नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : या तो सरकार कहे कि जब तक एल. आई. सी. का लोन नहीं मिलेगा कहीं पर भी नल-योजना प्रारम्भ नहीं की जायगी, यूनिफॉर्म पॉलिसी राजस्थान भर में लागू की जायगी। बाकी यह तो कोई कारण नहीं कि क्योंकि एल. आई. सी. से लोन नहीं मिला है इसलिए हिंडौन में नल-योजना प्रारम्भ नहीं की जा रही है। यह तो केवल बहाना मात्र है। आप तो पॉलिसी बतायें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करूँ कि एल. आई. सी. से लोन प्राप्त करने आदि के लिए नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव पास किया जाकर जो कार्यवाही होनी थी, यह भी पूरी नहीं हो पाई। अब की जा रही है और लोन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं केवल पॉलिसी की बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि एल. आई. सी. से लोन नहीं मिला इसलिये हिन्डौन में जल-योजना का काम प्रारम्भ नहीं हो सका। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है या क्या राज्य सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि जब तक एल. आई. सी. का लोन नहीं मिलता है तब तक राजस्थान में कहीं पर भी जल-योजना का काम नये रूप से प्रारम्भ नहीं किया जावेगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसी मंशा नहीं है। एल. आई. सी. से लोन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है और लोन प्राप्त होगा तब ही कार्य प्रारम्भ होकर पूर्ण हो सकेगा।

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि मुख्य मन्त्रीजी ने जब इस योजना का शिलान्यास किया था तो उस समय क्या यह जनता को आश्वासन नहीं दिया था कि चुनावों में ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने बेसिक प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : राजस्थान सरकार म्युनिसिपैलिटीज़ की वाटर वर्क्स स्कीम के लिये एल. आई. सी. से लोन एग्रीमेन्ट करा लेती है। इस विषय में एग्रीमेन्ट कर लिया गया है। हिन्डौन भी इस सारी योजना में शामिल है। म्युनिसिपैलिटीज़ को ही यह लोन मिलता है। गवर्नमेण्ट की गारन्टी स्टेन्ड कराके लोन दिला देती है और उस एग्रीमेन्ट के आधार पर योजनायें पूरी की जाती हैं। एग्रीमेन्ट लोन के लिये हो चुका है। लोन को एल. आई. सी. से डिलीवरी लेनी है।

(श्री मथुरादास माथुर)
दो करोड़ का लोन है, उसमें सारी योजनायें हैं और उनमें से हिन्डौन भी एक है।

श्री जसराज (भिनाय) : मंत्री महोदय ने कहा कि उसका उद्‌घाटन तो कर दिया गया है, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे........

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने यह निवेदन किया कि उद्‌घाटन कई जगह किये गये हैं।

श्री जसराज : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि उद्‌घाटन करने से पूर्व मंत्री महोदय इन सारी परिस्थितियों पर पहले सोच लें।

श्री मथुरादास माथुर : एल. आई. सी. से लोन के लिये कम्युनिकेट करने के बाद में एग्रीमेन्ट कर लिया गया और उसके बाद ही उद्‌घाटन किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शिलान्यास कई जगह हुए हैं ऐसा अभी मंत्री महोदय ने कहा। काम प्रारम्भ करने के कुछ ही समय पहले शिलान्यास होने चाहियें। क्या सरकार ने यह नीति बना ली है कि शिलान्यास होते रहें और काम वर्षों तक स्थगित होकर पड़े रहें ? क्या यह ठीक नीति है ? मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जब स्कीम को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल सेंक्शन दे देते हैं तब काम शुरू करने से पहले म्युनिसिपैलिटीज़ और कोई लोग चाहें तो शिलान्यास का प्रोग्राम बनता है। लोकल-सैल्फ मिनिस्टर साहब ने कहा यह उन केसेज पर लागू होता है जिनकी फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन हो चुकी है। लोन फाइनेन्शियल ईयर के एण्ड तक मिल जाना चाहिये वह नहीं मिल पाया इसलिये योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम सवाल है। मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में बताया कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। आप वहां पर पानी एक साल के बाद देंगे लेकिन अभी तक पीने का पानी बड़ी दूर से लाना पड़ता है, लोग काफी परेशान हैं और कुओं में पानी नहीं है .....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

सूचना प्राप्त करली जाय।

नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

जयपुर नगर में सैनिकों को प्लॉट्स का आवण्टन

१३१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या नगर-विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में नई बस्तियों की स्कीमें बनाई गई हैं उनमें सैनिकों के लिये १५ प्रतिशत प्लॉट्स रिजर्व्ड रखे गये हैं ?

(२) यदि हां, तो कितने व कौनसी बस्तियों में कितने प्लॉट्स सैनिकों को अब तक एलॉट किये गये हैं ?

(३) एलॉट किये हुए प्लॉट्स बस्ती के कुल प्लॉट्स का कितना प्रतिशत है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(४) यदि अभी तक १५ प्रतिशत प्लॉट्स सैनिकों को नहीं दिये गये तो किन कारणों से ?

नगर-विकास न्यास मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) उत्तर एक के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(४) उत्तर (१) के अनुसार प्रश्न नहीं उठता। नई योजनायें बनने पर इसका प्रावधान किया जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जी ! सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणसिंह मसूदा : नई योजनायें बनने पर इसका प्रावधान किया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह प्रश्न उठता है। सरकार ने आज्ञा निकाली है। १५ पर्सेन्ट एडहॉक एलॉटमेन्ट किया जावेगा। आप इसको देख लीजिये कि कहीं दूसरा सवाल तो नहीं आ गया है आपके उत्तर देने में।

श्री नारायणसिंह मसूदा : २९-१०-६६ को यह निर्णय लिया गया था उसके बाद में एलॉटमेन्ट नहीं हुआ। उसके पहले हुआ है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अब तक कितने प्लॉट्स एलॉट हुए हैं ?

(कोई उत्तर प्राप्त न होने पर)

मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊँ कि १४८ प्लॉट्स एलॉट हो चुके हैं। आप इसको ठीक प्रकार से मुलाहिजा कीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : २९-१०-६६ के बाद कोई ऐसी आज्ञा नहीं हुई है। उसके पहले अर्जुनलाल सेठी नगर में ५०, अंबाबाड़ी योजना के अन्तर्गत २५, बनी पार्क विस्तार योजना में ५०। इस प्रकार यह एलॉटमेन्ट पहले हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्ता।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : नीति यह नहीं है।

श्री मदनसिंह : सवाल पूछा है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता। ऑर्डर प्लीज !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं यह जानना चाहती हूं कि जब सरकार ने १५ पर्सेन्ट प्लॉट्स सैनिकों को देने के लिये आदेश निकाले तो उसके अनुसार कार्यवाही की या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : २९-१०-६६ को यह ऑर्डर निकाला गया था। उसके बाद वह किया गया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उसके बाद एलॉटमेन्ट हुए या नहीं ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : इन परसुएन्स ऑफ दी आॅर्डर एलॉटमेन्ट हुए या नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : १४८ प्लॉट्स एलॉट हो चुके हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उस आॅर्डर के पहले हुए हैं जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया।

श्री रोशनलाल शर्मा : १५ परसेन्ट की आपने जो नीति बनायी उस पर सरकार अमल क्यों नहीं कर रही है ? सरकार की यह नीति है कि रिटायर्ड आदमियों को प्लॉट्स दिये जावेंगे, फिर सरकार उस नीति पर अमल क्यों नहीं कर रही है ?

श्री मदनसिंह : मैं बताऊं मंत्री महोदय ....

श्री अध्यक्ष : इसका तो जवाब देने दीजिये। मंत्री महोदय !

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में कार्यवाही की जायगी।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या कार्यवाही की जायगी ? नीति पर क्यों नहीं अमल करते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ ! श्री रावत !

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, २८४ दरख्वास्तें थीं। ५३ को एलॉट हुए। सेठी साहब का नाम लेकर आपने फरमाया वे प्लॉट्स तो केन्सिल हो गये। अम्बा-वाड़ी में कुछ प्लॉट्स का हिस्सा रखा गया। उसमें १० प्लॉट्स हैं। नाम सबके दिये हैं लेकिन एक पर भी कब्जा नहीं दिया है। उसमें कुछ मुसलमान बस्तियां हैं। बीच में एक डोरी रोप दी है। जितने अफसरों को प्लॉट्स मिले हैं उन पर कब्जा नहीं हुआ है। बनी-पार्क के प्लाट्स हैं उन पर कब्जा नहीं हुआ है। प्लॉट्स मिले हैं उनको जिनके यहां पर बड़े-बड़े हाउसेज हैं, प्लॉट्स मिले हैं उनको जो बड़े-बड़े आॅफिसर्स हैं, प्लॉट्स मिले हैं उनको जो बाहर से आये हैं। इनमें से केवल जवानों को ६ प्लॉट्स मिले हैं। मेरे पास सब का रिकार्ड है।

अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी साहब खड़े थे। मैं खड़ा हुआ था तो कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। यह सदन का सदस्य ताकत रखता है .....

श्री अध्यक्ष : नो, नो। ऐसा रेफरेन्स मत दीजिये। प्रश्न पर चलिये।

श्री मदनसिंह : सोल्जर्स बोर्ड के पास गये। सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी को न दे कर कितने ही दूसरों को दे दिया, जिनकी सिफारिशें चलती हैं, घर वालों के नाम देकर उनको दे दिया। प्लॉट्स पर नम्बरिंग नहीं है। नाम दे दिये कब्जा कर लीजिये। मंत्री महोदय खुद अन्धेरे में हैं। सेक्रेटरी साहब खुद सही रूप से बात नहीं बताते।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर में इनके कितने प्लॉट्स बने हैं ? क्या जमीन उनको नहीं दी गई जिनके पास जयपुर में जमीन थी ? उन्होंने सरकार को धोखा देकर कहीं जमीन नहीं ली ? (विराम) इस प्रकार से लोगों ने प्लॉट्स लिये हैं। वास्तविक मेरिट में आते हैं उनको प्लॉट्स नहीं दिये गये।

श्री मदनसिंह : माननीय सदस्य को पूरा पता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जिन्होंने धोखा देकर प्लॉट्स लिये उनके केन्सिल किये जायें।

Page No.8

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय की ओर देख कर) कुछ कहना है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह जो कह रहे हैं उसकी जांच करायी जायगी। १५ पर्सेन्ट रिजर्वेशन के लिये आदेश हैं उनको इम्प्लीमेन्ट किया जावेगा और इसमें यह भी निवेदन कर दूं कि १४८ प्लॉट्स एलॉट किये जा चुके हैं।

श्री मदनसिंह : अभी आपने जगह बतायी आगरा रोड पर, वहां तो है ही नहीं। That scheme has been scraped.

श्री नारायणसिंह मसूदा : अर्जुनलाल सेठी नगर के लिये कह रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जयपुर के अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वहां पर भी योजनायें बनी हुई हैं, क्या वहां पर भी प्लॉट्स दिये जावेंगे ?...

श्री मदनसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरे मूलभूत प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला है। प्लॉट्स बनाये तो है, लेकिन नगर-विकास न्यास नीति को अमल में ला रहा है या नहीं इसका जवाब मुझे दिया जाय। अमल में नहीं ला रहा है तो क्यों नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : स्कीम्स का जिक्र अभी किया गया। इसमें १५० प्लॉट्स कुल निकाले गये थे। वह होम मिनिस्ट्री को एलॉटमेंट होने से अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने उनको दे दिये। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि अमीरों को प्लॉट्स दे दिये, बड़े-बड़े ऑफिसर्स को दे दिये। इस मामले की छानबीन कर सकते हैं। लेकिन १४८ प्लॉट्स एलॉट हो चुके है इसमें कोई शक नहीं है।

श्री मदनसिंह : एलॉट हो जाने के ऑर्डर से क्या एलॉट हो गये ? क्या कब्ज़ा हो गया ? क्या किसी की जमीन में जाकर घुस जायं जबरदस्ती ? मंत्री महोदय, आपने पूरा अध्ययन नहीं किया है। आप इसका पहले पूरा अध्ययन करें। एक्स-सर्विसमेन को जयपुर में प्लॉट्स दिये गये हैं तो मंत्री महोदय बतायें।

श्री मथुरादास माथुर : १५० प्लॉट्स दिये गये हैं।

श्री मदनसिंह : सैनिकों का यह प्रश्न है। एक्स-सर्विसमेन को एक प्लॉट नहीं दिया गया है। मैं शर्त लगा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह सैनिकों का प्रश्न है। माननीय सदस्यों के द्वारा सारे प्रश्न पूछे गये हैं और इसके पीछे जो कुछ भी मेटीरियल है उसका सारा स्पष्टीकरण सदन की मेज पर रखदें ताकि माननीय सदस्यों को स्पष्ट हो जाय।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री माधोसिंह !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब वक्तव्य दे या स्टेटमेन्ट हाउस की टेबिल पर रख दे और साथ में ये फेक्ट्स भी हाउस को बतायें कि १५० प्लॉट्स सैनिकों को दिये हैं, जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा, उनमें से कितने आदमी ऐसे हैं कि जिनको उन प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन या टाइटल वगैरह मिल गया है, उनको उनका

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पजेशन दे दिया गया है और कितनों को नहीं दिया गया है? एक्स-सर्विस सोल्जर्स को कितने प्लॉट्स दिये हैं और कितनों के मामले पेन्डिंग हैं। राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के लोग हैं उन्होंने राजस्थान-पाक सीमा पर अच्छा काम किया है और जिनकी काफी सराहना की गई है ऐसे लोगों को भी प्लॉट्स एलॉट करने के बारे में विचार करें। केवल मिलिटरी वालों को ही न दिये जायं, किन्तु आर. ए. सी. के लोग भी बहुत बहादुरी का काम करते हैं, उनको प्लॉट्स एलॉट न करें यह एक शर्म की बात है। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। अतः मंत्री महोदय आर. ए. सी. के लोगों को प्लॉट्स एलॉट करेंगे इस विषय में भी एक विस्तृत बयान सदन में पेश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

एक माननीय सदस्य : एक महत्व-पूर्ण सवाल है अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी बहस हो चुकी है इस पर।

श्री माधोसिंह!

तहसील आहोर के ग्रामों में बिजली की सप्लाई

१३२. श्री माधोसिंह (आहोर) : क्या विद्युत् मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला जालौर, तहसील आहोर के गांव डोडीयाली में जो बिजली लगाई गई है उस गांव की आबादी क्या है? और वहां पर कितने कुओं पर बिजली लगाई गई है और कितने मकानों में लगाई गई है?

(२) क्या यह सही है कि गांव डोडीयाली की सीमा में हरियाली नाम का एक १५० घर का कस्बा है जिसमें ५० कुए हैं वहां बिजली नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों नहीं?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) ग्राम डोडीयाली, तहसील आहोर, जिला जालौर की आबादी १९६१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ८८२ है। इस गांव का विद्युतिकरण २८-२-६७ को किया गया था।

(व्यवधान)

कुछ कुओं को बिजली देने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनको बिजली देने की कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

(२) डोडीयाली से लगभग ६ किलोमीटर पर हरियाली कस्बा है जिसकी आबादी करीब-करीब सात-आठ सौ की है। हरियाली में करीब ५० कुए हैं। हरियाली किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं था इसलिये बिजली नहीं दी गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

श्री माधोसिंह : जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें अलग-अलग गांव हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह यह है।

श्री माधोसिंह : क्या मंत्री महोदय चीफ इन्जीनियर से जांच कराने के लिये तैयार हैं कि वहां पर कोई कुआ नहीं है?

श्री हरिदेव जोशी : हरियाली में ५० कुए हैं।

श्री माधोसिंह : डोडीयाली में नहीं हैं। क्या चीफ इन्जीनियर से जांच कराने के लिये तैयार हैं?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री बिट्ठल !

पीपलखूंट क्षेत्र में छात्रावास

१३३. **श्री बिट्ठल** (पीपलखूंट) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा को पंचायत समिति, पीपलखूंट क्षेत्र में अभी तक एक भी छात्रावास नहीं खोला गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र माना गया है ?

(३) यदि हां, तो क्या उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में छात्रावास खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) वित्तीय अभाव के कारण प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है।

श्री बिट्ठल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है। उस क्षेत्र में कम से कम सारी पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी छात्रावास नहीं खोला गया है अभी तक। वहां पर कम से कम बीस मील की दूरी पर वहां आदिवासियों के लड़के प्राइमरी स्कूल से निकल कर या मिडिल स्कूल से निकल कर आगे जाकर छात्रावास नहीं होने से पढ़ नहीं सकते तो क्या छात्रावास वहां खोलने का विचार है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करूं कि जिला बांसवाड़ा में ९ राजकीय और ११ स्वयंसेवी होस्टल्स चल रहे हैं उन सब की तादाद को देखते हुए मुझे आश्चर्य होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रावासों की व्यवस्था यह है कि मेरे खयाल में कोई सिद्धांत और नीति के आधार पर आधारित नहीं हैं। डूंगरपुर जिले में आदिवासी क्षेत्र में कहीं ५, कहीं ४, कहीं ६। खैर, उसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन पीपलखूंट भी एक आदिवासी क्षेत्र है जहां ८० प्रतिशत बस्ती शायद आदिवासियों की है........

श्री बिट्ठल : ९९ पर्सेन्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और ऐसी स्थिति के अन्दर वह एक विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र भी है और वहां पर एक भी आदिवासी छात्रावास न होना मेरे खयाल में आश्चर्यजनक है। एक ही कारण मैं बता सकता हूं कि वहां कांग्रेस विजयी नहीं हो पाती है, आदिवासी क्षेत्र होने के उपरान्त भी छात्रावास आप वहां नहीं खोलते हैं। नीति और सिद्धान्त को लेकर हर एक आदिवासी क्षेत्र में कम से कम एक छात्रावास अवश्यमेव आपको खोलना चाहिये, यह मेरा निवेदन है और मंत्री महोदय अर्थ के अभाव के कारण यह बहाना करते हैं कि अर्थाभाव के कारण वहां पर छात्रावास नहीं खोले जाते हैं। यह मेरे खयाल में संतोषजनक उतर नहीं है। मंत्री महोदय को मैं फिर से यह निवेदन करूंगा कि पीपलखूंट में कम से कम एक आदिवासी छात्रावास अवश्यमेव सिद्धान्ततः आपको खोलना आवश्यक है।

Page No.11

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर दूं कि नीति यह है कि आवास, आबादी और शिक्षा स्तर। यह कभी संभव नहीं है कि प्रत्येक गांव में छात्रावास खोला जाय। यह हो जाय तो अच्छा है लेकिन एक तरफ टैक्सेशन का रिडक्शन चाहते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा को प्रत्येक गांव में फैलाना चाहते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि प्रत्येक गांव में छात्रावास खोले जायं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा प्रश्न था उसको मंत्री महोदय समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि प्रत्येक गांव में आप छात्रावास खोलें। मैंने केवल-मात्र यह निवेदन किया है कि एक विधानसभाई क्षेत्र में एक छात्रावास होना चाहिये। एक विधानसभाई क्षेत्र में ६ छात्रावास खोल रहे हैं और दूसरे में एक भी नहीं है। Discrimination is thy name the Government of Rajastban.

आपसे जनता की जो सीधी-सादी मांग है, जो एक उचित मांग है एक छात्रावास की, आप इसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो मुझे आश्चर्य है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस समय बांसवाड़ा का प्रश्न है जिसके लिये मैंने बता ही दिया है कि छात्रावास दोनों प्रकार से चल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या मंत्री महोदय इस बात के लिये तैयार हैं कि डूंगरपुर में जो पांच-सात छात्रावास चल रहे हैं उनमें से बदल कर एक पीपलखूंट में कर दिया जाय ?

श्री बिट्ठल : बांसवाड़ा में जो छात्रावास चल रहे हैं...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)
(अश्रव्य) (व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !! ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री बिट्ठल : जब-जब चुनाव होते हैं लोगों से कहा जाता है कि तुम कांग्रेस को वोट दो तो तुम्हारे यहां छात्रावास खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(शोरगुल) (अश्रव्य)

नेक्स्ट क्वैश्चन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक प्रश्न का जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट क्वैश्चन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इसी से रिलेवेन्ट एक क्वैश्चन है। यह जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट है, क्या उसमें यह सिफारिश नहीं की है कि किसी तरह से भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आबादी एरिया में छात्रावास खोलते समय और जनसंख्या के अलावा वहां के निवासियों की दूरी की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जावे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : क्या कहा ?

श्री रामकिशन : क्या यह सही नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट में यह है कि लोगों के रहने की दूरी की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जावे ?

मुश्किल तो यह है कि कोई पढ़ता ही नहीं है। मेरा मतलब आपसे नहीं है ि

(श्री रामकिशन)
आप पढ़ते नहीं हैं, बल्कि आपका डिपार्टमेंट पढ़ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह रिलेवेन्ट सवाल है। आपने यह कहा है कि संख्या कम है छात्रों की तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट में इस बारे में सिफारिश की गई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आबादी और शिक्षा की सुविधा का प्रश्न नहीं है।

इस विषय में...

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो भी चीज देखना आवश्यक होता है वह सब देखी जाती है और माननीय सदस्यों के जो विभिन्न प्रकार के सुझाव आ रहे हैं उनके अनुसार व्यवस्था कर दी जायगी। उस रिपोर्ट के अनुसार जो भी रद्दोबदल की जा सकती है वह भी करने का प्रयास किया जायगा। आज इस प्रश्न के साथ इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में आगे विचार कर लिया जावेगा।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)
(अश्रव्य) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : **ऑर्डर ! ऑर्डर !!**

श्री भगवानदास !

(श्री लादूराम ने कुछ कहा जो अश्रव्य रहा) (शोरगुल)

प्राइमरी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लिया जाना

१३४. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार प्राइमरी स्कूलों को वापिस शिक्षा विभाग के अधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की योजना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब ये शिक्षा विभाग के अन्तर्गत थे तो आप खर्चा पूरा कर रहे थे और अब यह शिक्षा विभाग से पंचायत समितियों में चले गये हैं तो इससे आपने को कितनी धनराशि का फायदा हुआ, कितनी धनराशि बची ?

श्री बरकतुल्ला खां : सवाल यह था कि क्या सरकार स्कूलों को पंचायतों से वापिस लेना चाहती है ? मैंने उसका जवाब दिया— जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर नहीं लेना चाहती है तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्यों नहीं लेना चाहती है ? प्रश्न यह है कि पहले ये स्कूलें शिक्षा विभाग के अन्तर्गत थीं जिन्हें बाद में पंचायत समितियों के सुपुर्द कर दिया गया, उसके पहले ये नगरपालिकाओं के पास थीं ना ? तो आपने उनको वापिस क्यों नहीं लिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : नगरपालिकाओं में शायद चार-पांच नगरपालिकाएं हैं—बूंदी, बीकानेर, गंगानगर और एकाध कोई और

(श्री बरकतुल्ला खां)
जिनके पास प्राइमरी स्कूल्स थीं। अजमेर के पास नहीं थीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरलाल!

श्री भगवानदास शास्त्री : नहीं अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा विभाग का प्रश्न है और बच्चों के जीवन से सम्बन्धित है। मुझे प्रश्न जो पूछना है और मैं आपसे भी यह प्रार्थना करता हूं कि मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जबसे ये प्राइमरी स्कूल्स आपने पंचायत समितियों को सुपुर्द किए हैं तो इन दोनों के बाद बच्चों की पढ़ाई में कौनसा सुधार किया गया है?

श्री बरकतुल्ला खां : बच्चों की शिक्षा का जो सवाल कर रहे हैं तो यह तो गवर्नमेन्ट की पॉलिसी का सवाल है। आपने अभी जो प्रश्न किया उसका गवर्नमेन्ट ने यह जवाब दिया कि गवर्नमेन्ट प्राइमरी एज्यूकेशन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है। गवर्नमेन्ट के इस जवाब का आधार यह है कि गवर्नमेन्ट ने इस बारे में दो कमेटियां बैठाई थीं। एक तो सादिकअली कमेटी थी जिसने यह निर्णय दिया कि प्राइमरी एज्यूकेशन पंचायतराज के हाथ में होनी चाहिए। इसके बाद जो नाईक कमेटी बैठी उसने भी अपनी यही रिपोर्ट दी। दोनों कमेटियों की ही यह सिफारिश रही कि पंचायतराज को प्राइमरी शिक्षा का काम दे देना ठीक कदम है और इसको वापिस नहीं लेना चाहिए।

श्री भगवानदास शास्त्री : पंचायत समितियों के हाथ में प्राइमरी स्कूल्स का काम दे देने से आप यह समझते हैं कि ये घर की खिचड़ी बना रहे हैं। क्या वहां पर कुछ कानून और कायदे के माफिक काम हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायत समितियों में से विकास अधिकारियों के पद समाप्त कर दिए गए हैं और इनको प्योर्ली एग्रीकल्चर बेस्ड बना दिया गया है तो क्या इस बदली हुई स्थिति में सरकार उचित समझती है कि शिक्षा को पंचायत समितियों से ले लिया जाय?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो पॉलिसी स्टेटमेन्ट होगा जो प्रश्नों में नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : This is a Policy Statement. नेक्स्ट। श्री हरलालसिंह!

जिला सीकर के ग्रामों में कृषकों को बिजली की सप्लाई

१३५. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयतुसर ग्राम, जिला सीकर के नाम से ६ कृषकों के कुओं पर सन् १९६६-६७ में बिजली देने की योजना ५ माह पूर्व स्वीकृत हुई थी और उसके तहत ६ कृषकों ने ४ माह पूर्व नियमानुसार सिक्योरिटी भी जमा करा दी थी लेकिन उनका कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है जबकि बिजली बोर्ड का ऐसा नियम है कि सिक्योरिटी जमा होने के तीन माह के अन्दर-अन्दर कृषकों को कनेक्शन मिल जाने चाहियें?

(२) यदि हां, तो कृषकों को हो रही हानि का जिम्मेवार कौन है व उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है? यदि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो क्यों?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी हां। ९ कृषकों में से ७ ने ही सिक्योरिटी जमा कराई। इस वजह से इन कुओं का नियमानुसार विद्युतिकरण नहीं किया जा सका।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया है कि सिक्योरिटी जमा नहीं कराई तो मैं इस बात को चेलेंज करता हूं और आप चाहें तो रजिस्टर नम्बर और नाम बता सकता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : साफ नहीं सुनाई दिया।

श्री अध्यक्ष : वह चेलेंज कर रहे हैं आपकी इस बात को कि रुपया जमा नहीं कराया गया, आप इसकी इन्क्वायरी करा लें फिर से।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जांच करवा लूंगा। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार जो किसान पहले ही पड़ते हैं उन्होंने रुपया जमा नहीं कराया है। अगर वे रुपया जमा करा देते हैं तो इसी वर्ष की स्कीम के अन्दर उस काम को ले लिया जाएगा।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने २०-१-६७ को रुपया जमा करा दिया है और उनके नम्बर मेरे पास हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपको बतला देता हूं जिन लोगों ने रुपया जमा नहीं कराया है, एक है रिछपा तीतलराम और दूसरा है जूयाराम चूयाराम। इन दो व्यक्तियों ने जो पहले ही पड़ते हैं इन्होंने रुपया जमा नहीं कराया है। अगर ये रुपया जमा करा देते हैं तो तुरन्त बिजली दे दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने जमा करा दिया है उनका क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि करेंट ईयर में यह रकम देवे की है। जब तक आगे के लोग रुपया जमा नहीं कराते हमारे लिए डिफिकल्टी यह है कि उनको छोड़ कर दूसरे कुओं पर आगे कैसे बढ़ जायं। इसलिए ज़रूरी यह है कि जो पहले पड़ते हैं वे रुपया जमा करा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो रकम है वह जमा करा दी गई है। नहीं जमा कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर उन्होंने पैसा जमा करा दिया है तो लाइन दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

अंग्रेजी शराब की दुकानों के लाइसेन्स

१३९. **श्री खेतसिंह** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चौथे आम चुनाव से कुछ ही पूर्व उस वक्त की राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अंग्रेजी शराब की दुकानें और बढ़ाई जावें ?

(२) क्या यह भी सही है कि बिना किसी आधार के इन दुकानों के लाइसेन्स मंत्री महोदय ने दिये हैं ?

(श्री खेतसिंह)

(३) लाइसेन्स किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(४) भाग (१) में वर्णित निर्णय के पश्चात् जोधपुर, गंगानगर, जयपुर, टोंक व सवाई माधोपुर में कितने-कितने लाइसेन्स दिये गये हैं ?

(५) भाग (१) में वर्णित निर्णय के पश्चात् जोधपुर व गंगानगर जिलों में किन-किन व्यक्तियों को अंग्रेजी शराब के लाइसेन्स दिये गये हैं ? और उन्हें किस आधार पर ये लाइसेन्स दिये हैं ?

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) लाइसेन्स आवेदक की आयु, आचरण एवं आर्थिक स्थिति को देख कर दिये जाते हैं।

(४) उक्त स्थानों पर सन् ६७-६८ में अभी तक कोई नया लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

(५) किसी भी व्यक्ति को अभी तक कहीं कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसको भी ऑक्शन करने का विचार सरकार रख रही है या लाइसेन्स ही देंगे या ओपन ऑक्शन से देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑक्शन से अगर दे सकते हों तो मेरी कोशिश यही रहेगी। मगर उड़ीसा हाई कोर्ट का अभी जजमेंट हुआ है कि Licenses cannot be auctioned. उसको एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : ऑक्शन करने से आपकी आय बढ़ेगी ?

श्री अध्यक्ष : अभी जजमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह जजमेंट राजस्थान की स्थितियों पर लागू होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं अभी उसको एग्जामिन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो दोनों के समझने की बात है।

प्रश्न संख्या १३७

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : Next question.

बोहेड़ा, बान्सी आदि गांवों को बिजली

१३८. **श्री ललितसिंह** (बड़ी सादड़ी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बोहेड़ा, बान्सी (तहसील बड़ी सादड़ी), निकुम, डूंगला, चिकारड़ा और मंगलवाड़ (तहसील डूंगला) को कब तक बिजली मिलने वाली है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : डूंगला का विद्युतिकरण दिनांक ३०-३-६७ को हो चुका है। सन् १९६७-६८ की योजना अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसलिये यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बाकी गांवों का विद्युतिकरण कब तक होगा।

Page No.16

अजमेर में चुंगी की दरें

१३१. श्री अम्बालाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि अजमेर में चुंगी की दरें राज्य के सब नगरों से अधिक हैं ?

(२) यदि हां, तो इन दरों को कब तक राजस्थान के अन्य नगरों की दरों के समकक्ष किया जायगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बालाल : क्या अजमेर की चुंगी की दरें राजस्थान भर में सबसे अधिक नहीं हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कई जगह से अधिक जरूर है। पर राजस्थान भर से अधिक नहीं हैं।

श्री अम्बालाल : राजस्थान के शहरों की अपेक्षा अजमेर में चुंगी की दरें अधिक हैं यह एक तथ्य है। मैं प्रमाणित कर सकता हूं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : सुना नहीं आपने क्या पूछा है ?

श्री अध्यक्ष : वही प्रश्न दोहरा रहे हैं। राजस्थान के अन्य शहरों की अपेक्षा अजमेर में चुंगी की दरें अधिक हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सबसे ही अधिक हैं, अब यह आप जरूर चाहेंगे कि उसकी भी सूची दे दी जावे तो वह भी मिल सकती है। लेकिन यह जरूर है कि किन्हीं पर अधिक हैं औरों की अपेक्षा। इसलिये हमने एक कमेटी भी बिठाई है कि इन चुंगी की दरों का समानीकरण कैसे किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न साफ पूछा है। राजस्थान में और जगह जो लागू हैं, उन सबसे ज्यादा ऊंची रेटें अजमेर में लागू हैं।

अब आप कहते हैं कि नहीं तो कौनसे ऐसे नगर हैं जिनमें अजमेर से अधिक हैं और किन आइटमों पर हैं यह भी बता दीजिये।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अलग-अलग आइटमों पर अगल-अलग दरें हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह सही है कि जयपुर में जो हैं उनसे ज्यादा हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब यह सही नहीं है, यह सही आ गया है। अभी एक सही बाकी है।

श्री बरकतुल्ला खां : अलग-अलग म्युनिसिपेलिटियों की अलग-अलग आइटमों पर अलग-अलग दरें हैं और उनका अपना तरीका है। जहां तक अजमेर का ताल्लुक है वहां के ज्यादातर आइटम ऐसे हैं जिनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा दरें हैं। पर यह कहना कि अजमेर की हर आइटम पर सबसे ज्यादा चुंगी लगी हुई है सही नहीं है। दूसरी भी हैं जैसे गंगानगर। वहां कुछ आइटमों पर इससे भी ज्यादा हैं।

श्री अम्बालाल : अजमेर की हर आइटम की चुंगी राजस्थान के और नगरों से सबसे ज्यादा है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और दूसरे समान आबादी वाले शहरों से अजमेर की दरें कहीं-कहीं शत-प्रति-शत

(श्री अम्बालाल)

ऊंची हैं। जैसे आयुर्वेदिक औषधियां ही लीजिये। इन पर शत-प्रति-शत ऊंची हैं, अधिक हैं। इसी तरह से सारे आइटमों का कम्पेरिजन मैं आपके सामने पेश कर दूंगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अरसेदराज मे ये लगी हुई हैं और नगरपालिका ने लगाई हैं। उस पर विचार भी चल रहा है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि कुछ आइटमों पर ज्यादा हैं। समानीकरण का जहां तक प्रश्न है, कमेटी बैठी है। वह विचार कर रही है। पर फिर अजमेर के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि इससे सात-आठ लाख का घाटा उसे होगा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : इसके लिए ६४ में एक शिड्यूल तैयार करके भी भेजा था वह अभी तक विभाग से मन्जूर होकर नहीं आया है। तब से अभी तक यहीं पड़ा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह महत्वपूर्ण मामला है। अभी तो मन्त्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि नगरपालिकाएं ही ये कर निर्धारित करती है, वे ही लगाती हैं। अब जब उन्होंने स्वयं शिड्यूल तैयार करके भेज दिया है तो आपने उसे पास क्यों नहीं होने दिया ? सही-सही बात सदन को बताते नहीं हैं। तथ्य छिपाने की कोशिश करते हैं। गलत सूचनाएं सदन को देते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : अजमेर एक अच्छी म्युनिसिपैलिटी है जिस पर कर्जे की रकम बकाया नहीं है। लोगों को वक्त पर तनख्वाह मिलती है। दरें कम होती हैं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। जब-जब सुझाव आये हैं गौर किया गया है। अब इस बात पर भी सोचा जा रहा है कि राजस्थान भर में एक दर कर दी जावे या खुद लोकल-सेल्फ गवर्नमेन्ट को मौका दिया जावे कि खुद जैसा चाहें वैसा बनावें या अगर म्युनिसिपैलिटी कोई कमजोर है तो उसे अच्छी बनाया जावे, न कि अच्छी को खराब।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर की आय अच्छी है तो उसे सब जगह लागू करके सभी को अच्छा कर दीजिये। वहां की आय अच्छी है इसका कारण यह है कि लोग सज्जन हैं वहां के, अपनी इज्जत से डरते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिये अपना पेट काट कर भी दे देते हैं। अन्दर से तो वे दरिद्र हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार नहीं करेगी कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ अमुक-अमुक आइटम की मैक्सिमम और मिनिमम प्रेस्क्राइब कर दें और इसके बीच में नगरपालिकाओं को डिस्क्रिशन दे दिया जावे कि वे अपनी लोकल सहूलियत और परिस्थितियों को देख कर इसके अनुसार तय कर दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : समान चुंगी की दरों के निर्धारण हेतु संचालक की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई है वह इस सब मसले को एग्जामिन करेगी और इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जावेगा। कई नगरपालिकाएं घाटे में पड़ेंगी, तो उनको भी पूछा जावेगा तो एक दम से कुछ तय करने की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : No more question. मेरे पास १५ क्वेश्चन और हैं।

एक माननीय सदस्य : वह रिपोर्ट कब तक आ जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सांचोर में किसान छात्रावास

१४०. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर किसान छात्रावास का रजिस्ट्रेशन काफी अरसे पहिले हो चुका है ? अगर हां तो कब ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि पिछले वर्ष उक्त छात्रावास के लिए ग्रान्ट-इन-एड प्राप्त करने की मांग की गई थी ? अगर हां, तो उसको अनुदान क्यों नहीं दिया गया ? क्या पिछले साल की मांग के अनुसार अनुदान देने का सरकार का विचार है ? अगर हां, तो वह कब तक दिला दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि किसान छात्रावास का भवन भी जीर्णावस्था में है ? अगर हां, तो उसकी मरम्मत शिक्षा विभाग द्वारा कब तक करा दी जावेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हां। माह मार्च, १९६५ में।

(२) पिछले साल अनुदान के लिए दरख्वास्त अगस्त, ६६ में मिली, दरख्वास्त की जांच करने पर उसमें कई खामियां पाई गईं, जिनको पूरा करने के लिये छात्रावास के सेक्रेटरी को लिखा गया था। खामियों को पूरा करके दरख्वास्त आने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(३) जी हां। डाइरेक्टर को बोर्डिंग हाउस की हालत सुधारने के लिये प्रोपोजल्स भेजने को लिख दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खामियां दो साल से दूर नहीं हो रही हैं। सालाना ग्रान्ट-इन-एड के लिये पहले तो चार साल रजिस्ट्रेशन में लगे अब इसमें देर लग रही है और उधर मकान के गिरने की हालत हो रही है। तो इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक हो सकेगा करेंगे। इसलिये डाइरेक्टर को लिखा है।

पडिहारा, तहसील रतनगढ़ में वाटर वर्क्स

१४१. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील के पडिहारा में वाटर वर्क्स का कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरा होगा ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : जी हां, कार्य अधूरा पड़ा है। चूंकि स्कीम में जो कुआ दिया गया था वह पंचायत के आपसी मतभेदों के कारण अभी तक जलप्रदाय विभाग को नहीं दिया गया। अतः कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

उपरोक्त कुए के मिलने व आवश्यक धन-राशि के उपलब्ध होने पर कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जायगा।

श्री लाभचन्द वैद : यह कबसे बन्द पड़ा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से २४-४-६५ को असेसमेन्ट १६५ हजार का आया था। पहले ४२२८ का था।

श्री अध्यक्ष : वे तो केवल इतना पूछ रहे हैं कि कब से अधूरा पड़ा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : काफी अरसे से। इस विषय में कुछ कार्य हो भी चुका है।

श्री लाभचन्द वैद : बन्द कबसे पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष : काफी अरसे से पड़ा है।

श्री लाभचन्द वैद : तारीख ?

श्री अध्यक्ष : ६५-६६ से।

(श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order Sir, I know the method to get you sit down.

श्री अध्यक्ष : Because you have taken a sharp weapon.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न का मुख्य मकसद यह है कि राज्य सरकार से प्रश्नकर्ता इन्फोर्मेशन ले। इस प्रश्न के उत्तर में राजस्थान सरकार ने कह दिया अधूरा पड़ा है। यह भी नहीं बताया कि कब से पड़ा है। बार-बार पूछा तो अध्यक्ष महोदय ने कृपा करके कह दिया कि अरसे-दराज से पड़ा है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की सैंक्शन हो गई। सैंक्शन के कागज भेज दिये पर काम अधूरा पटक दिया। पूरा नहीं किया। अगर यही था तो आपने काम क्यों आरम्भ किया ? अननेसेसरी इन्वेस्टमेन्ट क्यों किया ? और कब से अधूरा पड़ा है ? अगर कुछ अड़चन है तो उसे रिक्वीजीशन क्यों नहीं करते ? काम आपने बिना आगे-पीछे सोचे क्यों तो प्रारम्भ किया और क्यों अधूरा छोड़ दिया ? यह वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर क्यों किया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि अधूरा कुआ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तो, अध्यक्ष महोदय, उनको यह बता दें कि वे कागज हाथ में लेकर माइक की तरफ मुंह करके बोलें। वे माइक की तरफ मुंह करते हैं तो कागज वहां रह जाता है।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल्ड आउट किया है और प्रश्न पूछने की इजाजत दी है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि ६ महीने से वह कुआ अधूरा पड़ा है और आबादी के बढ़ने और घटने आदि सब बातों की वजह से और कुए के नहीं मिलने की वजह से और इसके अलावा जो काम हुआ है उसको पढ़कर सुना देता हूं:—

रिजर्वोयर का निर्माण किया जा चुका है......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब तक कुआ आपने अपने अधिकार में नहीं लिया तब तक यह एक्सपेन्डीचर क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : आप सारा स्पष्टीकरण कर दें कि रिजर्वोयर बन गया और क्या स्थिति है ये सारी बातें।

एक माननीय सदस्य : साहब पढ़ने का समय नहीं मिलता है मन्त्री महोदय को।

श्री अध्यक्ष : (श्री नारायणसिंह मसूदा के द्वारा फाइल देखने पर) I postpone it.

श्री मूलचन्द डागा !

श्री जसराज (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को आदेश देंगे कि आगे से प्रिपेयर होकर आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिदेव जोशी : १४२ आयेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीलाल !

तहसील बहरोड़ के गांवों को बिजली

१४२. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला अलवर की तहसील बहरोड़ के केवल सोलह-सतरह गांवों में बिजली दी जा रही है? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या इस वर्ष उक्त सोलह-सतरह गाँवों के अलावा अन्य किन्हीं गांवों को भी बिजली दी जा सकेगी ? यदि हां, तो कितने गांवों में ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) सन् ६७-६८ की योजना अभी तक तैयार नहीं है।

(२) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अमीलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय इस बात को बताने का कष्ट करेंगे कि जो मैंने प्रश्न किया है कि जैसे कि तार लगे हैं तो ६७-६८ की योजना में और दीगर गांवों को लेने की आपकी योजना है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां पर काम प्रोग्रेस में है वहां पर बिजली ला दी जायगी मगर क्योंकि इस वर्ष के बजट के अन्दर कुछ कटौतियां की गई हैं इसलिए आगे इसको बढ़ाया जायगा अथवा नहीं बढ़ाया जायगा, यह अब निर्णय लिया जायगा।

श्री अमीलाल यादव : यह जो बिजली का प्रश्न है वह ग्रामों में सिंचाई के लिये बिजली देने का प्रश्न है तो उसके लिए बजट के अन्दर कहां कटौती रखी है ? यह नीति का प्रश्न है। तो कटौती के लिए फर्मा रहे हैं कि यह कटौती की जा रही है तो क्या इस बिजली के अन्दर जो सिंचाई के लिए दी जायगी उसमें कटौती की जायगी क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां वर्क्स इन प्रोग्रेस हैं उनको निश्चित रूप से बिजली दी जायगी, मगर बजट में फन्ड्स जिस कदर एवेलेबल हैं उनका एलोकेशन होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए तो जब तक यह तय नहीं हो जाता है कि इसको आगे एक्सटेन्ड किया जाय तब तक मैं कमिट नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

सरकार द्वारा जनता से कर्जा

१४३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

सरकार द्वारा १९६१ से अब तक कितना कर्जा जनता से लिया गया है ? प्रत्येक वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : सन् १९६१ से १९६६–६७ तक २४ करोड़

(श्री मथुरादास माथुर)

८४ लाख रुपयों का सार्वजनिक ऋण लिया गया है। इसके विवरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके ऊपर ब्याज के रूप में कितनी रकम दी गई अभी तक ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जो लोन्स हैं वे १९७२, १९७४, १९७८ और १९८० में जाकर मेच्योर होंगे। जो तालिका रखी है उसमें इन्टरेस्ट दिया हुआ है उसको आप पढ़ लें तो सन्तुष्ट हो जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : राज्य सरकार ने जो कर्जा लिया है और जो आपने सन् बताये हैं ७२, ७४, ७८ तो उन सनों में वह पूरी रकम दे दी जायगी या किश्तों में ?

श्री मथुरादास माथुर : जैसे भी वे लेना चाहेंगे कर्जा लेने वाले मेच्योर हो जायेंगे तो ले जा सकते हैं। वे इन्स्टालमेंट में भी ले सकते हैं और वापिस लोन में दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सन् ११६१ के बाद में पिछले साल में कितना लोन लिया है, ६५-६६ या ६६-६७ में जब भी आपने लिया हो ?

श्री मथुरादास माथुर : ६६-६७ में जो लोन लिया था वह ५ करोड़ रुपयों का है।

श्री भैरोंसिंह : और पढ़ लें इसको, मैं कह रहा हूं।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : इस पर रेट ऑफ इन्टरेस्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अभी एक प्रश्न का उत्तर आ जाय।

श्री मथुरादास माथुर : ५०१.९८ लाख है।

श्री भैरोंसिंह : यह पब्लिक से लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह पब्लिक लोन है वह ५०१.९८ लाख का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): That is technically known as public loan but not from the public...

श्री मथुरादास माथुर : It is a loan from the public and it is known as public loan.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मजलिस खां।

ग्राम मुललाका में नये बांध का सर्वे

१४४. श्री मजलिस खां (कामा) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कामा, जिला भरतपुर के ग्राम मुललाका में नये बान्ध का सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो यह सर्वे कब कराया गया और किस सर्वेयर द्वारा ? और उक्त बांध से सम्बन्धित कागजात कहां और किस स्टेज पर किसके पास हैं ?

उप-मन्त्री, सिचाई (श्री मनफूलसिंह) : जी नहीं। उक्त बांध का कोई सर्वे इस विभाग द्वारा नहीं करवाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री नयमल बोला। चोहला।

एक माननीय सदस्य : बोला नहीं चोहला है।

श्री अध्यक्ष : I have corrected myself.

फतेहपुर की जलप्रदाय योजना

१४५. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सीकर जिलान्तर्गत फतेहपुर जलप्रदाय योजना का मुख्य मन्त्रीजी ने शिलान्यास किया था? अब यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायगी?

सिचाई मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): जी हां। योजना पर कार्य नगरपालिका द्वारा जमीन व कुआ देने पर शुरू किया जावेगा, तत्पश्चात् वित्त व आवश्यक सामग्री की उपलब्धि पर योजना को पूर्ण करने के लिए २ से ३ वर्ष का समय लग जाता है।

श्री भैरोंसिंह : साहब सुनाई कुछ भी नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : पुनः पढ़ दें।

श्री नथमल चोहला : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे...

श्री अध्यक्ष : सुनाई ही नहीं दिया तो कृपा कहां से होगी?

(श्री नारायणसिंह मसूदा ने उत्तर पुनः पढ़ा)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि शिलान्यास करने से पूर्व यह देख लिया था कि कहां पर योजना बनाई गई है, आर्थिक साधन कहां उपलब्ध होंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं क्या? नगरपालिका से कितनी सहायता मिलेगी? इस सम्बन्ध में कोई निर्धारण नहीं किया गया था?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस कस्बे के लिए जल-वितरण योजना को, जिसकी अनुमानित लागत १४ लाख रुपये हैं, प्राविधिक स्वीकृति भारत सरकार से ७ दिसम्बर, १९६५ को की गई थी और कार्यालय की टेक्निकल स्वीकृति दिनांक २२-१२-६५ को की गई थी। इसलिए शिलान्यास के पहले यह कार्यवाही हुई।

श्री नथमल चोहला : यह जल-योजना ६२ के चुनावों से पहले शुरू हुई थी और म्युनिसिपैलिटी ने अपने हिस्से के १० हजार रुपये सरकार में जमा करवाये और ६२ के चुनावों के कुछ दिन बाद ही यह केन्सिल हो गई थी।

श्री नारायणसिंह मसूदा : सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार फतेहपुर की जनसंख्या २५०३९ थी किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह योजना ५० हजार की जनसंख्या के लिए बनाई गई है और योजना के अनुसार कुल १० लाख गैलन पानी प्रतिदिन वितरण किया जायगा जो कि २० गैलन प्रति व्यक्ति होगा।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय से यह पूछा गया था कि १० हजार म्युनिसिपैलिटी ने जमा करवाये हैं और मन्त्री महोदय यह जवाब दे रहे हैं मैं समझता हूं आसमान का।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं आसमान का जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किस वजह से देरी हुई है। आबादी में परिवर्तन हुआ तो फिर फलावट की गई कि प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलना चाहिए।

Page No.23

श्री नथमल चोहला : ६२ के चुनावों से पहले फतेहपुर जल-वितरण योजना मन्जूर हुई थी और १० हजार रुपये म्युनिसिपैलिटी ने जमा कराये लेकिन चुनावों के बाद कांग्रेसी केन्डीडेट हार गया तो वह केन्सिल हो गई क्या ?

(१२.०० मध्याह्न)

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि भारत सरकार द्वारा ७ दिसम्बर, ६५ को स्वीकृति हुई और तकनीकी स्वीकृति २२-१२-६५ को हुई फिर ६२ कैसे हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : ६३ में स्वीकृति हुई तो उसके बाद में क्या हुआ ? आज ६७ चल रहा है। आप कहते हैं कि ६३ में स्वीकृति हो गयी है...

श्री नारायणसिंह मसूदा : ६५ में।

श्री भैरोंसिंह : तो भी दो वर्ष गुजर गए।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने कहा कि आबादी बढ़ गयी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या सरकार आबादी घटने का इन्तजार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : आबादी से अनुपात बढ़ गया और रकम बढ़ गई।

नेक्स्ट, श्री हंसराज आर्य।

गत तीन वर्षों में सिंचित भूमि

१४६. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में पिछले ३ वर्षों में सिंचित भूमि की मात्रा कम हुई या अधिक ?

(२) यदि कम हुई तो इसका क्या कारण है ?

(३) सिंचित भूमि की मात्रा कम होने पर वहां के किसानों को क्या रियायत दी गई है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) सिंचित क्षेत्र में साधारण वृद्धि हुई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जिस भूमि में पानी उपलब्ध नहीं हो सका उस भूमि के किसानों से नियमानुसार सिंचाई शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा।

श्री हंसराज आर्य : प्रथम वर्ष में कितनी सिंचाई हुई ?

श्री मनफूलसिंह : कौनसे प्रोजेक्ट से ?

श्री हंसराज आर्य : भाखरा क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

(हंसी)

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं बतला देता हूं। अलग-अलग योजनाओं में अलग-अलग रूप से कुछ वृद्धि हुई है लेकिन कई जगह बहुत नेगलीजेबल है। जैसे वृहत् योजनाओं में १९६३-६४ में ५ लाख ६४ हजार हुई थी और वह १९६६-६७ में ७ लाख १६ हजार हुई। मध्यम योजनाओं से १९६३-६४ में १ लाख ५८ हजार हुई और १९६६-६७ में १ लाख ६६ हजार हुई। लघु योजनाओं में १ लाख ३८ हजार हुई

Page No.24

(श्री हरिदेव जोशी)

१९६३-६४ में और १९६६-६७ में १ लाख ४५ हजार हुई और राजस्थान नहर में १७ हजार एकड़ हुई थी १९६३-६४ के अन्दर और अब १ लाख ३० हजार एकड़ हुई। इस प्रकार से साधारण वृद्धि हुई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न मेरा है। क्या यह सही है कि जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेजा, सरेड़ी और खारी बांध है जिनका पानी रबी की फसल के लिए दिया जाता है उसमें दो ही पान दिये जाते हैं फिर भी आप सिंचाई की दर पूरी वसूल करते हैं। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि जिनकी कम पिलाई हुई है तो उनके ऊपर पैसा छोड़ दिया जायेगा तो क्या इस सम्बन्ध में आप जवाब देंगे कि जो कम पिलाई कर पाये हैं उनको छोड़ देंगे या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे भी मदद करें इस बात में कि यदि वह स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें एक स्पेसिफिक योजना के लिए तो मैं निश्चित उत्तर दे सकूंगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई स्थिति किसी स्कीम की है तो वह अलग से बतायें। निश्चित रूप से नियमानुसार जो किसानों को राहत दी जानी चाहिए वह दी जायेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने स्पेसिफिकली पूछा है मेजा, सरेड़ी और खारी बांध के लिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस समय ऑफ हैण्ड जवाब नहीं दे सकता कि कम दी जा रही है या ज्यादा दी जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह नीति का सवाल है...

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : मंत्री महोदय बतायें कि १९६३-६४ के बाद कितनी नयी स्कीम्स कमीशन हुई....

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) नेक्स्ट, ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !

श्री हरलाल मीणा !

टी. डी. ब्लॉक क्षेत्र के जंगलों का ठेका

१४७. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि टी० डी० ब्लॉक एरिया के जंगल ठेकेदारों को नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ टी० डी० ब्लॉक में जंगल ठेकेदारों को क्यों दिया गया ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : जी हां, ट्राइबल डेवलपमेन्ट ब्लॉक एरिया के जंगल आमतौर पर ठेकेदारों को नहीं दिये जाते हैं वरन् विभागीय तौर पर ही काटे जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में खास तौर पर ऐसे जंगल को काटा जाना जब अनिवार्य हो जाता है व बजट में विभागीय तौर पर कार्य कराने हेतु प्रावधान न हो तो राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति द्वारा जंगल वन श्रमिक सहकारी समितियों को दिये जाते हैं। यदि वे ऐसे कूप लेने को तैयार न हों तो राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से नीलाम द्वारा ठेकेदारों को दिये जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्र के जंगल ठेकेदारों को दिये गये।

श्री हरलाल मीणा : क्या प्रतापगढ़ में आदिवासी सोसाइटीज नहीं हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हैं, पर मैंने निवेदन किया कि अगर वे ठेका नहीं ले सकती हैं तो सरकार द्वारा वे कार्य कराये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

भीमसागर बांध का निर्माण कार्य

१४८. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीमसागर बांध, जिला झालावाड़ की योजना राज्य सरकार के सामने किस स्थिति में है ? सरकार इस कार्य को कब प्रारम्भ कराने जा रही है ?

(२) यदि राज्य सरकार निकट भविष्य में इस बांध को प्रारम्भ कराने की स्थिति में नहीं है या इरादा नहीं रखती है तो फिर वहां के विकास व निर्माण कार्यों को व प्राइवेट मकानों के निर्माण को क्यों रोक रखा है ?

(३) उक्त योजना को अगर क्रियान्वित करने का इरादा है तो इस बांध की हाइट कितनी होगी ?

(४) क्या असनावर ग्राम एवं इसके समीप के गांव इस बांध के कारण वहां से उठाये जायेंगे ?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) भीमसागर बांध, जिला झालावाड़ की स्वीकृत योजना का कार्य पर्याप्त धनराशि के अभाव के कारण रुका पड़ा हुआ है, जो पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने पर ही प्रारम्भ की जा सकती है।

(२) धन उपलब्ध होने पर योजना को पुनः प्रारम्भ करने हेतु ऐसा किया गया है।

(३) योजनानुसार कार्य बनने पर बांध की नाले की सतह से कुल ऊंचाई ८० फीट होगी।

(४) जी हां।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि यह योजना पहले १८ लाख की थी और डिले होने के बाद यह ७८ लाख की हो गयी महंगाई के कारण ? यह डिले अब तक क्यों की गई है ?

श्री मनफूलसिंह : यह योजना केवल ६० लाख की है।

सिचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : I am sorry ७३ लाख २२ हजार की है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब तक योजना चालू नहीं की जाती, जिन गावों में आपने काम रोक रखा है उनके बारे में क्या सोचा है ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर इस पंचवर्षीय योजना में पैसा मिल सकेगा ऐसी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि इन कुछ महीनों में मिल जायगा तब तो इसको हाथ में लेने के लिए कदम उठाये जायेंगे और चौथी योजना में इसको इन्क्ल्यूड नहीं किया गया तो ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे कि लोग उस एरिया में कन्स्ट्रक्शन कर सकें।

श्री जुझारसिंह : तो इसको ड्रांप कर दिया जायगा क्या ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : अगर बजट में नहीं होगा तो क्या जैसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं क्या आगे भी गुजरेंगे क्योंकि वहां आपने कन्स्ट्रक्शन का कार्य बन्द कर रखा है...

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.26

प्रश्न संख्या १४९

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द कटेवा—(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह !

बांध गोकुलपुरा, जिला बूंदी की योजना

१५०. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम टोंकड़ा, तहसील हिन्डोला (जिला बूंदी) में गोकुलपुरा बांध की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) अगर है, तो कब तक इस बांध का काम प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) योजना का तखमीना राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु बनाया जा रहा है जिसकी जांच की जा रही है। यदि आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से योजना लाभ-प्रद साबित हुई तो स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी।

श्री केसरीसिंह : क्या चुनाव के दौरान इसका काम शुरू नहीं किया गया था ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इस योजना के ऊपर राज्य सरकार का एक तरफ सर्वे हो रहा है लेकिन फेमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट ने इस योजना का काम करने के लिये रिकमन्डेशन दी थी और फेमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट द्वारा ही इसका कार्य हो रहा था।

श्री केसरीसिंह : तो क्या इसका उद्घाटन भी हुआ था ?

श्री हरिदेव जोशी : उसकी जानकारी नहीं है लेकिन इस पर काम हो रहा है फेमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट से।

श्री केसरीसिंह : तो क्या लोगों को धोका दिया गया था कि बांध बनने वाला है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नन्दलाल !

ग्राम अड़न्दि, तहसील अटरू में मिडिल स्कूल

१५१. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम अड़न्दि, तहसील अटरू, जिला कोटा में राज्य सरकार की ओर से मिडिल स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां तो उस निर्णय के पश्चात् क्या कार्यवाही की गई ?

(२) इस निर्णय को लिए कितना समय हो चुका है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नन्दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ६१-६२ से लगातार पंचायत समिति ग्रटरू, जिला परिषद्, कोटा से हमेशा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब क्या सोचती है इस बारे में राज्य सरकार ?

श्री बरकतुल्ला खां : राज्य सरकार का एक लक्ष्य है कि जहां कहीं भी १ लाख की आबादी के ऊपर छः मिडिल स्कूल, ८ मिडिल स्कूल हों वहां ठीक समझा जाता है। कोटा जिले के अन्दर ८३ मिडिल स्कूल हो गये हैं इसलिये वहां जो हमारा एवरेज आना चाहिये वह पूरा हो गया है। यह नहीं कर सकते कि राजस्थान का जो एवरेज है उसको एक डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा दें और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कम करदें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह एवरेज बनता है स्कूलों का आबादी के आधार पर। अगर मानलें, कोटा मे, बून्दी में ८३ स्कूल हो गये हैं तो बाकी में नहीं खोलेंगे–यह आधार जो है यह बिल्कुल गलत है, डिफेक्टिव है। इसलिए एवरेज एक लाख का वहां पर निकालने के बाद में आप इसको रेशनलाइज कीजिये जिससे एक जगह पर स्कूल कंसेन्ट्रेट न हो जायं और दूसरी जगह पर बिल्कुल कम हो जाय। आप तहसील के आधार पर, ब्लॉक के आधार पर, पंचायत समिति के आधार पर और पंचायत के आधार पर पोपूलेशन को बेस मानकर स्कूल खोलने की व्यवस्था करिये।

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार इसके लिए पूरी जागरुक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री देवीदत्त !

बारां की पेय जल-योजना

१५२. **श्री देवीदत्त** (बारां) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां नगरपालिका में पेय जल की समस्या को हल करने के लिये कितने लाख रुपयों की स्कीम बनाई गई है ?

(२) बारां नगर में नल-योजना का कार्य कब से चालू हो जावेगा ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) बारां नगरपालिका में पेय जल समस्या को हल करने के लिए १९.९९ लाख रु० की स्कीम बनाई गई है।

(२) भारत बीमा निगम से और ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है और ऋण प्राप्त हो जाने पर नये कार्य चालू किये जा सकेंगे।

श्री देवीदत्त : क्या बारां नगरपालिका ने और एल० आई० सी० ने किसी समझौते के ऊपर कोई हस्ताक्षर किये है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गत वर्ष १९६६-६७ में बीमा निगम से ऐसी अन्यान्य योजनाओं के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव था। किन्तु इसके लिए आवश्यक कागजात, प्रस्ताव आदि जो नगर-पालिकाओं से ऋण लेने के लिए प्राप्त होने थे वह नहीं हो सके। इसके बाद में चुनाव नजदीक आ गये, चुनाव इस कार्य में विलम्ब हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.28

श्री देवीदत्त : प्रश्न मेरा यह था कि एल० आई० सी० से बारां नगरपालिका के पेय जल की समस्या को हल करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए जो समझौता हुआ था उस पर उसने हस्ताक्षर कर दिये थे लेकिन चुनाव के बाद में कांग्रेस के हार जाने और जनसंघ के जीत जाने की वजह से योजना को खटाई में डालने के लिए इस प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें एक प्रश्न और है, क्योंकि एल० आई० सी० से कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ इसलिए लोन नहीं मिला और लोन नहीं मिला इसलिए योजना इम्प्लीमेंट नहीं हुई। प्रश्न यह है कि क्या बारां नगरपालिका ने एल० आई० सी० से ऋण लेने के एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिये थे, फिर भी लोन दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं हुई और स्कीम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बारां नगरपालिका की पेय जल वितरण की योजना १०.१२ लाख की थी। यह योजना बनाई जाकर भारत सरकार को ८-१२-६५ को प्राविधिक स्वीकृति के हेतु भेज दी गई थी। भारत सरकार ने इस योजना की तकनीकी जांच की रिपोर्ट के साथ २२-१-६६ को लौटाई। यह योजना फिर से संशोधित रूप से तैयार की जा चुकी है। इसका अनुमानित खर्चा १६.६६ जैसा मैंने बताया है, वह है। स्कीम की तकनीकी जांच की जा रही है। इस योजना के लिए जल-स्रोत ग्राम के पास पार्वती नदी को चुना गया है जहां पर कि जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन !

राज्य में उत्पादित बिजली की लागत

१५३. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) राज्य में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत् की प्रशासनिक खर्च को शामिल करते हुए लागत कीमत क्या है ?

(२) राज्य के किन-किन उद्योगों को लागत कीमत से कम तथा किन-किन उद्योगों को उद्योगों के लिये दी जाने वाली दर से कम पर विद्युत् दी जा रही है ?

(३) उपरोक्त रियायतों से सरकार पर कितना वार्षिक बोझ आता है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) अनुमानतः उत्पादन लागत सन् १९६५-६६ में निम्न प्रकार है:—

प्रति यूनिट पैसों में

उत्पादन-स्रोत	१९६५-६६
भाखरा	३.४८
गांधीसागर	६.२५
वाष्प तथा तेल	१६.८

(२) लागत कीमत ट्रान्समिशन, डिस्ट्रिब्यूशन, डेप्रिसियेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के प्रति सरकार की नीति आदि-आदि अनेकों बातों को दृष्टि में रखते हुए जो टेरिफ बनाया गया है उसमें निर्धारित दरों से कम दर पर बिजली केवल एक कैमिकल उद्योग को छोड़कर अन्य किसी को नहीं दी जा रही है।

(३) राज्य सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ता है।

Page No.29

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : सही नहीं, प्रश्नकर्ता।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह एन. बी. सी. को जो बिजली देते हैं वह किस रेट पर देते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि टेरिफ से नीचे किसी को नहीं देते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि गांधीसागर बांध में पानी की कमी होने के बाद गैस टर्बाइन से बिजली देने के बाद बिजली की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : बिजली में कटौती के बाद गैस टर्बाइन की बिजली दी जाती है वह बढ़ी हुई रेट पर दी जाती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही नहीं है कि डी. सी. एम. को जो बिजली दी जा रही है वह तीन नये पैसे पर यूनिट के हिसाब से दी जा रही है और वह गैस टर्बाइन से बिजली दी जाना नहीं बता कर यह बताया जा रहा है कि गांधीसागर की बिजली दी जा रही है सारी की सारी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि जिन लोगों को गैस टर्बाइन से बिजली दी जाती है उनसे गैस टर्बाइन की रेट वसूल की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह पूछ रहा हूं कि जो डी. सी. एम. को बिजली दी जा रही है वह इस समय किस दर से दी जा रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास इन्डिविजुअल इन्डस्ट्री की रेट्स अभी नहीं हैं। जिसके बारे में यह प्रश्न पूछा था, वह मैंने बतला दिया। इन्डिविजुअल इन्डस्ट्री की रेट्स के बारे में जानना हो तो मुझे नोटिस चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी होशियारी से इस बात को छुपाया जा रहा है। गैस टर्बाइन की और गांधीसागर की दोनों जगह की बिजली एक जगह आ रही है, लेकिन अभी तक गांधीसागर की बिजली दिया जाना आंकड़ों में बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि डी. सी. एम. को गैस टर्बाइन से कोई बिजली नहीं दी। मेरी सूचना है कि जो उसकी बिजली में कमी आई है उसको गैस टर्बाइन से पूरा किया जा रहा है और उसका परिणाम भुगत रहा है कोटा और पूरा राजस्थान। बड़ी होशियारी से सरकार इस बात को छुपाना चाहती है कि जो बिजली दी जा रही है उसका गैस टर्बाइन से सम्बन्ध नहीं है। लेकिन उसको दी जाने वाली बिजली में जो कमी आई है उस कमी की पूर्ति गैस टर्बाइन चालू करके की गई है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, गांधीसागर बांध में पानी की कमी होने की वजह से जिन उद्योगों की बिजली के कोटे में कटौती की गई है अगर वे गैस टर्बाइन को बिजली लेते हैं तो उनको हम गैस टर्बाइन की रेट पर देते हैं, यह मेरी इन्फोर्मेशन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन (वैर) : यह स्पष्ट है कि ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(कृपया शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सुलताना जिला झुन्झुनूं की जलप्रदाय योजना

१४९. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सुलताना कस्बा, जिला झुन्झुनूं के लिये कोई वाटर सप्लाई स्कीम स्वीकृत हुई है ?

(२) अगर हां, तो राज्य सरकार इसका कार्य कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

(३) क्या विभाग द्वारा इस योजना के लिये सुलताना कस्बे में कोई पाइप भेजे गये हैं ?

(४) अगर हां, तो कितने पाइप और किस तारीख को ?

(५) क्या यह सही है कि ये पाइप जिस समय भेजे गये थे उस समय उनकी वहां आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहां अन्य कोई कार्य शुरू ही नहीं हुआ था ? यदि हां, तो पाइप इतने पहले क्यों भेजे गये थे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : (१) जी हां।

(२) कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(३) जी हां।

(४) ६" के पाइप २६ नम्बर, एक पाइप की लम्बाई १८", दिनांक ४-२-६७ को।

(५) जी नहीं, यह सही नहीं है। कार्य प्रारम्भ करने से पहिले पाइप्स का प्रबन्ध करना पड़ता है। सिविल वर्क्स के लिये टेण्डर कॉल करने पड़ते हैं जिसमें २। से तीन माह की अवधि केवल टेण्डर प्राप्त करने में ही लग जाती है। चूंकि पाइप स्टोर में उपलब्ध थे अतः स्कीम पर भेज दिये गये।

(१२.१० म.प.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ (क) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कॉर्पोरेशन लि० से सम्बन्धित निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) डाइरेक्टर्स रिपोर्ट।

(२) ऑडिटर्स रिपोर्ट।

(३) कमेन्ट्स ऑफ दी कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल।

(४) क्लेरिफिकेशन ऑफ डाइरेक्टर ओन दी रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स एण्ड कमेंट्स ऑफ कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल।

(५) प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट्स (७ जून, १९६५ से ३१ मार्च, १९६६)।

(६) बैलेन्स शीट एज ओन ३१ मार्च, १९६६।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या चीज ले कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : होटल्स कॉर्पोरेशन लि० से सम्बन्धित।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सदन की मेज पर ?

श्री मथुरादास माथुर : सदन की मेज पर।

श्री हरिदेव जोशी : होटल कॉर्पोरेशन का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको थोड़ा रख दीजिये, जरा वाद-विवाद होने दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के, ३० जून, १९६३, १९६४, १९६५ और १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट और लेखे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एड्जोर्नमेंट मोशन थे, उनका क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : हाई-टेक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर के ३० सितम्बर, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट और लेखे।

सहकारिता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, १९६२ की धारा ३१ (२) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, जयपुर की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखे, १९६४-६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब तक रख देनी चाहिये थी क्यों परसरामजी ?

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुवे हैं उनके सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था इस प्रकार है:—

पाकिस्तानी घुसपेठियों द्वारा गडरा क्षेत्र में पी. डब्ल्यू. डी. के रोलर व पुर्जे निकाल ले जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर मंत्री महोदय पांच जून को एक स्टेटमेन्ट देंगे।

बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में पाक सेना के जमाव के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर भी गृह मंत्री पांच जून को स्टेटमेन्ट देंगे।

अजमेर जलप्रदाय योजना और वहां जल की स्थिति के सम्बन्ध में डॉ० अम्बालाल शर्मा एवं श्री भगवानदास शास्त्री ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर मैं अनुमति नहीं देता। एक वक्तव्य कल इस पर दिया जायगा।

भरतपुर शहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामकिशन एवं श्री नत्थीसिंह ने दी है, मैं उस पर अनुमति नहीं देता इसलिए कि इस विषय पर जन-स्वास्थ्य मंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष)

नगरपालिका छापर के कर्मचारियों को छः माह से वेतन न चुकाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाभचन्द ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय, इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का यह नहीं है। स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री दिनांक २ जून, १९६७ को एक वक्तव्य दें।

जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ४४ ओवरसियरों की सर्विसेज समाप्त करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति पर श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला भी इतना अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है। फिर भी स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री २ जून को एक वक्तव्य दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काहे के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ४४ ओवरसियरों की सर्विसेज समाप्त करने के बारे में।

चूरू जिले के बीदासर-छापर क्षेत्रों में पेय जल की समस्या तथा चूरू जिले में अकाल-ग्रस्त घोषित गांवों में सहायता कार्यों के अभाव सम्बन्धी विषयों पर श्री रावतराम ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह मामला अत्यावश्यक लोक महत्व का नहीं है। इसलिए मैं इन दोनों प्रस्तावों पर अपनी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जयपुर जिले के आमेर, सांगानेर, झोटवाड़ा आदि क्षेत्रों में कृषि के लिए विद्युत् वितरण में अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री सहदेव ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला भी अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है। अतः मैं इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को मैं चुनौती नहीं देता लेकिन सरकारी पक्ष ने जिस प्रकार इस सम्बन्ध में मौन धारण किया है उससे मुझे बहुत ही चिन्ता है। और चिन्ता विशेष तौर पर सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ने जिस प्रकार युद्ध सम्बन्धी तैयारी कर रखी है और सरकार ने इस सम्बन्ध में मौन धारण कर रखी है और जनता को कुछ भी जानकारी नहीं देना चाहती है। इस प्रकार की सरकार की नीति है वह राजस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही घातक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को चाहिये तो यह था कि उनको जो इस प्रकार की जानकारी मिलती है वह जानकारी अपनी तरफ से सदन के माननीय सदस्यों को देते रहते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार इसके सम्बन्ध में मौन रखती है और विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से जानकारी दी जाती है तो सरकार मौन रहती है। मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको बता देना चाहता हूं कि आज तक सारे बाड़मेर में ३३ बार हवाई उड़ानें हुई हैं और सीमा पट्टी पर हवाई पट्टियें बनाई हैं। सीमा पर मुजाहिदों की जगह रेगूलर फोर्स तैनात कर दी गई है। आज आप बाड़मेर और अखनूर पर जावें तो आपको ७ मील की दूरी पर टैंकों से धड़ाके होते सुनाई देते हैं। आज गाड़ियों के दौड़ने की आवाजें आसानी से सुनी जा सकती हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

आज पाकिस्तान के गुप्तचर उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जो १९६५ में करते थे और उनकी कार्यवाहियें उसी प्रकार से चल रही हैं। पिछले माह ५ गुप्तचर पकड़े गये और इस माह में ४ गुप्तचर पकड़े गये और बाकी के लोग जो १९६५ मे पाकिस्तान चले गये थे वे गलत रास्तों से वापिस आ रहे हैं। आज जिलाधीश मौन धारण करके बैठे हुए हैं। जो पंच और सरपंच १९६५ में पाकिस्तान चले गये थे वे वापिस आ गये हैं और गुप्तचर की कार्यवाही कर रहे हैं और राजस्थान सरकार उन सब पर मौन बैठी हुई है और मुझे भय है कि जिस प्रकार पहले भी हमारे मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी कहते थे कि पाकिस्तान को एक इन्च जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया जायगा, वहाँ ४ हजार स्क्वायर मील पर कब्जा हुआ। आज वही निकम्मी सरकार मौन धारण कर बैठी है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके हुक्म से बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने गृह मंत्रीजी को अपना स्टेटमेंट देने के लिये कह दिया है। उसके पूर्व आपने भाषण जहां तक इसके महत्व का है वह कर दिया लेकिन आप सारा का सारा भाषण देते हैं जो रूल्स के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिये जितना संक्षेप में आपने कह दिया वह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता। मगर आज पांच दिन हो गये है और फिर भी सरकार इसके लिये पांच दिन ले रही है। इसका मतलब यह कि घटनायें दिनोंदिन बढ़ती रहें और सरकार मौन रहे। क्या यह बाड़मेर मंत्रीजी का है और किसी का नहीं ? हमारा कोई इसके लिये अधिकार नहीं है या राजस्थान की २ करोड़ और २८ लाख जनता मौन धारण करके बैठ जाय ? मैं यह कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। सरकार निकम्मी हो सकती है, २ करोड़ और २८ लाख जनता निकम्मी नहीं हो सकती। सरकार को ऐसे प्रश्नों पर सदन को कोन्फीडेंस में लेना चाहिये और स्थिति को बतलाना चाहिये लेकिन वहां पर हमले होते रहें, सरकार को चिंता नहीं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! That will do.

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : मैं इसका स्टेटमेंट कल दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप इसके सम्बन्ध में स्टेटमेंट दे क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ६ दिन हो गये आपने इन ६ दिनों में क्यों नहीं दिया ? आज ही क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Adjournment motion may be put to vote before rejection as has been done in the Parliament. अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्लियामेंट में एड्जोर्नमेन्ट मोशन हाउस में वोट पर रखा जाता है और उसी तरह से इस प्रश्न को आज ही लिया जावे और इस पर वोट लिये जावें। It may be put to vote. मैं उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि We want voting. इसमें गवर्नमेंट के उलटने का कोई प्रश्न नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह राजस्थान-पाकिस्तान की सीमाओं पर हमले का प्रश्न है, इस पर यह सदन पहले विचार करे और इस प्रस्ताव पर मत लिये जावें और अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सदन की कार्यवाही को रोकी जावे और इस प्रश्न को सबसे पहले लिया जावे और बाकी डिबेट बाद में ली जावे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, रोड़ रोलर के बारे में यह सरकार जवाब नहीं दे रही है....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव परसों रात को मुझे मिला। आप ५-७ रोज की बात कहते हैं। मुझे कल ही मिला और कल ही मैंने कन्सर्निङ्ग ऑफिसर को भेज कर जानकारी मंगाई है। इसलिये यह कहना कि सरकार जानकारी देना नहीं चाहती, उचित नहीं है। जहां तक बोर्डर सिक्योरिटी का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को जानकारी है कि यह केन्द्र के मिलिट्री के अण्डर में है। मैं इसके सम्बन्ध में जानकारी दूंगा लेकिन यह इल्जाम लगाना कि सरकार चुप्पी साधे बैठी है और कुछ कहना नहीं चाहता यह हमारे साथ आपका न्याय नहीं है। आपने कहा कि यह स्थगन प्रस्ताव ७-८ रोज पहले चला गया मगर मुझे परसों शाम को मिला है। मैंने कहा है कि कल मैं इस पर स्टेटमेंट दे दूंगा। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास हर समय रेडी इन्फोर्मेशन होती है। आपने जो कहा उसका मतलब यह है कि आपके पास इन्फोर्मेशन नहीं है और आप उसे मंगा रहे हैं। बोर्डर की इन्फोर्मेशन आपके पास आती है। इस पर मंत्रीजी कहते हैं कि.....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसको पोलिटिकल इश्यू मत बनाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसको पोलिटिकल इश्यू बनाते हैं और.......

(शोरगुल होने से अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह इल्जाम लगाना कि इसको पोलिटिकल इश्यू न बनावें, यह आपका पोलिटिकल बेसिस है जो बरबाद करने के लिये......

श्री देवीदत्त : इसमें वे आदमी शामिल हैं जिन्होंने पहले........

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट आप आम तौर पर शाम को लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जावे। इस पर व्यवस्था करें। यह सबस्टेन्टिव मोशन है। हाउस इसको रिजेक्ट कर सकता है या इसको स्वीकार कर सकता है। आप इसको हाउस में वोट के लिये पुट अप करें। अगर सदन में इसके बाद इसको चैलेन्ज किया जावे तो इस पर डिविजन हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप परम्पराओं के समर्थक हैं। पार्लियामेन्ट में भी इस पर वोट लिये जाते हैं और डिविजन होता है। यह प्रश्न राजनीति का नहीं है। यह प्रश्न राजस्थान की सीमा का प्रश्न है। इसमें दोनों तरफ के लोगों का हित है। प्रशासन और मन्त्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुछ भी करें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन की दूसरी कार्यवाही को स्थगित करके इस पर विचार करें। This question be put to vote before the House.

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में एड्जोर्नमेन्ट मोशन पहले ही प्रस्तुत हुए हैं इसलिये वह रूल ५१, ५२ और ५३ के अन्तर्गत हैं। इसका मतलब जो इसमें बतलाया है रूल्स के इन्टरप्रिटेशन का है और सदन की कार्यवाही बन्द कराना चाहते हैं, आपका मतलब इसके अन्तर्गत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वोटिंग के आधार पर हो।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में एड्जोर्नमेन्ट मोशन को अस्वीकार किया है और कहा है कि स्टेटमेन्ट दिया जावे। ऐसी स्थिति में आप ऐसा नया पॉइन्ट रख रहे हैं जो एड्जोर्नमेन्ट मोशन पर रखा नहीं जा सकता, इसलिये कोई दूसरा मोशन आपके द्वारा प्रस्तुत किया जावे जो निश्चित मोशन हो। उसका नोटिस हो वह अलग से हो। मैं इस प्रश्न पर दूसरा प्रश्न लेने में असमर्थ हूं।

दूसरी बात यह है कि सदन इस समस्या पर उग्र न हो। इसलिये नहीं हो कि सदन के ज्ञान में है कि बोर्डर का एरिया, उसका फोर्स और अतिक्रमण और साथ ही आर. ए. सी. आदि ये सब केन्द्र के हैं। फिर भी मैंने गृह मन्त्रीजी से निवेदन किया है कि एक स्टेटमेन्ट के द्वारा जहां तक उनका प्रश्न आता है अवगत करावें।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि In matters of confidence पोलिटिकल ग्रुप्स के नेताओं से मिल कर, केमेरा में बात-चीत करें और आप जो सदन में कहना नहीं चाहते हैं उस पर विरोधी दल के नेता और ग्रुप के नेताओं को विश्वास में ले सकें तो ज्यादा माननीय सदस्य इनसे अवगत हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को प्रेस नहीं करें और जो स्टेटमेन्ट कल होने वाला है उसके बाद जानकारी करना चाहें तो जैसा मैंने गृह-मन्त्रीजी से कहा है उस प्रकार से करें। क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रश्न है और वह सारे सदन का है। इसलिये मेरी मान्यता है कि इस प्रश्न को शांति से निपटाएं और इस पर जोर न दें। इस प्रश्न पर जोर देना सामयिक नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो आपने सहानुभूति और विचार व्यक्त किये हैं, उसके सम्बन्ध में तो हम आभारी हैं लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था देते समय कहा कि इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था इसलिये इसे लेने का प्रश्न नहीं। मुझे जहां तक याद है, स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो आपने सूचना दी, कुछ प्रारम्भ में सदन के समक्ष रखे उसमें यह सूचित किया कि अमुक-अमुक स्थगन प्रस्ताव पर २ जून को, अमुक पर ५ जून को सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायगा, अमुक को अस्वीकार किया जाता है। तो मैं बड़ी इज्जत के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया यही कहा कि ५ जून को इस पर वक्तव्य दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आप शब्दों से न पकड़िये, स्टेटमेन्ट देने के लिये कहना भी करता है

(श्री अध्यक्ष)

कि अस्वीकार किया जाता है। वक्तव्य देने के लिये कहने में इम्प्लाइड है कि अस्वीकार किया जाता है। वकालत की टेक्निक माननीय सदस्य नहीं लगायें, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामकिशन : यह व्यवस्था है या....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समझ गये हैं, व्यवस्था दे दी गई है।

श्री रामकिशन : आपकी व्यवस्था है या सलाह है ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यह है कि अस्वीकार करते हुए माननीय गृह मन्त्रीजी को स्टेटमेन्ट देने के लिए कहा था। ५ जून तक जो स्टेटमेन्ट देने वाले थे वह अब वे कल दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एड्जोर्नमेन्ट मोशन दिया था, उसके बाद इसी मामले से सम्बन्धित और फैक्ट्स सामने आये हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी उन तथ्यों के बारे में भी उत्तर दें। हमारी सरकार ने हवाई तरीके से सर्वे करने के लिये एक अमेरिकन कम्पनी से एग्रीमेन्ट किया है और रीबडन्स के नेतृत्व में उन लोगों ने अभी हवाई उड़ानें उस क्षेत्र की की हैं।

श्री अध्यक्ष : I will not allow any more debate. आप कृपा करें, नियमों से परे जा रहे हैं। भैरोंसिहजी जब इस प्रश्न पर उठ रहे थे तो मैंने निवेदन किया था कि आप चूंकि कुछ तथ्य दे रहे हैं, यद्यपि नियमों के अनुकूल नहीं पड़ रहे हैं, पर चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये नियमों में कुछ रिलेक्सेशन करते हुए कल स्टेटमेन्ट देने को कहा है। अब मैं इस पर भाषण देने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा......

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो नये तथ्य सामने आये हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन पर माननीय मन्त्रीजी का उत्तर आना चाहिये। आप व्यवस्था देकर मुझे बन्द कर देंगे लेकिन इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को व्यवस्था से बन्द करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट के बाद में प्रश्न पूछे जायेंगे, इसलिये आपके पास ऐसे फैक्ट्स हैं तो उनको आप लिख कर दे दीजिये, इससे सदन का समय बच जायगा और आगे की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी।

एक और प्रिविलेज का प्रश्न श्री जसराज, सदस्य, राजस्थान विधान सभा का है.......

श्री भैरोंसिंह : एटोमिक प्लान्ट में आग लग गई उसके सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट होने वाला था।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास यह प्रश्न है, उसे पूरा कर दूं।

श्री देवीदत्त : भरतपुर के इलाके में डकैती हुई.......

श्री अध्यक्ष : अभी समाप्त नहीं किया है।

विशेषाधिकार के प्रश्न की माननीय सदस्य श्री जसराज ने सूचना दी और यह कहा कि वित्त मन्त्री के इस कथन से कि जनता पर नये करों का बोझा नहीं लादा जायगा जिससे सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। उसमें बताया है कि राजस्थान पत्रिका, जागरण और

(श्री अध्यक्ष)

नवज्योति इत्यादि २४ में प्रकाशित हुए हैं, उपरोक्त शब्दों में यह कथन में आया है।

यदि इन्हें सही भी मान लिया जाय तो भी ये शब्द इतने सामान्य प्रकृति के हैं कि यह लीकेज ऑफ टैक्सेशन प्रोपोजल्स नहीं माना जा सकता। यदि लीकेज भी मान लिया जाय तो यह केबिनेट के तथ्यों का लीकेज है और ऐसे तथ्यों का लीकेज विशेषाधिकार में नहीं आता। इसलिये मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! अध्यक्ष महोदय पैरों पर हैं, स्थान ग्रहण करें।

श्री जसराज : मैं इसी सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : जो मान्यताएं मैंने आपके सम्मुख दी हैं, इसकी पुष्टि में एक व्यवस्था आपके सामने रखना चाहूंगा। आन्ध्र प्रदेश लेजिस्टेलिव असेम्बली की एक व्यवस्था है :

"Though the Budget proposals are treated as a closed and guarded secret till they are actually presented in the House of Commons and in all the Legislatures of our country, any premature disclosure of such proposals......"

यह मैं अंग्रेजी में इसलिये पढ़ रहा हूं कि यह अंग्रेजी में है।

"......is not deemed to be a breach of privilege of the House or its members. In neither of the only two such similar cases in England in recent times, one in 1936 known as Thomas case and the other in 1948 known as Dalton case was the disclosure or leakage treated as breach of privilege nor was it treated as such by the Lok Sabha in the matter of leakage of Budget proposals of 1956. Such matters were not even referred to the Committee of Privileges for enquiry."

इसलिये मैंने यह अनुमति दूसरी व्यवस्थाओं के आधार पर भी, उनको फोलो करते हुए नहीं दी है।

अब दो विशेषाधिकार के प्रश्न और हैं।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, क्योंकि यह घोषणा नीति सम्बन्धी है, बजट होता है उसमें......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! यह व्यवस्था कन्वेस नहीं की जा सकती, फिर भी कुछ बात करना चाहते हैं तो चेम्बर में करें। यह तो हो चुका, अन्तिम रूप है।

माननीय श्री भैरोंसिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने सदन के अपमान सम्बन्धी सूचना दी है, एक विशेषाधिकार का प्रश्न राज्य सरकार के विरुद्ध मुख्य सचिव के विरुद्ध उठाया है उसमें कहा है कि १८ मार्च, ६६ को भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत जो संस्थान हैं अथवा वे संस्थान जिनमें सरकार का धन है उनकी रिपोर्ट्स सदन की मेज पर माननीय सदस्यों को बजट भाषण में सहायता देने के सम्बन्ध से रखी जानी चाहिये। यह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने दी। मन्त्री महोदय ने इस व्यवस्था के सम्बन्ध में उसी वक्त अनुपालन करने का विश्वास दिलाया। उसके

(श्री अध्यक्ष)

पश्चात् प्रतीत हुआ कि ये रिपोर्ट्स यथासमय व्यवस्था के अनुसार नहीं प्रस्तुत की जाती रहीं। आया किन परिस्थितियों में ये ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं की जाती रहीं इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। मुझे खेद है कि स्पष्टीकरण जो प्राप्त हुआ है वह बिल्कुल ही अस्पष्ट और इवेजिव प्रतीत हुआ......

श्री भैरोंसिंह : फिर अपमान कर दिया....

श्री अध्यक्ष : किन्तु स्पष्टीकरण से एक संकेत जरूर मिलता है कि ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता हो सकती थी, उपेक्षा नहीं। और उसके बाद में जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती रहीं आज तक और कल तक, और जो सजगता राजतन्त्र द्वारा इस विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जाने के बाद दिखाई गई इससे प्रतीत हुआ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजतन्त्र या लोकतन्त्र ?

श्री अध्यक्ष : राजतन्त्र ! उससे यह प्रतीत होता है, इसमें उपेक्षा वृत्ति कम और उदासीनता अधिक है। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं राज्य सरकार के प्रति खेद प्रगट करता हूं। राज्य सरकार ने सदन की मेज पर ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने में व्यवस्था के अनुसार जो उदासीनता दिखाई है वह उदासीनता उपयुक्त नही है। साथ ही मैं उसकी इस वृत्ति पर भी दुःख एवं खेद प्रकट करता हूं। हिन्दीकरण के बारे में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ही आप खेद प्रकट करते रहेंगे या सरकार भी प्रकट करेगी ?

श्री अध्यक्ष : हिन्दी के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है कि हिन्दीकरण हो रहा है वह भी उपयुक्त नहीं। इसलिये मैं विशेषाधिकार के प्रश्न को उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता; किन्तु राज्य सरकार को सजग अवश्य करना चाहता हूं कि भविष्य में यह उदासीनता कहीं उपेक्षा में परिणत न हो जाय। राज्य सरकार इसको अवश्य समझे। इस मान्यता के साथ मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने जो यह व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, उदासीनता और उपेक्षा में क्या अन्तर है ? क्या उदासीनता उपेक्षा का ही दूसरा तरीका नहीं है ? मैं इस बारे में आपका निर्णय जानने की अपेक्षा करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप इतनी व्यवस्था तो दे सकते हैं, जहां आपने अपनी उदारता बता कर खेद प्रकट कर दिया वहां सरकारी पक्ष मौन बैठा है। क्या सरकारी पक्ष ने आपसे प्रार्थना की है कि आप सरकार की ओर से भी खेद प्रकट कर दें ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से खेद प्रकट करने से उस खेद प्रकट करने का महत्व कम होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि सरकारी पक्ष अध्यक्ष महोदय के कहने में नहीं है क्योंकि उनके खेद प्रकट करने पर भी वह पक्ष खेद प्रकट नहीं करता। आपने उदारतापूर्वक अपनी ओर से खेद प्रकट कर दिया लेकिन आपके द्वारा खेद प्रकट करने से पूर्व सरकारी पक्ष द्वारा खेद प्रकट करना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो खेद प्रकट कर दिया लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

जितनी उदारता आपने बतायी उस उदारता का दुरुपयोग सरकारी पक्ष न कर सके कि अध्यक्ष महोदय ने खेद प्रकट कर ही दिया है, हमें खेद प्रकट करने की क्या आवश्यकता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अभी तक सरकारी पक्ष मौन बैठा है, उनमें कोई स्फुरण ही नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आखिर अध्यक्ष महोदय का निर्णय है!

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो अपनी भाषा में बड़प्पन दिखाकर जो कुछ कहा है उसके लिए सरकार की ओर बैठने वाले आभार प्रकट करते हैं...

श्री नत्थीसिंह : यह कहिये कि शर्म महसूस करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप इस तरह का इन्टरप्शन करके जो कुछ मैं इस बारे में कहने वाला हूं जो महत्व इसका है उस महत्व को आप कम करेंगे।

यह बात ठीक है कि, अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जो स्टेट एन्टरप्राइजेज है जिसमें कि सरकार के पचास प्रतिशत से अधिक के शेयर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर रखना सरकार ने माना है, वे रिपोर्ट्स सदन में आनी चाहियें। इसमें देरी हुई है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अफसरों द्वारा इस बारे में देरी हुई है उनकी जांच तो होगी ही लेकिन सदन के सामने मैं बड़ा अफसोस और खेद प्रकट करता हूं कि ये रिपोर्ट्स समय पर सदन के सामने नहीं आ पाईं।

जिन कम्पनीज में या जिन उद्योगों में हमारे मेजोरिटी शेयर्स नहीं, जिनके मैनेजमेन्ट पर हमारा कन्ट्रोल नहीं उनकी रिपोर्ट्स को रखने के सम्बन्ध में पहले भी इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और हमने अपनी तरफ से सदन में यह भी बयान दिया था कि ऐसी रिपोर्ट्स को रखना लाजिमी नहीं। अब आप चाहते हैं कि सरकार पांच शेयर्स भी हों, मेजोरिटी शेयर्स न होने की हालत में भी शेयर होल्डर्स की तरफ से हमको जो कॉपी मिलती है वह सदन की मेज पर रख देंगे। ऐसी हिदायत दी जा चुकी है आगे के लिये उस पर अमल किया जायगा।

विशेषाधिकार का प्रश्न

दैनिक पत्र नवज्योति से सम्बन्धित

श्री अध्यक्ष : एक विशेषाधिकार का प्रश्न दैनिक नवज्योति के २७-५-६७ के अंक में प्रकाशित उनके भाषण से सम्बन्धित प्रकाशित सामग्री के विषय में सूचना दी है। उनको आपत्ति समाचार-पत्र के निम्न कथन पर है :

"शेखावत ने कहा सतीशचन्द्र अग्रवाल ने मकान किसी एक व्यापारी से एक लाख रुपया लेकर नहीं बनाया। प्रतिपक्ष के आरोपों का उत्तर नहीं दे पाये इस वास्ते बेबुनियाद आरोप लगाया है।"

इस विषय में सम्पादक नवज्योति से स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि पूरी तरह से नहीं सुनने के कारण यह उनकी गलती हुई है ....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप फरमा दीजिये।

Page No.40

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने जो सदन में स्टेटमेण्ट दिया था जो आपने सदन में पढ़कर सुनाया। मैंने व गोकुल-प्रसादजी एम० एल० ए० ने सतीशचन्द्र अग्रवाल के सम्बन्ध में यह कह कर कि वे उपस्थित नहीं थे उनकी अनुपस्थिति में मैंने उनकी बात का खंडन करते हुए कहा था, जो स्टेटमेण्ट सदन में दिया था उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा। उस समय मैं यहां नहीं था जब बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सतीशचन्द्रजी अग्रवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने व्यापारियों से एक लाख रुपया लिया है, यह आरोप उनके सामने लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। अब तक जहां तक मैं सतीशचन्द्रजी अग्रवाल को देखता आया हूं या देखा है यह विश्वास-पूर्वक कह सकता हूं कि उन पर ये आरोप निराधार हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं। ईर्ष्यावश हमारे आरगूमेन्ट्स से जब वे मीट नहीं कर सकते तो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा कर किसी के चरित्र पर लांछन लगाना चाहते हैं। इतना कह कर मैं बैठ गया।

राजस्थान से प्रकाशित दैनिक नवज्योति ने लिखा है। यह सुनकर माननीय सदन के सदस्यों को ताज्जुब होगा कि माननीय सदस्यों के भाषण का किस प्रकार से प्रति-वेदन किया जाता है।

"श्री शेखावत ने कहा मैं जहां तक सतीश-चन्द्र अग्रवाल को जानता हूं उन्होंने अपना मकान किसी व्यापारी से एक लाख रुपया लेकर नहीं बनाया है। माननीय सदस्य प्रतिपक्ष का उत्तर नहीं दे पाये इसलिये बेबुनियाद आरोप लगाये हैं।"

ये दोनों स्टेटमेन्ट पढ़ने के बाद आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो कुछ स्टेटमेन्ट दिया गया है वह सही रूप में नहीं छपा है। अपनी तरफ से बढ़ाकर सतीशचन्द्र अग्रवाल को बदनाम करने की नीयत से प्रकाशन हुआ है। इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह सब कार्यवाही क्यों हुई ? अभी-अभी मैं जब सदन में पहुँचा तो मुझे एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था नवज्योति ने ३१ तारीख की भूल सुधार की है जो इस प्रकार है :

"भूल सुधार"

"२७ मई, १९६७ के दैनिक नवज्योति (जयपुर, प्रभात संस्करण) में हमारे विधान सभाई प्रतिनिधि द्वारा एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि जनसंघ के प्रमुख सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल पर विधान सभा में कांग्रेस के सदस्य श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ने खाद्यान्नों का राज-कीय व्यापार न होने देने के लिये एक लाख रुपया प्राप्त करने का आरोप लगाया।"

"उक्त समाचार स्पष्ट सुनाई न पड़ने के कारण भ्रमवश सही रूप में प्रकाशित नहीं हुआ।

श्री अग्रवाल के प्रति इन्साफ करने के लिये हम उक्त समाचार के लिये खेद व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं।"

आज भी वह श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल पर कृपा कर रहे हैं। उसने जो गलती की उसका पश्चाताप नहीं बल्कि उसने जो गलत खबर छाप दी उसका स्पष्टीकरण भी गलत किया गया है। उन्होंने मेरे भाषण के अंश के रूप में जो अखबार में प्रतिवेदन दिया है उसके बिल्कुल विपरीत स्पष्टीकरण दिया है। इसके अतिरिक्त इसके पीछे सबसे बड़ा राज....

Page No.41

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं व्यवस्था दे रहा था उसके बीच में ही आपने........

श्री भैरोंसिंह : मैं सिर्फ एक बात......

श्री अध्यक्ष : मैं इस सारे प्रश्न को रूल १९२ के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं दूसरी बात करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह बात खतम हुई। मैंने विशेषाधिकार समिति को......

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि विशेषाधिकार समिति के पास यह प्रश्न जाय, कोई बड़ा बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पत्र हमेशा इस प्रकार के ऑफेन्सेज करता रहा है, सदन की रिपोर्ट्स गलत ढंग से छापी है। ऐसे पत्र के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको सदन की बार में पेश करना चाहिए। आज मेरे भाषण की गलत रिपोर्टिंग की, कल दूसरे मेम्बर की करेगा.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! विशेषाधिकार समिति सारे प्रश्न को देख लेगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो एडिटर के नाम का पत्र पढ़कर सुनाया, वह एडिटर का नहीं है, उस कोरेसपोन्डेन्ट का नहीं है जो इस सदन में पास लेकर प्रेस गैलरी में बैठते हैं। न मालूम किसने दे दिया और न मालूम आपने किस आधार पर पढ़कर सुनाया.......

श्री अध्यक्ष : कौनसा पत्र ? पत्र मैंने कहां पढ़कर सुनाया ?

श्री भैरोंसिंह : आपने दो-तीन लाइन्स पढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : खेद प्रकट किया है, मैंने अपनी स्मृति से किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि सम्पादक ने खेद प्रकट किया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो पढ़ा वह आपका वर्णन पढ़ा। पत्र को मैंने उठाया, आपने ओब्जेक्शन लिया और आप बात करने लग गए। उस पत्र को मैं पढ़ना चाहता था....

श्री भैरोंसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि यह पत्र प्रेस रिपोर्टर का नहीं है। जिसको अध्यक्ष महोदय से प्रेस गैलेरी का पास मिला हुआ है, यह दूसरे व्यक्ति का है। आपके साथ भी चालाकी की जा रही है कि एडिटर के नाम से आपको पत्र लाकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं उस पत्र का नोटिस नहीं लेता। गृह मंत्री महोदय !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो श्री गोकुलप्रसादजी ने भाषण दिया, उसमें दो लाइन्स मेरे सम्बन्ध में हैं, और वे क्या हैं ?

मैं बता सकता हूं कि [× × × × × ×] ये पैसे वालों की दलाली करते हैं। इन दलालों से सावधान रहिये। मैं विरोधी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप पैसे वालों की दलाली करना छोड़ दें और राजस्थान की पब्लिक को इनका जो लूटने का इरादा है उसको

××××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

छोड़ दें। जितने जखीरेबाज लोग हैं और जिनके पास नाज इकट्ठा हुआ है जैसे कि अभी कहा गया कि सवाई माधोपुर में पकड़ा गया। यह जो इस प्रकार की बात है, इसलिए पढ़कर सुनाया है। यह मेरा स्वयं का प्रश्न है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा लेकिन मैंने जब कार्यवाही देखी तो देखा कि मेरे खुद के बारे में रेफरेंस था। वह इतना था कि

[× × × × ×]

चुनाव से एक दिन पहले, या दो दिन पहले, एक महीना पहले, ४ महीना पहले हजारों की थैलियां राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भेंट की थीं। मुझे भी राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष के नाते मिली हैं, भैरोंसिहजी को मिली हैं, अटलबिहारी वाजपेयी को एक लाख की थैली जयपुर में भेंट हुई थी, वह थैली तो पार्टी के नाम आती है। आप लोगों को भी भेंट होती हैं। यह हो सकता है कि जो अटलबिहारी वाजपेयी को एक लाख की थैली मिली थी उस बारे में माननीय सदस्य को गलतफहमी हो। इसका समाचार तो जगह-जगह अखबारों में आया था। और भी जो थैलियां भेंट होती थीं अखबारों में समाचार आते थे कि भैरोंसिहजी को, गोयल साहब को, सतीशचन्द्र को थैलियां भेंट हुईं; चुनाव से पहले थैलियां भेंट हुई हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। चुनाव फण्ड के लिए जो थैलियां भेंट होती हैं वे पार्टी के आॅफिस में बंद हैं लेकिन चुनाव से पहले किसी एक व्यक्ति को किसी व्यापारी ने कोई थैली भेंट नहीं की या चैंक नहीं दिया। तो यह कहना कि किसी व्यापारी ने [×××××] यह सर्वथा असत्य, झूठ और बेबुनियाद है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मैंने कहा चिट्ठी आई है, मैंने थैली के लिए नहीं कहा, मैंने प्रोसीडिंग्स को ठीक करवा दिया है.......

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि [×× × × × × ×] यह बात गलत है, आगे क्या है, आप कहिए। लेकिन आपने सदन में स्पष्टीकरण कर दिया कि [× × × × ×] यह बात आपने स्वीकार कर ली, इसके लिए आपको धन्यवाद है लेकिन मैं तो आपके बारे में नहीं कहना चाहता था। प्रश्न चल रहा था नवज्योति का। अगर सारे मामले को ब्रीच आॅफ प्रिविलेज मानते हैं तो सारी अपोजीशन का सवाल खड़ा होगा। जिस ढंग से आपने बातें कही हैं कि हम व्यापारियों से पैसे लेकर स्टेट ट्रेडिंग का विरोध करते हैं, इस प्रकार के एसपरशन्स यदि सदन में किए गए तो कोई सदस्य बचने वाला नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग का विरोध इसलिए करते हैं कि यह हमारी पार्टी की नीति है। रामानन्दजी अपनी बात इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उनकी पार्टी की नीति है। आप कहते हैं कि सरकार इसलिए नहीं करती है क्योंकि समर्थ नहीं है। मैंने स्वयं फूड एडवाइजरी कमेटी में कहा था कि राजस्थान की जनता का भुखमरी का हल आइड्योलोजी और डोगमा से नहीं हो सकता। तो सदन का कोई सदस्य खड़े होकर कहे कि अपोजीशन के लोग संयुक्त दल बनाकर इस प्रकार स्टेट ट्रेडिंग का विरोध

××××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.43

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर रहे हैं, व्यापारियों से पैसा लेकर दलाली कर रहे हैं। यह सब श्री गोकुलप्रसाद को शोभा दे सकता है। लेकिन इस सदन का कोई जिम्मेदार सदस्य किसी सदस्य के बारे में इस प्रकार के सीरियस इम्प्यूटेशन्स नहीं करेगा। यह तो विरोधी दल का लिबरल एटीट्यूड है कि जिन्होंने आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन नहीं दिया......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अब करिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे पास भी बहुत मसाले हैं [× × × ×] लेकिन हम व्यक्तिगत मामले सदन में नहीं उठाना चाहते हैं [× × × ×]

(१ म. प.)

मुझे बड़ा खेद है, दुःख है। मैं सदा से इस विचार का रहा हूं और ऐसी स्थिति में इस सदन में व्यक्तिगत किसी सदस्य के बारे में मैंने आज तक कोई बात नहीं उठाई। न उठाना चाहता हूं। आज भी नहीं उठाता। पर उन्होंने प्रोवोक किया।

(व्यवधान : शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! माननीय सदस्य को पर्सनल एक्स्प्लेनेशन का समय मिलेगा। आपके बोलने के बाद।

श्री सतीशचन्द्र : तो मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि........

श्री खेतसिंह : ये भी पर्सनल न कहें।

श्री अध्यक्ष : खेतसिंहजी, मैं आश्वासन देता हूं कि पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के लिये उनको समय दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता। प्रोवोक किया इसलिये इतनी सी बात कह दी। इसके लिये भी मुझे बड़ा खेद है। दस साल का यहां का रेकार्ड मेरा है, कभी व्यक्तिगत किसी पर छींटाकसी नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम पॉलिसी की बातें करते हैं, इसलिये, अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस सारे मामले में उन्होंने इस बात को, गोकुल-प्रसादजी स्वयं ने, स्पष्ट कर दिया कि [× × × × ×] ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। यह गोकुलप्रसादजी ने हाउस में स्पष्ट कर दिया। अब मेरे लिये कुछ अधिक कहने को नहीं रह जाता। अब अगर उन्होंने नहीं कहा तो वे बातें कैसे छप गईं? यह तो, अध्यक्ष महोदय, आपके देखने की बात है। बात साफ हो गई। चूंकि वह कहते हैं कि उन्होंने यह बात नहीं कही तो बात खतम हो गई। आगे कुछ कहने को नहीं रहा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज!!

श्री मदनसिंह : दोनों तरफ से एक-दूसरे पर एलीगेशन लगाया गया है। तो क्यों नहीं इनकी जांच कराली जाय?

××××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा सवाल है मैं तैयार हूं इसके लिये। कोई जांच कराइये। अब कराइये, बाद में कराइये। सदन के उसी पक्ष के तीन मेम्बरों को नियुक्त करके करा दीजिये। खेतसिंहजी को नियुक्त कर दीजिये। दामोदरलालजी व्यास को कर लें। मथुरादासजी को कर लें। और जहां तक मेरे पर्सनल चरित्र का सवाल है आप जांच करा सकते हैं। कांग्रेस के मेम्बरों से करा सकते हैं, उनको नियुक्त कर दीजिये। डागाजी को, पी. के. चौधरी को, खेतसिंहजी को कर दीजिये। जैसा, अध्यक्ष महोदय, आप चाहें आप जांच करा लीजिये जहां तक मेरे व्यक्तिगत अपने पर्सनल का सवाल है।

श्री मदनसिंह : आपका तो हो गया, उधर का क्या हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [X X X]

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद ! पर्सनल एक्स्प्लेनेशन।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में कहा गया कि स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ नारा लगा कर पैसा लिया उस पर मैंने जो कहा उसको लेकर आरोप लगाये गये। मैंने ठीक कहा है। पैसा लिया गया है। या तो खाद्य मंत्री थे, खाद्य मंत्री के खिलाफ स्टेट ट्रेडिंग की बात को लेकर कहा गया। पक्षपात की बात कही गई। बराबर सारे जिलों से सारे राजस्थान भर से व्यापारियों से पैसा लेकर चुनाव लड़े गये हैं। स्टेट ट्रेडिंग की खिलाफत करने के लिये खड़े किये गये, पैसा दिया गया। अब स्टेट ट्रेडिंग के जो पक्षपाती हैं उन पर यह बात लागू नहीं होती कि उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़े गये हैं। स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ व्यापारियों से पैसा आया है। वह बात कहना जुर्म नहीं है। आप भी इसी तरह बहुत दफा कहते हैं कि आपने यानी हमने पैसा लिया है।

इसके बाद आप मेरी व्यक्तिगत बात करते हैं। इसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा व्यक्तिगत कहने का कोई मन नहीं था। उन्होंने यह तो प्रोवोक किया इसलिये कह दिया, नहीं तो उसके लिये मुझे खेद है, दुःख है, अध्यक्ष महोदय।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : जो गोकुलप्रसादजी के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि इस तरह से [XX X X X] यह सारा का सारा प्रोसीडिंग्स में से हटा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : It may be expunged.

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं निवेदन करूंगा.......

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपका इकतरफा फैसला होगा। अगर गोकुलप्रसादजी पर लगाया गया आरोप एक्सपन्ज हो सकता है तो सतीशचन्द्र पर लगाया गया आरोप प्रोसीडिंग्ज में रखना आप कैसे उचित मानेंगे ? वह तो प्रोसीडिंग्ज में से हट जाय और सतीशचन्द्रजी पर लगाया गया आरोप प्रोसीडिंग्ज में रहे, यह कैसे उचित होगा ?

XXXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : वह भी एक्सपन्ज किया जाता है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गृह मन्त्री महोदय, ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मुकुटबिहारीलाल : क्या इस सदन की यह परम्परा रही है कि पिछली कार्यवाही को आज एक्सपन्ज कर सकते हैं जब कि इसके बारे में पत्रों में प्रचार और प्रसार भी हो गया ? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : Order, Order. No point of order.

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष : फिर क्या रह गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी आपने उस कार्यवाही के आधार पर एक मामला प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया है। अब एक्सपन्ज कर देते हैं तो विशेषाधिकार कमेटी के सामने कौनसी प्रोसीडिंग्ज होगी जिसके आधार पर वह कार्यवाही चलेगी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज ! मैं उसको देख लूंगा। वह आ चुका है।

श्री भैरोंसिह : वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन है। उस दिन की कार्यवाही का आज की कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं है। आज की कार्यवाही से सम्बन्ध तो तब आवेगा जब प्रोसीडिंग्ज को ठीक करने की बात आवेगी। जैसा गोकुलप्रसादजी ने कहा अखबारों में गलत और भ्रमपूर्ण छपा है। यह दूसरा प्रिविलेज मोशन आता है। पर पहले वाले का उस दिन की कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग से सम्बन्ध है। आज के एक्सपन्ज का उस पर असर नहीं पड़ने वाला है।

श्री अध्यक्ष : (श्री मुकुटबिहारीलाल से) आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता से निवेदन करता हूं कि यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह हो गया, मैंने कह दिया। ऑर्डर ! ऑर्डर !!

माननीय गृह मन्त्री महोदय !

श्री मुकुटबिहारीलाल : यह व्यवस्था का सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार उठाते हैं। मैं इसे इस समय नहीं लूंगा। श्री गृह मन्त्री !

श्री नत्थीसिंह : क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न जिस वक्त उठाया जावे तो उस समय और दूसरा काम जारी रखा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न बार-बार उठाया जाता हो और जिसकी मन्शा इन्टरप्शन से सम्बन्धित हो, और उसका उपयोग ठीक न हो तो यह अध्यक्ष के डिस्क्रिशन पर है कि वह नहीं उठाने दिया जावे।

श्री मुकुटबिहारीलाल : बिना सुने कैसे ?

श्री शिवचरणसिंह (महुमा) : प्रोन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। आपके आदेशों को नहीं माना जावे तो उसके लिए क्या होना चाहिये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरी असहमति है। एक सदस्य सदन में जितनी बार चाहे उतनी बार व्यवस्था का सवाल उठा सकता है। व्यवस्था का सवाल खड़ा करने का काम आसन का नहीं सदन के सदस्य का है और उस व्यवस्था के सवाल पर निर्णय देने का काम आसन का है। अब अगर वह व्यवस्था का सवाल ऐसा है जो व्यवधान पैदा करने का कारण होता हो तो इसके लिये आप सदस्य को सदन से एक्सपेल कर सकते हैं, हाउस छोड़ने के लिये कह सकते हैं। पर यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि चूंकि बार-बार व्यवस्था का सवाल खड़ा करते हैं इसलिये बार-बार व्यवस्था का सवाल खड़ा करने का सदन के किसी सदस्य को अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी दूंगा कि जो व्यवस्था का प्रश्न, जिसके पीछे सिर्फ इन्टरप्शन होता है वह व्यवस्था का प्रश्न इन्टरप्शन को रोकने के लिये रोक दिया जाता है।

फिर भी व्यवस्था का प्रश्न महत्वपूर्ण होगा तो मैंने कहा गृह मंत्री के स्टेटमेन्ट के बाद ले लेंगे। इस स्टेटमेन्ट से इस व्यवस्था का सम्बन्ध हो तो अभी भी ले सकते हैं। पर मेरा विश्वास है इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : जब जानकारी लेनी हो मुकुटबिहारीलालजी को और व्यवस्था की बात कहनी हो तब आप खड़े हो जाते थे और कहते कि आसन पैरों पर है। ऐसी स्थिति में फिर व्यवस्था का प्रश्न उठेगा कैसे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामकिशनजी ने जो प्रश्न उठाया है इस पर मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इस सदन की मर्यादा का जितना आसन को खयाल है हम उसमें पूर्ण सहयोग देकर मर्यादा को कायम रखना चाहते हैं......

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर ध्यान दे दिया है और ध्यान भी सजगता से दिया है और आइन्दा ऐसा प्रश्न नहीं आयेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं खड़ा हूं तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए......

श्री अध्यक्ष : यह सही नहीं है। आसन खड़ा हो गया है तो माननीय सदस्य बैठ जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आप गलत परम्परा डालेंगे तो हम कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ये परम्परायें इस आसन की अभी से नहीं हैं कि माननीय सदस्य खड़े हों तो आसन बैठ जाये—ऐसी परम्परा नहीं है। परम्परा यह है कि आसन खड़ा हो तो माननीय सदस्य कृपापूर्वक बैठ जायें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : जो व्यवस्था का प्रश्न सदस्यों द्वारा उठाया जाये तो उसको सुना जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : एक परम्परा यह भी रही है कि आसन बहुत कम बार खड़ा होता है।

श्री नत्थीसिंह : यह परम्परा टूट रही है।

श्री अध्यक्ष : इस परम्परा को निभाया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और आप चाहते हैं कि सदन में कार्यवाही बहुत ही नियमों से और नम्रतापूर्वक चले तो हम इसमें पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं परन्तु उसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। जो माननीय सदस्य कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं तो कम से कम उसको सूक्ष्म रूप से सुनने के बाद आप अपनी व्यवस्था दें और रोकें, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि जब से यह सदन शुरू हुआ है तब से कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं वह सैन्टेन्स पूरा नहीं होने के पहले ही आप उसमें हस्तक्षेप करके व्यवस्था दे देते हैं तो यह एक व्यवस्था का उचित तरीका नहीं है ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिससे कि संतोष हो और हम आशा करेंगे कि आप इस बारे में अवश्य ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चहता हूं, अगर माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में कोई भी धारणा हो, किसी भी रूप से धूमिल हो या उग्र हो गई हो, तो वह धारणा निकाले जाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धारणा तो निकल जायेगी मगर आप बार-बार खड़े न हों।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री अपना वक्तव्य दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय (अश्रव्य) ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनाई नहीं दे रहा है।

एक माननीय सदस्य : अजी साहब जरा जोर से बोलें।

श्री रामकिशन : आपका मन्त्रालय तो डंडे वाला मन्त्रालय है, जरा जोर से बोलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, दिनांक २० व २१ मई, १९६७ की रात्रि को लगभग ९.०० बजे १४ व्यक्ति जिनमें से ११ खाकी कपड़े पहने हुए थे और राइफलों से सुसज्जित थे, अपने चेहरों को छिपाये हुए, ग्राम बिचपुरी (धौलपुर सब-डिविजन में) चम्बल की ओर से प्रवेश हुए व ग्यारसीराम त्यागी के घर में घुसे। वहां से वे श्री ग्यारसीराम के पुत्र श्री मोहनसिंह, उम्र १६ वर्ष, भतीजे उम्र १२ वर्ष व अन्य चार रिश्तेदारान (भंवरसिंह, होतसिंह, बसन्तसिंह व थानसिंह त्यागी) को जो वहां मिलने आये हुए थे, अपहरण करके ले गये। साथ में ग्यारसीराम व उसके पुत्र अजमेरसिंह, उम्र १२ वर्ष को भी पकड़ कर ले गये, किन्तु उन्हें बिचपुरी—एक मील के फासले पर छोड़ दिया व ५० हजार रुपये की मांग की।

ग्यारसीराम ने छूटते ही नगरहट्टा चौकी पर जो बिचपुरी से २॥ मील के फासले पर है, इत्तिला की। सूचना पहुँचते ही आधे घण्टे के अन्दर ही आर० ए० सी० पार्टी वहां तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच गई व डाकू दल का पीछा शुरू किया गया। डाकू दल के निशान सिर्फ जैतपुरा घाट तक जो लगभग ३ मील दूर है मिले, परन्तु जैतपुरा घाट से डाकू दल मध्यप्रदेश में चम्बल की घाटियों में निकल गया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

थानेदार, राजाखेड़ा श्री लखसिंह, सहायक कमान्डर, १२वीं बटालियन भी तुरन्त सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुँच गए। इस दल की माधो डकैत की गैंग की टुकड़ी होने की सम्भावना है, जिसमें बाबू, जगदीश, कल्याण आदि डकैत हैं।

एस० पी०, भरतपुर व डी० वाई० एस० पी०, धौलपुर भी जो अवकाश पर थे, दिनांक २२-५-६७ को व २४-५-६७ को मौके पर पहुँच गये। डी० आई० जी०, रेंज जयपुर ने २३-५-६७ को मौके पर पहुँच कर सारी कार्यवाही का पुनरीक्षण किया और उन्होंने मुरैना सुप० ऑफ पुलिस से भी सम्पर्क स्थापित कर इस डाकू दल को पकड़ने व अपहरण किये गये व्यक्तियों को छुड़ाने के सिलसिले में सहयोग प्राप्त किया। हमारी पुलिस द्वारा कई सस्पेक्टेड व्यक्तियों को राउन्ड-अप भी किया गया है व राजस्थान पुलिस मध्यप्रदेश पुलिस के सहयोग से सारे इलाके में छानबीन कर रही है व कई गांवों को कोम्ब कर लिया गया है। आई० जी० पी०, राजस्थान ने भी घटना के पश्चात् क्षेत्र का दौरा किया व ग्राम बिचपुरी भी पहुँचे व वहां के निवासियों को अपहरण किये गये व्यक्तियों को वापिस प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने का आश्वासन दिया व सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया।

सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी को नगरहटा से हटाकर किसी अन्य केन्द्रीय गांव में जहां से बिचपुरी, पहाड़ी, हनुमानपुरा आदि गांवों पर नियन्त्रण सुचारुरूप से किया जा सके, लाने का तय कर लिया गया है व इस चौकी पर पुलिस फोर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इस इलाके में गश्त व नाकेबन्दी का प्रबन्ध अधिक टाइटन-अप कर दिया गया है। राजाखेड़ा व बाड़ी में भी पर्याप्त फोर्स का प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस स्थगन प्रस्ताव में बाड़ी की डकैती के सम्बन्ध में जिक्र किया था। जो आपने सूचना दी है, असल में स्थिति यह है कि २० साल से जब से नयी सरकार बनी है तब से धौलपुर सब-डिविजन में यदि भारतवर्ष में धौलपुर को कोई जानता है तो वह यह भी जानता है कि वहां पर डकैत रहते हैं और डकैतियां पड़ती रहती हैं। वैसे वहां डकैत नहीं रहते हैं, साधारण नागरिक रहते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार इतना पैसा खर्च करके आर० ए० सी० की बटालियन लगाकर इन डकैतियों की संख्या को कम क्यों नहीं कर पायी ? बाड़ी, धौलपुर में और राजाखेड़ा में आये दिन डकैतियां पड़ती रहती हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जबकि इन तीनों जगहों में से किसी जगह डाका नहीं पड़ता हो। मैं जानना चाहूंगा कि आई० जी०, डी० आई० जी० पहुँच गये तो उसमें क्या हुआ ? उनको तो जाना ही था, इसमें कौनसी ऐसी बात है लेकिन जब डकैती हुई थी तो आर. ए. सी. की बटालियन दो मील पर ही पड़ी हुई थी, तो वह उस समय क्यों नहीं आई ? एस० पी० भरतपुर वहां पर क्यों नहीं पहुँचा, दूसरे अधिकारी क्यों नहीं पहुंचते हैं ? हमारे आई० जी० और डी० आई० जी० पहुँचते हैं घटना होने के बाद तो उनका तो वह तफरीह का दौरा होता है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि धौलपुर सब-डिविजन में डकैतियों का कारण क्या है ? क्या सरकार ने इसके लिए कोई नीति बनाई है ? हमारे राजस्थान से मध्यप्रदेश और

(श्री रामकिशन)

उत्तरप्रदेश की सीमा मिलती है। वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, यह डकैतियों का सबसे बड़ा कारण है। वहां की जमीन बहुत ज्यादा ऊँची-नीची है और वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां के निवासी निरन्तर जोर देते आ रहे हैं कि चम्बल रैवाइन्स को बराबर की जायें और वहां के आवागमन के साधन सरल किये जायें। क्या इन घटनाओं के बाद सरकार ने दिमाग बदला है या फिर धौलपुर को इसलिए पिछड़ा हुआ क्षेत्र रखना है कि उससे कुछ राजनैतिक लाभ उठाया जाये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा गृह मन्त्रीजी से कि केवल एक मामले की एक बार जांच करने का सवाल नहीं है। आज आपने कहा कि इस केस में ६ आदमियों को उठा ले गये तो दूसरे महीने आप सुन लेना कि ३ आदमियों को उठा ले जायेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार के पास कोई योजना है इस समस्या को हल करने की ? यदि है तो गृह मन्त्रीजी उसको स्पष्ट करें।

श्री देवीदत्त (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह धौलपुर और कोटा जिले का शाहबाद इलाका जो कि मध्यप्रदेश से बैल्ट एरिया है, उसमें आये दिन डकैतियां पड़ती हैं। गृह मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जिन ६ व्यक्तियों को डाकू लोग उठा कर ले गये हैं उनको छुड़ाने में आई० जी० और डी० आई० जी० तत्परता से लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से गृह मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि सदन के सामने वह जिस विश्वास के साथ यह बात कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। राजस्थान के अन्दर शाहबाद क्षेत्र के अन्दर जिन दो व्यक्तियों को विद्यासागर और........

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने एक और स्टेटमेण्ट दिया है धौलपुर में बिचपुरी गांव है उस संबंध में। माननीय सदस्य चाहते हैं शाहबाद में डकैती हुई उस सिलसिले में। मेरे खयाल से वह बिल्कुल रिलेवेन्ट नहीं है और जहां तक कि हमारे भरतपुर से आए हुए माननीय सदस्य ने कहा है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि धौलपुर, राजाखेड़ा और इसके आस-पास का क्षेत्र माननीय सदस्य स्वयं जानते है कि कितना डिफिकल्ट क्षेत्र है और राजस्थान के अन्दर खास तौर से चम्बल रिवाइन कितना डिफिकल्ट टैरेन है। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस बराबर एक्टिव है इस बारे में और इन स्टेट्स की पुलिस ने मिल कर डाकुओं को लिक्वीडेट किया है, परन्तु नए २ गैंग पैदा होते जाते हैं और समस्या पहले की तरह ही बनी हुई है, वैसी की वैसी समस्या बनी हुई है, फिर भी उनको लिक्वीडेट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जैसा बताया कि धौलपुर सब-डिविजन की कुछ चौकियों को री-एडजस्ट करके उनकी सीमा बढ़ा दी गई है, कुछ गश्त को भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इस बात पर भी विचार चल रहा है कि धौलपुर सब-डिविजन के अन्दर एक एडीशनल एस. पी. का हैडक्वार्टर कायम कर दिया जाय ताकि डाकुओं को लिक्वीडेट करके इनको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और इसके लिये जल्दी ही प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इस तरह के जो केसेज हो रहे हैं अपहरण के, डकैतियों के, यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है अपन सब के लिये हां।

Page No.50

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(१.२२ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको तरफ से जो भी सुझाव आयेंगे उन पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और उन पर सहर्ष अमल करने की कोशिश करेंगे।

जहां तक आपने कहा कि चम्बल रेवाइन्स के लिए सड़कों वगैरह की कोई स्कीम है या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि चम्बल रेवाइन की जमीन का काम बहुत बड़ा काम है। इसको अगर हम चाहें कि एक दम से पूरा कर दें तो यह सम्भव नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बारे में सरकार विचार कर रही है और ऐसी स्कीम सरकार के विचाराधीन भी है। वहां पर यातायात के साधन बढ़ सकें और चम्बल रेवाइन्स को खत्म किया जा सके इस प्रकार की स्कीम पर सरकार विचार कर रही है। यातायात के साधन बढ़ा कर एण्टी-डेकोइटी ऑपरेशन को मदद पहुंचाई जा सके और पुलिस को मदद पहुँचाई जा सके इस बात की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरा अर्ज करना यह है कि जहां तक अपहरणों का ताल्लुक है जैसा मैंने आपसे कहा कि यह समस्या हम सबके लिए चिन्ताजनक है और एक-दो महीने में ऐसे केसेज होते रहते है। धौलपुर ही नहीं, शाहबाद और दूसरे क्षेत्रों में जहां पर कि चम्बल रेवाइन्स पड़ती हैं मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बोर्डर है वहां पर इस प्रकार की गैंग्स काम कर रही हैं और वहां पर इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। परन्तु यह भी मैं आपको अर्ज करूंगा कि इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि पुलिस की तरफ से इनको लिक्वीडेट करने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है और बहुत काफी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में गैंग्स को लिक्वीडेट किया गया है। परन्तु नए-नए गैंग्स फिर खड़े हो जाते हैं और यह समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। जहां तक पुलिस के काम का ताल्लुक है पुलिस बराबर इस बारे में प्रयास कर रही है। आई. जी., डी. आई. जी., पुलिस फौरन वहां पर मौके पर गए हैं और यही बात नहीं है कि सैर करने के लिए चले गये हों बल्कि उन्होंने वहां जाकर डायरेक्शन्स दिये हैं। इण्टर-स्टेट्स पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुला कर एण्टी-डेकोइट्स ऑपरेशन्स का कंसोलिडेटेड प्लान बनाया है और जो लोग किडनेप हुए हैं उनको किस तरह से वापिस लाया जाय और आयन्दा इस प्रकार की घटनाएं न हों उसके लिए प्लान बनाए गए हैं।

श्री रामकिशन : इसमें आपने बाड़ी का जिक्र नहीं किया है।

श्री देवीदत्त : मैंने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा था और गृह मंत्रीजी ने जो बात कही है उसके बारे में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं और मेरा यह अनुभव है ..

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : आपका स्थगन प्रस्ताव कहां है, यह तो रामकिशनजी ने रखा है।

श्री देवीदत्त : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। आपको यदि जानकारी न हो तो पहले जानकारी करलें और फिर कुछ बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आपका स्थगन प्रस्ताव अभी नहीं लिया गया है, उसको बाद में लिया जाएगा। अभी तो जो बिचपुरी गांव की डकैती के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया है उसी को लिया गया है।

श्री देवीदत्त : छः बरातियों को उठा कर ले गये हैं उसी के सम्बन्ध में इन्होंने स्पष्टीकरण किया है। धौलपुर में जो डकैती हुई और उसमें छः बरातियों को उठा कर ले गये हैं ..

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव नहीं मिला है, वह मिलेगा तब उस पर स्टेटमेंट अलग से दूंगा। आज के स्थगन प्रस्ताव से इसका सम्बन्ध नहीं है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़ी की डकैतियों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उनके बारे में मैंने इस स्टेटमेंट में कोई बात नहीं कही है क्योंकि यह हो सकता है कि आपने स्थगन प्रस्ताव में इस घटना के सम्बन्ध में भी कोई जिक्र किया हो लेकिन बाड़ी में कुछ डकैतियां हुई हैं उस सिलसिले में मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कोई बात बता सकूं। इन चारों डकैतियों के बारे में मुफस्सिल जानकारी करके अलग से सूचना दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो धौलपुर की डकैती का सवाल है, इस मसले को पिछले सदन में भी कितनी ही बार उठाया गया है और पहले भी सब तरफ से यही बातें कही गई हैं। अगर इस डकैती वाली प्रोब्लम्स को सही तरीके से सही माने में राज्य सरकार हल करना चाहती तो या तो यह तरीका है कि हम तमाम तथ्यों को सदन में प्रस्तुत करें। इस समय जो सदन में वित्त मंत्रीजी बैठे हैं आप उस वक्त गृह मंत्री थे और उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों से सहयोग लेकर इस समस्या को हल करना चाहेंगे। मैं खेद के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक कोई भी बात हमसे इस बारे में नहीं की गई है, कोई भी सहयोग आज तक नहीं चाहा गया है। आज जो यह समस्या सदन के सामने है उसे हमें मूलभूत समस्या की तरह देखना होगा कि कौन डकैती डलवाता है, डकैती डालने वाले कौन लोग हैं, पुलिस का क्या सम्बन्ध रहता है उनसे डकैतों का माल कौन लेता है ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप ये सब मसले सामान्य वादविवाद के समय उठा सकेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं तो यह सुझाव दे रहा हूं मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। ये मोटे-मोटे मसले हैं, हम इन क्षेत्रों में घूमते हैं तो हमारी नजरों में सही तथ्य रहते हैं। जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, अगर सही तौर पर जानकारी चाहते हैं तो हमें सोचना होगा कि मुखबिरों का क्या रोल रहता है, मुखबिर किस तरह से डकैतियां डलवाते हैं, कौन २ पुलिस आफिसर इसमें एण्टैंगल रहते हैं ? उनकी आलोचना करने की दृष्टि से या किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हमें इस समस्या को हल करना है, तो हमें चेम्बर में बैठ कर जो सीक्रेट महत्वपूर्ण सूचनायें हैं जो कि फ्लोर ऑफ दी हाउस में नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन जो सूचनायें हैं उनका उपयोग किया जा सकता है और इसलिए हम यह चाहेंगे कि गृह मन्त्री महोदय इस प्रकार के सुझावों पर अमल करें और सब पक्षों का सहयोग लेकर जनहित के कार्यों को शुरू करेंगे और जो वहां के प्रसिद्ध लोग हैं उनको सुख पहुंचाने के लिये, उनको राहत पहुंचाने के लिये कदम उठायेंगे, ऐसी बात की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी होऊंगा कि.......

(श्री बनवारीलाल कुछ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री रामकिशन : यह धौलपुर के माननीय सदस्य कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : धौलपुर के माननीय सदस्य को भी सुनूंगा। आपने यह बात कही कि दूसरे माननीय सदस्यों का सहयोग लेकर इस समस्या को हल किया जाय तो इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका आभारी होऊंगा अगर कोई इस प्रकार की सूचना देंगे कि जिससे एण्टी-डेकोइटी ऑपरेशन्स में मदद मिल सकेगी। ऐसी सूचनाओं का मैं स्वागत करूंगा और इसके लिए मैं उनका अहसानमन्द होऊंगा और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इस प्रकार की सूचना देंगे उसके ऊपर मैं अवश्य ही जो कुछ भी कार्यवाही करना होगा, जरूर करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं। जो असल सवाल है, इस समस्या को हल करने का और जिसे रामकिशनजी ने अपने सवाल के रूप में उठाया था कि चम्बल रेवाइन्स को खत्म करने के लिए कोई योजना सड़कें वगैरह बनाने की आपके विचाराधीन हैं और उस पर आपने कहा कि यह हमारे विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदय, बीस साल से यह समस्या है और बीस साल से ही डकैतियां और अपहरण के केसेज़ हो रहे हैं, तो ये कब से विचाराधीन हैं? हम तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान आप कब तक कर पायेंगे? इस बात को सही तौर पर आप यहां बतायें कि इतने समय में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अभी तो आप गृह मन्त्री हैं, आपसे पहले जो आपके उधर बैठे हैं वे गृह मन्त्री थे पहले, वे चले गये, आप भी कुछ समय बाद चले जायेंगे और यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस समस्या को सही तरीके से हल किया जाय तो इन रेवाइन्स को खत्म करके सड़कें वगैरह बनायें और धौलपुर को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप मे इसका एक अलग से जिला बनायें, धौलपुर जिले का निर्माण किया जाय और इस प्रकार वहां की समस्या का समाधान करें तभी कोई उपाय हो सकेगा, नहीं तो रोज-रोज लोग लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। धौलपुर के लोग आपकी तरफ झांकते रहेंगे लेकिन आपसे दब जाते हैं। आपकी तरफ देख कर दब जाते हैं लेकिन मन में वेदना उनके भी बहुत है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक संरक्षण चाहता हूं। माननीय गृह मन्त्री धौलपुर के सदस्य को भयभीत कर रहे हैं, इसलिये वे चेयर की तरफ देख रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भयभीत होने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो स्वयं इसकी ताईद करता हूं कि धौलपुर का अलग जिला बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्यक पर सामान्य चर्चा। श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री देवीदत्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का जो जवाब दिया जाने वाला था।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर कल निर्णय दिया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एटोमिक पॉवर प्लान्ट में आग लगी थी १२....

श्री उपाध्यक्ष : ४ बजे।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : I will just give him information. मैं दे दूंगा इसका स्टेटमेन्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार बजे कौनसा स्टेटमेन्ट होगा, उपाध्यक्ष महोदय !

रावतभाटा एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रावतभाटा एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट वैसे भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और राजस्थान सरकार का इससे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है और इसलिये यहां इस सम्बन्ध में कोई स्टेटमेन्ट देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो भी एक फेक्चुअल रिपोर्ट ऑफ दी इन्सीडेन्ट के बारे में जिसके सम्बन्ध में यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया है, मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए देना ठीक समझता हूं।

"दिनांक १२-५-६७ को रात्रि के लगभग ६.३० बजे रावतभाटा स्थित एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट के ऊपर रिएक्टर के ऊपरी भाग में जहां कन्स्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, आग लग गई। लकड़ी का स्ट्रक्चर व अन्य सामान जो ऊपर कन्स्ट्रक्शन के सिलसिले में इकट्ठा किया गया था या उपयोग में आ रहा था, जल गया। उस ऊंचाई पर जो लगभग १५०-२०० फीट है, उस समय २०-२५ आदमी काम कर रहे थे। आग लगते ही वे तुरन्त नीचे आ गये व किसी की जान को हानि नहीं पहुंची। कुछ स्टोर का सामान जो पास पड़ा हुआ था वह भी जल गया। आग लगने के १५ मिनट के अन्दर ही तीन प्रोजेक्ट अधिकारी स्थल पर पहुंच गये व अन्य अधिकारी भी कोलोनी से आधे घण्टे के अन्दर-अन्दर पहुंच गये। अधिकारियों ने पुलिस को व सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त सूचित किया। आग पर काबू प्राप्त करने के लिये उपलब्ध साधनों के द्वारा ऊपर टेम्परेरी लाइन से पानी पहुंचाया गया व सभी उपस्थित आदमियों द्वारा जो २००-४०० थे, पानी व रेत पहुंचा कर आग बुझाने में सहयोग दिया गया व भभकने वाले सामान को अन्यत्र हटाया गया। कोटा से दो फायर-ब्रिगेड व डी. वाई. एस. पी. व आर. आई. मय फोर्स सूचना मिलने पर लगभग १-४० बजे पहुंच गये व सब तरफ आग बुझाई गई। प्रातः ५ बजे तक सारी आग बुझाई जा चुकी थी।

लकड़ी का स्ट्रक्चर जो संभवतः आर. सी. एस. के काम के लिये लगाया गया था, जल जाने से जयमन एण्ड कम्पनी को लगभग ५ लाख की हानि हुई।

यह उल्लेखनीय है कि ऊपर की गुंबज के नजदीक काफी लकड़ी बिखरी हुई थी, बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ था, गैस कटिंग का काम व वेल्डिंग का काम भी चलता रहता था और उस समय हवा भी तेज चल रही थी। अतः किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी असावधानी से या टेक्निकल डिफेक्ट से आग लगना सम्भव था। इस विषय में विभागीय जांच चल रही है व उसके समाप्त होने पर ही निश्चित कारण सामने आ सकेगा।"

श्री देवीदत्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्थगन-प्रस्ताव रखा है। मेरी जानकारी के अनुसार यह अणु-शक्ति केन्द्र में जो आग लगी है उस आग लगने के कारण

(श्री देवीदत्त)

१ करोड़ का नुक्सान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष, इस अणु-शक्ति केन्द्र के अन्दर एयरटाइट मशीन है और उसके अन्दर जो टोम्ब हैं आग लग जाने के कारण ऐसा अन्देशा है कि टोम्ब के अन्दर क्रेक्स आ गई हों....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया प्रश्न के रूप में पूछें तो ज्यादा सूचना प्राप्त हो सकेगी भाषण देने के बजाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा:—

(१) इस एटोमिक प्लांट में जो आग लगी है वह आग स्वतः लगी है या आग लगने पीछे कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही है ? और इस प्रश्न को रख कर मैं जानना चाहूंगा कि सरकार किस नतीजे पर अभी तक पहुँची है और जो कुछ इन्वेस्टीगेशन अभी चल रहा है वह किस दिशा में चल रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि यह आग १२ और १३ तारीख के बीच की रात को लगी है उससे ७ दिन पहले २-३ बार उसके निचले हिस्से में आग लग चुकी थी जैसा कि स्थगन-प्रस्ताव में लिखा है कि आग लगने से ७ दिन पहले इस टोम्ब के निचले हिस्से के अन्दर आग लगी थी ?

(३) क्या यह सही है कि जो वहां पर ट्रॉलीज काम में लाई जाती हैं और जो रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं ताकि उसके अन्दर जल्दी मूवमेंट हो तो ट्रॉलीज के नीचे से भी पटरियों को उस घटना से ३-४ दिन पहले तोड़ा गया था ?

(४) क्या यह ठीक है कि इस जगह पर जहां काम हो रहा है वहां हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी काम कर रही है ? क्या यह ठीक है कि हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के यहां उस घटना के रोज जो मजदूर काम कर रहे थे उन मजदूरों की हाजरी के लिए जो मस्टर रॉल हैं वे मस्टर रॉल अभी तक गायब हैं ? वे अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं ?

(५) क्या यह ठीक है कि जब यह आग लगी तो उस आग के लगने के तुरन्त पहले वहां पर ऑक्सीजन का सिलेन्डर मौजूद था ? जब आग लगती है और उस समय जब वहां पर पहुँचते हैं तो वह सिलेण्डर गायब था ?

ये प्रश्न हैं जिनके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा, और साथ ही साथ यह जानना चाहूंगा कि जो नुक्सान हुआ है वह केवल लकड़ी का नुक्सान हुआ है या लकड़ी के आधार पर जो आर० सी० सी० का वर्क उस टोम्ब पर चल रहा था उसके अन्दर भी क्रेक्स आ गई हैं और उस क्रेकनेस के कारण दुबारा सारा आर० सी० सी० का काम कराया जाना पड़ेगा, और इस आग लगने के कारण जो कार्य यहां पर चल रहा था उसके अन्दर कितना विलम्ब हो जायगा ? और स्पष्ट रूप से सारे प्रश्न के पीछे जो मेरी भावना है और मेरी मान्यता है कि स्वतः आग नहीं लगी है और सीलिंग में जो आग लगी है तो उस घटना के पीछे तोड़-फोड़ की कार्यवाही पंचमार्गी तत्वों की कार्यवाही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एटोमिक रिएक्टर का काम कर रही है उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसमें जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों की नेशनेलिटी की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद इस कम्पनी के बारे में मुझे यह भी जानकारी मिली है कि इस कम्पनी के पास कुछ कान्ट्रेक्ट्स पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान और भारत के सम्बन्धों में तनाव हो रहा है और पाकिस्तान कभी भी हिन्दुस्तान में एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट्स व प्लांट में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको नहीं चाहेगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सरकार ने जानकारी करने की कोशिश की है या करेगी कि उनके मजदूरों की नेशनेलिटी के बारे में तस्दीक नहीं हुई है या हो गई है? इन मजदूरों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कम्पनी में ट्रांसफर होते रहते हैं। इस कम्पनी का कोई आदमी कभी पाकिस्तान चला जाता है और कोई आ जाता है। इससे तोड़-फोड़ की आशंका और भी ज्यादा होती है तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का नाम लिया है तो वह वह कम्पनी नहीं है। वह डेमन्ट कम्पनी है जिसका काम पाकिस्तान में भी चल रहा है और हिन्दुस्तान में भी काम चल रहा है।

श्री देवीदत्त : इसके बारे में थोड़ा सा यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मेरी मान्यता ही नहीं है अन्य सदस्यों की और राजकीय अधिकारियों की, जिला स्तर के अधिकारियों की भी ऐसी मान्यता है और कुछ लोगों ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने यह स्वीकार भी किया था कि इसके अन्दर जो यह आग लगी है इसमें अराष्ट्रीय तत्वों का हाथ है। तो मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि जिस प्रकार से हिन्द कन्स्ट्रक्शन के अन्दर जो काम कर रहे थे तो क्या यह सही है कि उसके अन्दर कुछ ऐसे पाकिस्तान के नागरिक हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यही प्रश्न तो वे पूछना चाहते हैं। कोई अन्य बात हो तो आप फरमावें।

श्री देवीदत्त : जो ६१ के अन्दर ३ महीने का पासपोर्ट लेकर आये थे और लगातार राजस्थान में रह रहे हैं और उनकी पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद भी आज वे राजस्थान में हैं और राजस्थान के अन्दर आज भी कोटा जिले के अन्दर विचरण कर रहे हैं। क्या ऐसे तत्वों के बारे में सरकार जानकारी करेगी और यह भी बताएगी कि अभी तक ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? और मुझे विश्वास है कि इन तमाम के अन्दर ऐसे व्यक्तियों का जो पाकिस्तान सन् ६० के अन्दर चले गये थे और जो तीन महीने का पासपोर्ट लेकर आये थे और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई और समाप्त होने के बाद भी आज ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका सीधा-सादासा प्रश्न है कि उसमें विदेशी जो एजेन्ट्स हैं या गुप्तचर हैं उनका हाथ है और उनकी तरफ से यह सवाल पूछ लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि जो माननीय मंत्रीजी ने सूचना दी है यह सूचना किस रोज के आधार पर दी जाती है? आया कि राज्य सरकार ने कोई जिम्मेदार अधिकारी उस जगह पर भेजा है जहां कि आग लगी है और वह खुद जाकर इस स्थिति की जानकारी प्राप्त करके आया है, या वहां पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो कम्पनी के लोकल ऑफिसर्स काम करा रहे हैं उनके द्वारा भेजी हुई इन्फर्मेशन के आधार पर यह सूचना दी जा रही है ?

मेरी जानकारी के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक राजस्थान सरकार के कलेक्टर लेवल के ऑफिसर ने उस स्थान का निरीक्षण नहीं किया है। मेरे खयाल से राजस्थान गवर्नमेन्ट के इन्स्ट्रक्शन्स भी इस बारे में गये हैं लेकिन अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है कि आया कोटा का कलेक्टर वहां पर जायगा या कि एड्-जोइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसका कलेक्टर वहां पर जायगा। इस बहस के अन्दर आज तक दोनों जिलों में से एक का भी कलेक्टर वहां पर नहीं पहुंचा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि यह बात गही है तो यह बहुत गम्भीर है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के बारे में यह है, यह केवल राजस्थान के लिये अहमियत नहीं रखता है बल्कि नेशनल इम्पोर्टेन्स का प्रोजेक्ट है। वहां पर १२ मई को आग लग गई, लेकिन आज दिन तक, सरकार इतने दिन के बाद भी ३१ तारीख को यह बयान दे रही है। २५ तारीख को विधान सभा बैठी थी लेकिन तब तक सरकार के पास कोई ऑथोराइज्ड इन्फोर्मेशन इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं थी। इतनी बड़ी उदासीनता इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में होना अपने नेशनल इन्टरेस्ट को वाच नहीं करना है, यह बात इससे जाहिर होती है। आप बतायें कि स्थिति क्या है ?

श्री देवीदत्त : इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपने फरमा दिया था। जो कुछ भी... -

श्री देवीदत्त : मैं कह दूं तो उससे मंत्री महोदय को जवाब देने में मदद मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : जितना आपको फरमाना हो वह आप एक दफा में फरमा दें। बीच-बीच में बार-बार फरमाने की तकलीफ भी नहीं उठानी पड़े। मंत्री महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें तो मैं आधा मिनट के लिए दो एक बात पूछना चाहूंगा।

यह निर्विवादित बात है कि यह बहुत गंभीर विषय है और जो माननीय सदस्यों के द्वारा आरोप लगाये गये हैं वे भी बहुत गम्भीर है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेन्ट के अधीन है। मंत्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्पष्टतया यह बात सदन के समक्ष कहें कि एक्सक्लूजिवली जुरिस्डिक्शन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में है या कि जहां पर आगजनी हो या कोई विषम परिस्थिति का प्रश्न हो तो वहां पर कोई राज्य सरकार के द्वारा इन्टरफियरेंस का प्रश्न है या नहीं है ? अगर नहीं है बिल्कुल तो आप स्पष्टतया कहें कि यह केन्द्र के अधीन का प्रश्न है और इस बारे में जानकारी देने में आप बिल्कुल असमर्थ हैं। अगर ऐसी बात नहीं है और ओवर-लेपिंग जुरिस्डिक्शन है तो यदि आग-जनी जैसी दुर्घटना यहां पर हो जिस स्थान पर एटोमिक प्रोजेक्ट है, और वहां पर आग के द्वारा नुक्सान हुआ हो तो यह राज्य सरकार के अधीन का प्रश्न है या नहीं, राजस्थान सरकार के कन्सर्न का प्रश्न है या नहीं ? इस बारे में स्पष्टतया आपको स्पष्टी-करण करना चाहिये और स्पष्टतया कहना चाहिये कि अभी तक आपने क्या किया है और क्या कोई अरेस्ट हुआ है ? इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है या नहीं की गई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है ? इस बारे में, मेरे खयाल में, स्पष्टीकरण करना परमावश्यक है और आपको प्रकाश डालना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि....

श्री हरिसिंह (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट में आग लगी है उस विषय में क्या सरकार कोई जांच आयोग नियुक्त करने का इरादा रखती है ? और जिस दिन यह आग लगी है उसके क्या कारण हैं ? क्या वह नेग्लीजेंस से दुर्घटना हुई है या कोई नेचरल कारण है ? इस प्रकार का अभी तक मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त जहां तक मैं समझता हूं, वहां पर आग लगने के मौके पर सिवाय बेगूं के एस. डी. एम. के और कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। जिला स्तरीय अधिकारियों में से एस. पी. का और कलेक्टर का वहां पर पहुँचना बहुत आवश्यक था।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आग लगने से सरकार को कितना नुक्सान हुआ है और कम्पनी को कितना नुक्सान हुआ है ? यह भी मंत्री महोदय बतायें।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना बयान देने से पहले यह निवेदन कर दिया था कि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और राजस्थान सरकार से इसका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। कन्स्ट्रक्शन के अन्दर जो कम्पनी लगी हुई है, जो काम कर रही है वह सब भारत सरकार से ही नियंत्रित है, भारत सरकार का नियंत्रण है उनके ऊपर और उनसे बराबर उनका संबंध है। अभी जैसी कि विरोधी दल के नेता ने बात पूछी कि कोई अगर आग लग जाय तो उसमें उससे राज्य सरकार अपना संबंध समझती है या नहीं। वे खुद इस बात को जानते हैं कि कोई ऐसी घटना हो जाय जिसमें कोई क्राइम कमिट हुआ हो तो राजस्थान सरकार का जरूर सम्बन्ध आता है। परन्तु इस सम्बन्ध के अन्दर यह महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके बारे में आप सब इस बात को जानते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसकी इन्क्वायरी भारत सरकार के एटोमिक एनर्जी कमीशन के कुछ टेक्निशियन्स कर रहे हैं। सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्टेलीजेन्स इसकी इन्क्वायरी कर रहा है और यह जो ब्यूरो सेन्टर का है, एक उसके माननीय सदस्य इस बात की जांच कर रहे हैं। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, इसके लिए एक सीनियर एस. पी. को डेप्यूट किया गया, जो मौके पर पहुँचा और उसने वहां इसकी जांच की और इसकी जांच के अन्दर सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्टेलीजेन्स वाले या कमीशन वाले राजस्थान की पुलिस की इमदाद चाहेंगे तो वह भी दी जायगी। मौके पर कलेक्टर गये हैं, एस. डी. ओ., बेगूं गये हैं और एस. पी. गये हैं और उन्होंने अपनी-अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट दी है। परन्तु मैंने जैसा कहा कि इसका कारण क्या आग लगने का, इस स्थिति में मैं नहीं हूं कि कारण बता सकूं। इस समय यही कह सकता हूं कि इसकी हाई लेवल के और अच्छे योग्य व्यक्तियों के द्वारा जांच की जा रही है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कारण क्यों नहीं बता सकते ?

श्री दुर्गालाल बाददार : क्या इन्वेस्टीगेशन चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपनी बात समाप्त कर लूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने, खास तौर से जयपुर से आये हुए, जौहरी बाजार और किशनपोल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों ने सजेशन्स दिये हैं वे सजेशन्स सही हैं या ठीक हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग इन्क्वायरी कर रहे हैं और जो इस बात की जांच कर रहे हैं उन तक ये सजेशन्स पहुँचा दिये जायेंगे ताकि उन सजेशन्स को ध्यान में रख कर वे पूरी जांच कर सकें और उनको इन्क्वायरी में कारण मालूम करने में कुछ सहायता मिल सके।

जहां तक सवाल यह है कि कोई ऑफिसर मौके पर नहीं गया, मैं समझता हूं कि मैंने यह बताया है, एक सीनियर ऑफिसर को, एस. पी. को मैंने खुद ने भिजवाया है। यह कहना भी गलत है कि राज्य सरकार को इत्तला नहीं मिली। मैं निवेदन करूँ कि जिस रोज आग लगी है उस रोज ही हमको इत्तला मिल गई थी। और केवल यही नहीं, उस दिन ही एक सीनियर ऑफिसर को रवाना कर दिया था। हम जितना काम कर सकते थे, अधिकारियों को भेजने आदि का, वह हमने किया है। इस मसले की अहमियत माननीय सदस्य जानते हैं। मैं समझता हूं कि वे इस बात को महसूस करेंगे कि इस प्रश्न की डिटेल्स मेरे लिए आपको देना इस स्थिति में नामुमकिन और नामुनासिब है।

श्री देवीदत्त : मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि १९६० के अन्दर वहां पर पाकिस्तान के नागरिक थे जो तीन महीने का पासपोर्ट लेकर आये थे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं.........

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग प्रश्न है।

श्री देवीदत्त : कि वे आये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी आपको कहा कि मैंने जानकारी ले ली है और वह मैं पास ऑन कर दूंगा इन्क्वायरी ऑफिसर को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह जानकारी आपके विभाग में आ गई है, हाउस में भले ही आप न बतायें, इसके लिए मैं जोर नहीं देता। लेकिन आपको उस जानकारी के आधार पर कदम उठाना चाहिए वह आप उठायें। यह रिपोर्ट आपके पास आ गई है कि जयमन कम्पनी के जो काम करने वाले मजदूर थे उनमें कुछ एन्टी-नेशनल थे। उनकी नेशनेलिटी की तस्दीक नहीं हुई है। यह रिपोर्ट आपके पास सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स या किसी दूसरे सोर्स से आती है वह आ चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(१.४६ म.प.)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत पांच वर्ष के अनुभव के आधार पर और राज्य सरकार द्वारा दिये गये दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर मैं इस सदन के सामने निश्चयात्मक रूप से कह सकता हूं कि यह राज्य सरकार की कर लगाने की नीति, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा जो इन दस वर्षों से भारी टैक्सेज लगाये जा-रहे हैं इन टैक्सों को लगाने की नीति ऐसी है, जैसी दुःशासन में होती है। इन करों

Page No.59

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के क्रूर हाथों के द्वारा इस राजस्थान की जनता रूपी द्रौपदी के चीर का अपहरण करते जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में, इस राज्य की इन करों के भार के द्वारा, इस राज्य सरकार के करों के द्वारा स्थिति इस सीमा तक पहुँच गई है कि आज राजस्थान की जनता की कोई विशेष शक्ति नहीं रही है कि वह करों के भार को सम्भाल सके। वित्त मन्त्री महोदय ने आज सदन के सामने जो राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया है मैंने वित्त मंत्री के बजट भाषण को ध्यान से सुना और उनके द्वारा जो दी गई स्पीच है उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के वित्त मंत्री ने इस बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व अखबार के संवाददाताओं के सामने अपने विचार रखे और अपनी विचारधारा को किस प्रकार से व्यक्त किया यह मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि आगे आने वाला राजस्थान राज्य का बजट इस प्रकार का बजट होगा जो समाजवादी सिद्धान्तों पर पूर्ण रूप से विश्वास करने वाला होगा और जनता पर किसी प्रकार के करों का भार नहीं लादा जावेगा। इस प्रकार की भावना को लेकर जो बजट की स्पीच तैयार की गई, इसके लिये बहुत से माननीय सदन के सदस्यों ने इस प्रश्न को सदन में उठाने की चेष्टा की है कि इस प्रकार सदन के सामने बजट प्रस्तुत करने से पहले बजट के बारे में अखबार के प्रतिनिधियों को अपनी विचारधारा बताई जाए, इस प्रश्न पर मैं अपनी चर्चा करना नहीं चाहता।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ अखबारों में निकला है उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया गया। वे कुछ बातें अखबारों में छाप देते हैं और जो बात उस वक्त अखबारों में आ जाती है उसके बारे में वे हमसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसका कोन्ट्राडिक्शन करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह मेरे स्कोप के बाहर की बात है। इसके लिये मोशन उठाया। जब मैंने अखबार में वित्त मन्त्री के द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़ा...

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। इसलिये यह कहना गलत है कि मैंने कोई वक्तव्य दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो अखबारों में आपके नाम से दिया वह गलत था तो आपको उसका कोन्ट्राडिक्शन करना चाहिये था।

श्री मथुरादास माथुर : कोन्ट्राडिक्ट उस समय नहीं करते। अगर हम उसका कोन्ट्राडिक्शन करते तो उससे भी वे अटकल लगा लेते। इसलिये जान-बूझ कर यह कोन्ट्राडिक्शन नहीं किया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इससे विषयांतर होने का प्रश्न आता है। आपको इस प्रकार की विचारधारा और मस्तिष्क रहा है और उसी आधार पर आपने यह बजट प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपना बजट पेश किया है उसमें आंकड़ों की एक इन्द्रजाल नजर आता है और इन आंकड़ों के इन्द्रजाल को लेकर राजस्थान में करों की नीति को स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि जनता पर विशेष करों का भार नहीं लगाया गया है। आपने बताया है कि मौजूदा बजट में नॉन-टैक्सेबल रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की है और साथ ही आपने यह भी बताने की कोशिश की है कि किसानों पर कोई भार

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

नहीं पड़ेगा और जनता पर करों का भार नहीं होगा। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इसमें अहम हैं। उनका सम्बन्ध राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन और फाइनेन्शियल पॉलिसी से है। क्योंकि ये सारे इस दायरे में आते हैं इसलिये मैं वित मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि यदि आप अपनी बजट की स्पीच को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बजट इस देश का जैसा होना चाहिये और जो जन-कल्याण-कारी राज्य की भावना को लेकर आपने यह बनाया है वह उसकी पूर्ति नहीं करता। आपके बजट से जन-कल्याण की भावना को लेकर राजस्थान के लोगों की करों के भार से टूटती हुई कमर को सहारा मिलना चाहिये था वह इस प्रकार के बजट से नहीं मिलता है और इस प्रकार का बजट पेश नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजिश्ता वर्ष में यह बतलाया गया था कि १६ करोड़ का कर्जा है और उसकी पूर्ति के लिये जो-जो साधन उपलब्ध किये गये उसके बावजूद भी मौजूदा स्थिति १५ करोड़ ७५ लाख के कर्जे की हालत को देते हुये हमारे मौजूदा वित्त मंत्रीजी बजट का निर्माण करने जाते हैं। मैं इस बात के लिये वित्त मंत्रीजी की बुद्धिमत्ता और चालाकी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने ऐसे कर्जे को जो १५ करोड़ ७५ लाख का है, उसको इधर-उधर आंकड़ों में बदल करके संतुलित बजट बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे हेर-फेर करने से कि हमने नॉन-टैक्सेबल रेवेन्यू बढ़ाई है और इससे हमको कुछ पैसा मिलेगा और कुछ सूद ज्यादा मिल जावेगा, कुछ कर्जा हमें ज्यादा मिल जावेगा और कुछ कमी हम अपने खर्चे में कर लेंगे इससे ३ करोड़ का कर्जा बताया....

श्री उपाध्यक्ष : घाटा बताया कर्जा नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तीन करोड़ का घाटा बताया। इसके बाद मैं आपको वित्त मंत्री की होशियारी और चालाकी बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से वे जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, १५ करोड़ ७५ लाख के घाटे को ३ करोड़ में ले गये। पर उसके पश्चात् आगे कर लगाने की समस्या पैदा होती है तो वह प्रश्न नहीं आ सकता था। इसलिये आपने थोड़े और आंकड़े प्रस्तुत किये और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ वसूलियें करने में खर्च करना होगा, कुछ लोगों को तनख्वाह देने का प्रश्न होगा। ३ करोड़ और कुछ खर्चा और बताया। इस प्रकार ६ करोड़ ५० लाख का खाता आने के पश्चात् बड़ी होशियारी और चतुराई के साथ आपने नये करों की तजवीज सदन में पेश की। नये करों को बताते समय आपने यह बताने की कोशिश की कि जो टैक्सेज मैं लगा रहा हूं, गरीब लोगों और गरीब जनता पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैं इस प्रकार के कर लगा रहा हूं कि जिसमें दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर नहीं होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़े इस बात को बताते हैं कि यदि इन सारी बातों को देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि गरीब जनता पर टैक्स लगता है जैसे आपने ट्यूब-टायर पर टैक्स लगाये। खेती के उपकरणों पर दुगुना टैक्स कर दिया। आज ट्यूब-टायर खेती में विशेष रूप से काम आते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि इसका असर प्राइसेज पर पड़ेगा और प्राइस इन्डेक्स बहुत

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ज्यादा बढ़ जावेगी। मौजूदा प्राइस इन्डैक्स है वह भी आपके द्वारा प्रस्तुत करूंगा और यह सिद्ध करने की चेष्टा करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने गत १० वर्षों में टैक्स को बढ़ाया है और बराबर बढ़ाती रही है और राजस्थान की जनता पर दिन दूना और रात चौगुना कर बढ़ाया है और आज राजस्थान की जनता विशेष करों के भार को बर्दाश्त नहीं कर सकती है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा मौजूदा बजट में लिखा है और मैं बराबर पिछले पांच वर्षों से यही देखता आ रहा हूं और पुराने बजट को देख कर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जब वित्त मन्त्री सदन के सामने समस्या प्रस्तुत करते हैं उसके पश्चात् सदन से यह अपेक्षा करते हैं कि जो कर जनता पर लगाये जावें उन सारे करों के लिये सदन अपनी मान्यता प्रदान करता रहे। १९५२, १९५३ और १९५४ में आप देखें आपको यही बात मिलेगी। एक बात राज्य सरकार कहती है कि हमने शासन भार नया संभाला है और शासन की बागडोर हमारे हाथ में आई है और हम सारे करों के बारे में विचार कर रहे हैं। बाद में कभी आक्रमण और कभी पंडित नेहरू के देहान्त के नाम पर कर वसूल करते हैं और कभी किसी के द्वारा करों का भार बढ़ाया जाता है। यहां तक कि पिछले ३ वर्षों से बराबर राज्य सरकार कहती आ रही है कि राजस्थान के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के कारण, श्रम में वृद्धि करने के कारण, एलाउन्सेज देने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जिसके कारण उनको बराबर करों को बढ़ाना पड़ रहा है।

(२.०० म. प.)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री के द्वारा इस प्रकार के लेम एक्सक्यूजेज रखे जाकर कोई मान्यता करों के बारे में सदन से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो इसे सदन कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि वह जनता के हित में खर्च करे, जो जनता के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करे, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय योजनाएं बनाती है। जब-जब बजट पर भाषण हुए हैं तो सरकारी पक्ष की ओर से यह कहते हुए सुना है कि विरोधी पक्ष कोई ठोस नीति सामने नहीं रखता, कोई ठोस सुझाव नहीं देता, केवल सरकार की थोथी आलोचनाएं करता है। इन थोथी आलोचनाओं के बारे में राज्य सरकार कोई विचार करने को तैयार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतन्त्र पार्टी की आर्थिक नीति बड़ी स्पष्ट है और हमेशा स्पष्ट रही है। वह इतनी स्पष्ट है कि वह हमेशा यह बताना चाहती है कि Cut the coat according to cloth. योजनाओं का हम विरोध नहीं करते पर करोड़ों रुपया योजनाओं के नाम पर खर्च किया जाता है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि समुन्नत सरकार वही है जो टैक्सेज का भार कम से कम लादे, नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाये और उसके बाद जितनी योजनाएं हैं उनको इस प्रकार क्रियान्वित करने की चेष्टा करे जिससे कि जनता पर कम से कम भार पड़े। डायरेक्ट टैक्सेशन के कम करने की हमारी नीति है। हम इस प्रकार के टैक्सेज नहीं रखना चाहते जिनसे जनता की कमर टूट जाय। मैं इस प्रकार के आंकड़े रख रहा हूं कि जितनी टैक्सेज से रकम आई, जितनी रकम ऋणों से प्राप्त की गई उस सारी रकम को किसी योजना पर, किसी इन्डस्ट्री पर, किसी डिपार्टमेन्ट पर व्यय किया गया उस अनुपात से यह राज्य सरकार उत्पादन करने में भी समर्थ हुई या नहीं।

Page No.62

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कहने को सरकार की ओर से कह दिया जाता है कि वित्त मन्त्री के सामने कई समस्याएं आती हैं। डी-सेन्ट्रलाइजेशन करने के कारण बहुत से व्यय करने के अधिकार दूसरे विभागों को दिये जाते हैं, इसी कारण से पूरा नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। पर इस प्रकार की सरकार की दलील से माननीय वित्त मन्त्री उनके ऊपर जो रैस्पोन्सिबिलिटी आती है, जो उत्तरदायित्व आता है उससे बच नहीं सकते। फाइनेन्शियल पॉलिसीज में यह महत्वपूर्ण बात है, फाइनेन्स मिनिस्टर का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है इसके संबंध में मैं एक क्वोटेशन दे कर इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं :

"The essential features of a system of financial control are well stated in the words which have been quoted from Dr. Marshall's book. It cannot be too strongly emphasised, however, that ultimately the success of an authority's financial administration depends upon the will of the Council, no matter how carefully the frame work of control has been designed. Most controls become irksome at some time or another and the danger then arises of sound practice falling into disuse because the desire for its enforcement is lacking. The fact that there is little in the way of statutory regulation of the internal administration of local authorities makes it all the more important that an authority should be prepared itself to regulate its activities and be vigilent against any attempt to transgress its regulations. The Council itself is the body ultimately responsible, but it may naturally lay duties relating to control upon the Finance Committee or Chief Financial Officer. No authority, however, may delegate to a Committee the power to make a rate or issue a precept or to raise a loan; nor is this surprising in view of the fundamental importance of these actions. The size or type of local authority is of no great significance in regard to financial control which is in essence a matter of principles".

इस प्रकार से इन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाय तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सारी रैस्पोन्सिबिलिटी वित्त विभाग की है। जो आक्षेप या आपत्ति वित्त विभाग द्वारा उठाई जाती है कि हमारा पूरा नियन्त्रण नहीं होने के कारण या नियमों मे प्रावधान इस प्रकार का होने के कारण वित्त विभाग का पूरे खर्चों पर नियंत्रण नहीं है, यह कह कर सरकार रैस्पोन्सिबिलिटी से हट नहीं सकती। निश्चित रूप से यह सारी रैस्पोन्सिबिलिटी वित्त विभाग की है। इसलिये इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट प्रोपोजल्स आज सदन के सामने रखे गये हैं और इनमें जैसा कि हम प्रायः देखते आये हैं, विभाग अपनी-अपनी मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर थोड़ी टीका-टिप्पणी करने के बाद उनकी मांगों को बजट का रूप देकर सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही बुरी परम्परा है। राजस्थान सरकार का, राजस्थान की केबिनेट का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि विभागों द्वारा मांगें रखी जाती हैं उन पर पूरी तरह से विचार विनिमय हो कर विवेचन किया जाना चाहिये कि

Page No.63

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

ये मांगें उचित हैं या नहीं, इन चीजों पर रुपया व्यय किया जाना चाहिये या नहीं, जो मांगें की गई हैं वे वास्तव में उचित और अत्यावश्यक हैं या नहीं; इस प्रकार का विवेचन होना चाहिये। अगर इस प्रकार का विवेचन नहीं होता है तो जो बजट इस सदन में रखा जाता है वह नीतिविहीन बजट है और नीतिविहीन बजट पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे एडमिटेड फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं और उनके आधार पर मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार राज्य सरकार ने गत १० वर्षों में इस देश को अवनति की ओर पहुँचाने की कोशिश की है।

जो आंकड़े इस सरकार द्वारा हमें दिये गये हैं, आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा जो कुछ आंकड़े हमारे सामने आये हैं, ५४-५५, ६५-६६ के तुलनात्मक अध्ययन के आंकड़े मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं:

स्मॉल इन्डस्ट्रीज :

१९५४-५५–१५.०५, १९६५-६६–१३.११

कॉमर्स :

१९५४-५५–१६.८३, १९६५-६६–१३.८१

ट्रांसपोर्ट :

१९५४-५५–१.६०, १९६५-६६–१.५३ है।

इसी प्रकार कॉर्पोरेशन से और अन्य से १०.३० हाउस प्रोपर्टी का ४.७५ लगाया गया है।

इन आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो राज्य सरकार को इन्डस्ट्रीज से और दूसरे मद से इन्कम होने वाली थी उसमें उन्नति हुई है या अवनति हुई है। यह खुद सरकार के आंकड़ों से साबित है कि जहां सरकार को पहले के मुकाबले में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा पैसा मिलना चाहिये था वहां वह नहीं होकर ज्यादा गिरावट हो रही है।

इसके अलावा मैं वे आंकड़े पेश करूंगा कि कितने करोड़ रुपया योजनाओं में खर्च किया गया है। इतने करोड़ रुपया खर्च करने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ है उसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की जितनी आमदनी होनी चाहिये उतनी हुई या नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के आंकड़े, उपाध्यक्ष महोदय, मैं रखना चाहूंगा:

१९६०–६१	१२६.८३
१९६१–६२	१४६.८९
१९६२–६३	१४०.०८
१९६३–६४	१०७.३२
१९६४–६५	१३५.६७
१९६५–६६	१०४.३०

इन आंकड़ों के बारे में दलील यह दी जाती है कि तीन वर्ष से निरन्तर सूखा पड़ रहा है इस कारण खाद्य-स्थिति के अन्दर गिरावट होना अवश्यंभावी है। किन्तु राज्य सरकार का कहना है कि बजट के अन्दर जो प्रावधान रखा है उसमें यह बताने की चेष्टा की है कि आगे आने वाले साल राजस्थान को अनाज की स्थिति के लिये भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। अनाज के जो आंकड़े दिखाये गये हैं उसके अनुसार आने वाले वर्षों में उनके गिरावट की संभावना बतायी है।

सूखा पड़ने का कारण क्या है, निरन्तर तीन साल से सूखा पड़ने की आड़ लेकर आप यह दलील पेश करना चाहते हैं, मैं निवेदन

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

करना चाहता हूं ६४–६५ के अन्दर अनाज का उत्पादन जहां १३५.६७ है वहां ६३–६४ में १०७.३२ है। निरन्तर सूखे की स्थिति रहने के कारण जो १३५ तक आंकड़ा पहुंच चुका था वह गिरकर १०७ तक आ गया है। इसका मूल कारण पॉलिसी से सम्बन्धित है। किस प्रकार से गलत नीतियों के अनुसरण से उत्पादन में कमी आयी है, जिसके कारण पब्लिक एक्स-चेकर पर कितना असर पड़ा है। जो सम्पत्ति ज्यादा बढ़नी चाहिये थी वह ह्रास की ओर जा रही है। इस प्रकार संचित सम्पत्ति का दुरुपयोग करने में जो मंत्रि-मंडल लगा हुआ है उसके बारे में मैं आगे जा कर जब नीति के बारे में विवाद होगा उस समय बताने की चेष्टा करूंगा। आप जो निरन्तर सूखा पड़ने की आड़ लेकर उत्पादन की गिरावट की बातें करते हैं वहां सूखे का इतना दोष नहीं जितना आपकी नीतियों का है। ये जो आंकड़े मैंने बताये हैं वे मेरे द्वारा तैयार किये हुए आंकड़े नहीं हैं, या मैंने कल्पना के आधार पर यह बात नहीं कही है। जो आंकड़े रखे हैं वे राज्य सरकार के स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेन्ट द्वारा तैयार किये हुए आंकड़े हैं। उन्हीं के आधार पर मैं यह सिद्ध करने की स्थिति में हूं। जो दलीलें लेकर आप हमारे सामने आते हैं वे कोई मायने नहीं रखतीं।

औद्योगिक उत्पादन में जहां वृद्धि हुई कृषि-उत्पादन में गिरावट आयी है। इसको वित्त मंत्री मानते हैं। उन्होंने यह बात गर्व के साथ कहने की चेष्टा की है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सवाल है सीमेन्ट के उत्पादन में वृद्धि की है लेकिन जो आंकड़े आपने दिये हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं ६१ में जहां ८१७ था वह ६६ में जाकर २८८ रह जाता है। आप यह कह सकते हैं कुछ फैक्टरियां रॉ-मेटीरियल नहीं मिलने के कारण बन्द हो गईं इसलिये उत्पादन में कमी आई है। मैं यह निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा कि इसका मूल कारण यह नहीं है श्रीमन् ! मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं आपकी जो नीतियां इस प्रकार की बन गईं जिसके कारण सही मायने में जो रुपया खर्च होना चाहिये वह नहीं होता उसके बारे में मैं स्पष्ट उदाहरण रखना चाहूंगा।

जहां तक प्राइसेज के बढ़ने का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां आप ५२-५३ को बेसिक ईयर मानकर चलते हैं उसके आधार पर ६१ के अन्दर फूडग्रेन्स के भाव १२५.५ थे वहां ६६ में जाकर २०१.२ हो गये। इन्डस्ट्रीज के लिये रॉ-मेटीरियल के आंकड़े ६१ में १४४.० थे वहां ६६ में १०७.६ हो गये। इसी प्रकार फ्युअल और पावर के आंकड़े ६१ में ११७.२ थे वहां ६६ में १६५.६ हो गये। मैन्युफेक्चर निर्मित वस्तुओं के आंकड़े ६१ में ११३.८ थे वहां ६६ में १७१.४ हैं। जनरल होल-सैल प्राइसेज के आंकड़े इन वस्तुओं के ६१ में १२५.१ थे वहां ६६ में १६१.४ की हद तक पहुंच जाते हैं। ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि ६१ से लेकर ६६ तक पांच वर्ष के अन्दर जहां तीसरी योजना समाप्त हो चुकी जिन पर राज्य सरकार ने जनता का करोड़ों रुपया व्यय कर दिया, भारत सरकार से जो अनुदान या ऋण राज्य सरकार को मिला वह समाप्त कर दिया यह सारा हो जाने के बाद प्रोडक्शन के आंकड़े, होल-सेल प्राइसेज के आंकड़े आज हमें यह कहने को मजबूर कर रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्थान के अन्दर महंगाई बढ़ती जा रही है। जनता की कमर करों के भार से झुकती जा रही है यही कहने की स्थिति हमारे सामने है। हम इस बात की आशा

Page No.65

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लगाये बैठे हैं कि आखिर कौनसा दिन आयगा जब राज्य सरकार की नीतियों में परिवर्तन करना होगा। जब तक राज्य सरकार की नीतियों में परिवर्तन नहीं होता है ये महंगाई के आंकड़े इसी प्रकार बढ़ते जायेंगे, जनता को सही मायने में राहत नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अगर राज्य सरकार एफीशियेन्सी के साथ और ईमानदारी के साथ इन योजनाओं में उचित पॉलिसी को लेकर काम करने की चेष्टा करेगी तो यह दयनीय दशा आगे देखने को नहीं मिलेगी। और सरकार की नीति अगर इसी प्रकार की बनी रही कि हमें तो केवल योजनाओं को ही आगे बढ़ाना है चाहे उसके लिए हमें कितना ही कर्ज करना पड़े तो मैं समझता हूं यह नीति वैसी होगी जैसी कि इस देश में एक बार चार्वाकों का सम्प्रदाय चला था। वे कहा करते थे जिनका प्रकृति से या यहां की संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं था। उनकी जिस प्रकार की पॉलिसी थी उस प्रकार की पॉलिसी में और इस सरकार की पॉलिसी में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता। उन लोगों में यह भावना थी—

"यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत्, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम् कुतः"

यानी जब तक जिओ सुख से जिओ, कर्जा करके घी पीओ। सवाल यह आता है कर्जा ले लिया ठीक किया क्योंकि पुनर्जन्म तो होगा नहीं। सरकार भी हमारी इसी बात में विश्वास करती है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : बजट सेशन चल रहा है, अॉपोजीशन की तरफ से सदस्य बोल रहे हैं और एक भी मंत्री नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री हैं।

श्री मदनसिंह : जिस समय वित्त मंत्री ड्रेस पहनकर बजट भाषण दे रहे थे उस समय सारी लाइन बैठी हुई थी। आज अॉपोजीशन की तरफ से जब एक सदस्य बोल रहे हैं तो कोई मंत्री नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मंत्री हैं।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : बड़ी अहमियत वाले मंत्री बैठे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने इस आधार पर अपने विचार रखे हैं कि इस राज्य सरकार पर ३६४ करोड़ से ज्यादा कर्जा हो जाय, तब भी इनको चिंता नहीं है। जो इस बात में विश्वास नहीं करते कि मर जाने के बाद पुनर्जन्म होता है या नहीं, तो यह भाग्य की बात है कि राजस्थान में कांग्रेस का तख्ता जो इसी वर्ष पलटने वाला था, वह दुबारा किसी प्रकार इनकी बुरी नीतियों के कारण, इस प्रकार की जोड़-तोड़ के कारण, जो उनकी नीतियां हैं उनके कारण किसी प्रकार से ये शासन पर बन बैठे हैं, लेकिन इस सिद्धान्त को ये मानते हैं कि हमारा राज्य नहीं रहेगा, हमारे पश्चात् राज्य करने वाले आएंगे उन पर इन कर्जों और करों का भार पड़ेगा, इनको इस बात की चिंता नहीं है। इस राजस्थान के पब्लिक एक्स-चेकर पर टैक्सेज इतने कर दिये हैं, कर्जे का भार इतना बढ़ा दिया है, टैक्स का भार इतना बढ़ा दिया है कि जनता इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती। शासन करते यदि आप ठीक

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

तरह से चलेंगे तो जनता आपको सम्मान के साथ पूजेगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन शासकों ने प्रजा के साथ भलाई का व्यवहार किया, प्रजा ने उनके लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। लेकिन इस २० साल के शासन में, इस कांग्रेस के शासन ने जो कार्य किए हैं उनकी राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता कटु आलोचना करती है, उसकी अर्थ-व्यवस्था की आलोचना करती है। आपने गलत अर्थ-व्यवस्था के आधार पर योजनाओं के द्वारा नेपोटिज्म का, कुटुंबियों के पालन का, कुछ संस्थाओं को प्रश्रय देने का तरीका अपनाया है और इस राजस्थान के पब्लिक फंड्स का अपव्यय करने के दृष्टिकोण से कई संस्थाओं को नाजायज फायदा देने की जो नीति अपनाई है, उसका राजस्थान की जनता और भारत की जनता विरोध करती है और यह जानती है कि चुनाव के परिणाम किस प्रकार आप लोगों के सामने आए। आज राजस्थान में हुकूमत बनाने का श्रेय आपको मिल सकता है लेकिन १८४ स्थानों में से कितने स्थान आपको मिले और कितने विरोधी पक्ष को मिले ? एक तरफ आप अपनी एकता का दावा करते हैं तो आपको मानकर चलना चाहिए कि जिस संस्था ने आजादी से पहले त्याग और तपस्या की, गोपालकृष्ण गोखले जैसे नेता उसमें थे, आज उनकी कुर्सियों पर बैठने वाले आप लोग हम पर शासन करने के लिए आ गए हो, जिनके प्रति जनता की कोई सद्भावना नहीं है। आपके अन्दर यदि क्षमता हो तो जयपुर में शाम के समय किसी बाजार में जाइए, सड़क पर पान की दुकान पर बैठ कर देखिए कि आप लोगों की नीतियों के बारे में, जनता के लोग किस प्रकार के विचार रखते हैं। इसका मूल कारण एक मात्र यही है कि आपकी इस तरह की गलत नीतियों के कारण, आपको यह आलोचना सहनी पड़ती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आज पान वाले भी जयपुर के अन्दर हमारी तारीफ करते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बुरे आदमियों की बुराई करना भी आपके लिए तारीफ है। मैं आपके सामने दो-तीन बातें रखना चाहता हूं जिनके द्वारा आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से ये लोग हमारे देश के पैसे का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जनता के सामने आप लोगों के लिए कितने मार्मिक शब्दों में विचार व्यक्त किए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"Having read this morning the Congress Working Committee's preparations tantamount to preparations to ruin this unfortunate country, and noting the Congress Working Committee's determined policy to ignore not only the Opposition but the nation's Parliament itself and seeking to impose its rule on the Central Government, and through it on all the State Governments, I feel it my duty to make a most earnest appeal to all those sitting in Parliament in the opposition benches to save the Constitution from being substituted by a single party's dictatorship. Unite, for God's sake, unite, forgetting your attachments to your separate party images. Save the nation from economic chaos."

श्री हरिदेव जोशी : यह राष्ट्रपति चुनाव के बाद है या पहले ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह रोसेंट है, मई, १९६७ का। स्वराज्य का पार्ट २, ४७। इसको पढ़िए।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने पढ़ा है। मैं यही निवेदन करता हूं कि यह अपील राष्ट्रपति चुनाव से पहले की है या बाद की ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह ११ मई की है।

श्री हरिदेव जोशी : उसका कारण है। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम निकला उससे वे प्रभावित हुए या दूसरे कारणों से....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह उससे पहले की है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जिन भावनाओं को निहित किया गया है, कहां तक उचित था, हालांकि यहां विषयान्तर होने का प्रश्न आता है, लेकिन मंत्री महोदय, आप अपनी बुद्धि को संतुलित करने के पश्चात् स्वयं इस बात पर निर्णय देने की चेष्टा करेंगे कि एक पोजीशन आपकी हो सकती है पार्टी के नेता की, दूसरे केबिनेट के मंत्री की और एक पोजीशन है दल में आपके किसी पदाधिकारी की। तो क्या आप मंत्री की पोजीशन पर रहते हुए पार्टी पर इस प्रकार निर्देश करने की चेष्टा करेंगे जो प्रधान मंत्री ने की, देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए....

श्री उपाध्यक्षः ऑर्डर प्लीज ! आप इस मामले को सदन में नहीं उठा सकते।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने पहले ही कहा कि विषयांतर करके उनको एक्स्प्लेन करता हूं....

श्री उपाध्यक्षः पहले ही निवेदन करने से वह चीज रेग्यूलर नहीं हो जाती।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सवाल केवल इतना रहता है कि आप अपनी स्थिति पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। इस समय राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन के बारे में बहुतसी बातें हैं जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। हमारी अर्थ-व्यवस्था में किस प्रकार से उनके करोड़ों रुपए के धन का, यदि मैं जानबूझ कर भी इल्ज़ाम लगाऊं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, दुरुपयोग करने की चेष्टा करने से खजाने से रुपया जाता होगा यह बात सही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि केन्द्रीय सरकार के खजाने से ये लोग कैसे पैसा लाते हैं, उसका डाका डालने से भी ये लोग नहीं चूकते। पी. ए. सी. की १९६६-६७ की ६१वीं रिपोर्ट है लोकसभा द्वारा प्रकाशित और उसमें राजस्थान का भी एक मसला जो बताया गया है उसका हवाला देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर में एक महिला विद्यालय चल रहा है। उस उदयपुर के महिला विद्यालय की कैफियत आप ज़रा सुनने की कोशिश कीजिये। उदयपुर महिला विद्यालय के लिये यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से १,५४,००० रु० का अनुदान लेने की चेष्टा की गई। १.५४ लाख का अनुदान बिल्डिंग बनाने के नाम से लेने की कोशिश की गई लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे बड़े दुःख की बात तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि उस महिला विद्यालय के पास जिस इमारत में अपनी इन्स्टीट्यूशन चलाते हैं वह इस राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई आलरेडी एक इमारत है। राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई इमारत होते हुए भी एडीशन और ऑल्टरेशन

Page No.68

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के लिये कोई रुपया नहीं दिया जाता हो ऐसी बात नहीं, बल्कि नयी बिल्डिंग के, निर्माण के लिये १.५४ लाख रुपये की यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से ग्रांट दी गई। इसमें अकेले उस संस्था के सेक्रेटरी का ही हाथ नहीं है, राजस्थान सरकार के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर जैसे व्यक्ति का उसमें हाथ है जो रिपोर्ट कर देता है, राजस्थान के ऑडिट डिपार्टमेन्ट का उसमें हाथ है जो ऑडिट रिपोर्ट में हवाला कर देते हैं। लोकसभा की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी उन सबको एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद केवल राज्य सरकार पर ही रिफ्लेक्शन नहीं है, एज्युकेशन इन्स्टीट्यूशन्स चलाने वालों के प्रति भी है। शिक्षण संस्थायें जिनसे देश के चरित्र का निर्माण होता है, शिक्षण संस्थायें जिनमें भावी नौ-निहालों का निर्माण होता है, उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ हमने कल्पनायें और आशायें रखने की कोशिश की, यदि इस प्रकार की संस्थाएं अपने निजी स्वार्थों के कारण मानव सिद्धांतों से भी गिरने की कोशिश करती हैं तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस विद्यालय के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री न जानते हों, अन्य मन्त्रिगण न जानते हों। यह विद्यालय काफी अरसे से उदयपुर में चल रहा है और मुख्य मन्त्रीजी की नॉलेज में सब कुछ होना चाहिये। लेकिन वहां क्या हुआ? इस पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मैं पैरा ११७ उद्धृत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं:—

"The Committee regret to note that Rajasthan Mahila Vidyalaya, Udaipur, utilised the grant, given for construction of a new hostel by the University Grants Commission, for renovation and making additions and alterations to an old building. The Committee take a very serious view of this misuse of the grant by the Mahila Vidyalaya. It is all the more disgusting to note that this amount on repairs and renovations was spent on the property which belonged to the Government of Rajasthan and which had not been transferred to the Udaipur Mahila Vidyalaya. In the absence of transfer of the property rights, the Rajasthan Mahila Vidyalaya was carrying out repairs, additions and alterations to a building which did not belong to them."

ये ऑब्जर्वेशन्स करने के बाद फरदर उस कमेटी ने यह कहने की चेष्टा की है:—

"The Committee are perturbed to note that the Executive Engineer, P. W. D. (B. & R.) issued a false valuation certificate about the construction of the Womens' Hostel by the Rajasthan Mahila Vidyalaya. What is worse still is the fact that he issued the certificate without seeing the plans approved by the University Grants Commission or even seeing the building itself. To say the least the Committee hardly expected such a thing from a responsible officer of the rank of an Executive Engineer.

The Committee also find that certain items like 15 percent tender premium etc. were included in the valuation certificate given by the Executive Engineer and they were later on disallowed at the instance of

Page No.69

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

the Chief Engineer. The Committee feel that by including such items like 15 percent tender premium and 3 percent supervision charges etc. the officer concerned mislead the University Grants Commission by giving the impression that the amount had been spent on construction of a new building.

The Committee, however, note the contention of the officer in a subsequent letter that University Grants Commission had released bulk of the grants before he furnished that certificate dated 13th November, 1963. Even if they agree that furnishing of his valuation certificate was a mere formality, they feel it was an important formality and that did not justify much less entitle the Executive Engineer to issue a false certificate.

The Committee take a serious view of the issuing of false certificate by the Executive Engineer to the Udaipur Mahila Vidyalaya. They cannot help feeling that that certificate was issued by the Executive Engineer under some pressure. The Committee hope that necessary inquiries would be made in this regard and responsibility fixed.

The Committee, therefore, suggest that the Ministry of Education should bring this case involving various lapses on the part of the Executive Engineer to the notice of the Government of Rajasthan for taking suitable action with a view to avoid recurrence of such cases."

I am not concerned with further steps which the Committee or the Government is going to take.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार से ऐसी संस्थायें चलाई जाती हैं जिनको राज्य सरकार तो सहायता देती ही है लेकिन राज्य सरकार की सहायता के उपरान्त भी केन्द्रीय सरकार से भी किसी भी प्रकार से और रुपया लेकर और उसका मिसयूज करने की चेष्टा की जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार के मन्त्रिगण या राज्य सरकार का मन्त्रिमण्डल या वित्त विभाग इन सब बातों पर जांच करने की कोशिश करे और पब्लिक एक्सचेकर का करोड़ों रुपया इस प्रकार के लीकेज से बचना शुरू हो जाय तो राजस्थान की जनता का भाग्य उदय हो सकता है। राजस्थान की प्रगतिशील योजनाओं पर इस राज्य सरकार ने खर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं की। इस वर्ष के बजट में योजनाओं पर राज्य सरकार ने प्रावधान किया है उनको अभी मैं श्रीमन् के सामने निवेदन करूंगा लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से ही अनुदान नहीं लिया बल्कि राज्य सरकार से भी रुपया लेने की कोशिश की और इसको लेकर कमेटी ने फरदर ऑब्जर्वेशन्स किये हैं वे महत्वपूर्ण हैं। दो-तीन ऑब्जर्वेशन्स कमेटी की ओर से हुए हैं जिनसे इस केस का सारा यथार्थ प्रकट हो सकेगा कि किस प्रकार झूंठ की भित्ति पर निर्मित यह भवन केन्द्र सरकार के लाखों रुपये हजम करने की कोशिश कर रहा है उसका पर्दाफाश मैं इस सदन के सामने करूंगा–

"The Committee take a serious view of the issue of a wrong certificate by the Chartered Accountants."

जैसा मैंने पहले कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि अपने यहां से यह वोटेड नहीं है। आपने यह फरमा दिया कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने फाल्स सर्टिफिकेट दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सर्टिफिकेट दिया और दुबारा राज्य सरकार से रुपया लेने की कोशिश की यह मसला और आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लिखा कि तुमने अपने उच्चाधिकारियों के प्रति क्या स्टेप लेने की कोशिश की ? राज्य सरकार ने केन्द्र से यह रुपया मिला उसको रिफण्ड करने की भी कोशिश की या नहीं ?

ये सारे ऑब्जर्वेशन्स है, बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसलिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका सारांश अपने भाषण में कह दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सारांश ही कह रहा हूं। वैसे तो तीन घंटे चाहिये इसको पूरे को पढ़ने के लिये मुझे। I am not reading the whole.

"The Committee take a serious view of the issuing of the wrong certificates by the Chartered Accountant in this case. They desire that the Ministry of Education should immediately bring these facts to the notice of the Institute of Chartered Accountants for suitable action against the party."

श्री हरिदेव जोशी : बाई दी वे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जिनका जिक्र किया गया है उनके बारे में कुछ जानकारी हो तो वह बता दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ये दो पैराग्राफ और हैं पेज ११ पर हैं और एक लास्ट पेज पर है। इससे सारा मकसद पूरा हो जावेगा। आप इनको देख लें।

"The Committee are not convinced with the evidence given by the Principal of the Institution. In the absence of the transfer of the building to the Rajasthan Mahila Vidyalaya it was improper on the part of the Principal to have evaluated the portion of the old building and shown the same as contribution of the Institution."

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य बतला सकेंगे कि ये इन्जीनियर हैं कौन जिन्होंने यह सर्टिफिकेट दिया है ताकि सदन जान सके।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उनके नाम इस रिपोर्ट में नहीं दिये हैं। इसकी जानकारी आपको करनी होगी। राज्य सरकार को इसकी भी जानकारी है कि वह इन्जीनियर कौन है, सैक्रेटरी कौन है और प्रिन्सीपल कौन है और माननीय मन्त्री महोदय भी सब के बारे में जानते हैं। यह बात दूसरी है कि वे बताना न चाहें।

फिर मेरी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने की मंशा नहीं है। पर इतना विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय उन सबको अच्छी तरह जानते हैं।

अब अन्त में यह दूसरा पैराग्राफ निवेदन करदूं डबल पेमेन्ट के बारे में :-

"The Committee note that the University of Rajasthan informed the University Grants Commission in September, 1965 that the College (Mahila Vidyalaya) had erred in

(श्री दुर्गालाल बादवार)

both fixing the pay scale of the Principal at higher stage as well as in continuing to draw assistance from the University Grants Commission even after the scale of the Principal had been further revised and made higher than the grade recommended by the University Grants Commission and accordingly that University recommended the recovery of the amount drawn in excess by the Principal. The Committee take a serious view of overdrawal of salary on wrong premises by this Institution. They desire that the U. G. C. should take steps to get refund of the overdrawn amount. In the course of his evidence the Secretary, U. G. C. admitted that if they had known that the Rajasthan Government had already paid for the revision of the salary scale of the Principal, the U. G. C. would not have given any amount. The Committee are left with the impression that the Institution has tried to obtain assistance both from the U. G. C. as well as Rajasthan Government for the same purpose. They take a serious view of this case and desire that the Ministry of Education should bring this to the notice of the Government of Rajasthan for suitable action. In any case the University Grants Commission should take immediate action to get the refund of the overdrawal of the salary by the Principal so far as their portion is concerned."

खैर, यह एक प्रकार का उदाहरण मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम के द्वारा इस सदन में प्रस्तुत करने की चेष्टा की और यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति पर आघात पहुँचाया जाता है, और किस प्रकार से राजस्थान के खजाने पर यह एक प्रकार का डाका डालने की कोशश की गई है जिसका सारा भार हमारी इस गरीब राजस्थान को जनता पर पड़ता है जो अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई करों के रूप में इस सरकार को देकर इसका खजाना भरती है, पर यह सरकार इतनी निकम्मी और गैरजिम्मेदाराना है कि उस पैसे की पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पाती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर जो प्रावधान योजना का रखा गया है उनमें उन्होंने कमी करने की कुछ बातें यहां रखी है जिन पर प्रकाश डालना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं।

बजट के प्रावधानों पर वित्त मन्त्री ने यह बताने की कोशिश की कि राजस्थान सरकार को अपने खर्चे में कुछ कमी करनी है और इसके लिये बी० डी० ओज० को हटा दिया, कुछ एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की पोस्टें समाप्त करदीं और २० पर्सेन्ट ग्राम सेवकों की पोस्टें कम करदीं। मैं नहीं समझता कि इससे राजस्थान सरकार क्या बचत कर लेगी? कारण कि जिन लोगों को इन पोस्टों से हटाया है, वे तो परमानेन्ट सर्विस में होंगे, उनको सरकार को कहीं न कहीं लगाना होगा और तनख्वाह बदस्तूर देनी होगी। यह अवश्य है कि जो टेम्परेरी हैं उनको सरकार घर भेज सकती है और इस तरह से बचत कर सकती है, पर इससे कितनी बचत होगी? ऐसे व्यक्ति मुश्किल से बहुत थोड़े होंगे। फिर इनके खर्चे के आंकड़ों की सत्यता के बारे में तो वही व्याख्या करेंगे। पर थोड़ी देर के लिये तर्क के आधार पर यह

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

भी मान कर चलें कि राज्य सरकार उन अधिकारियों को कम करने की कोशिश करती है तो दस साल में राज्य में बेकारों के आंकड़े को भी उठा कर देखने की कोशिश वे करेंगे जो इस बात के स्पष्ट द्योतक हैं कि राज्य सरकार ने देखा होगा कि बेकारों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जारही है। अब अगर आप इस तरह से सैंकड़ों की संख्या में अस्थायी राज्य कर्मचारियों को हटा कर उनको फिर बेकार करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली यह कोई अनएम्प्लॉयमेंट का हल तो नहीं है।

अब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है तो इसमें इनके एम्प्लॉयमेंट करने का असर नहीं होता इसमें। इससे तो पुरानों को भी बेरोजगार करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके तो क्या यह सरकार प्रगतिवादी और जन-कल्याणकारी सरकार कहला सकेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो अपोजीशन ने कहा था कि एग्जामिनेशन्स करके खर्चों को कम किया जावे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर अपोजीशन के सुझावों को यह सरकार सही माने में मानती तो बात क्या थी ? आप यह नहीं करके जैसा अपोजीशन वालों का सुझाव है इस कमी को अपने से शुरू करते। प्रशासन के खर्चे में कमी करते। मन्त्रियों की मोटरों पर जो बेकार खर्चा होता है उसे बन्द कर देते, बंगलों पर इतने बड़े-बड़े आलीशान बंगलों पर बिजली, पानी आदि का खर्चा कम करते, छोटे मकानों में रहते, पेट्रोल का जो अनाप-शनाप खर्चा होता है वह बन्द करते। अगर राजस्थान के तथाकथित लोकप्रिय मंत्रि-गण इन बातों पर अमल करते और किफायतशारी का पाठ खुद से शुरू करते और अपोजीशन वालों की बातों को और सुझावों को सही तरीके से समझने की कोशिश करते, अपने हृदय में त्याग की भावना लेकर चलते और अपने त्याग का जाज्वल्यमान उदाहरण प्रस्तुत करते तो यह सही बात होती और जनता पर, प्रशासन पर, शासकों पर, नीचे के सभी तबकों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता और सही अर्थों में स्थायी कमी खर्चे में आप कर सकते थे।

तो यह एक गहनतम समस्या आपके सामने है। अब अगर आपके इन गलत कदमों के परिणामस्वरूप बेरोजगारी के मसले हैं, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाना है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना है तो ये मसले भी आपके सामने आवेंगे, हमारे सामने नहीं आवेंगे। इनका समाधान भी आपको करना होगा। सम्भव है आंदोलन चले इसके परिणामस्वरूप तो इसे भी आपको फेस करना होगा, पर आपको इन गलत नीतियों का परिणाम यह होगा कि आंदोलन को दबाने में जो खर्चा होगा उसका भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा और अन्ततोगत्वा इससे हानि जनता की ही है। तो आपको इस गलत नीति और गलत कदम के कारण कितने भीषण दुष्परिणाम सामने आवेंगे, आप इस पर सोचें। ये सब समस्याएं भी आपको ही सुलझानी होंगी।

अब एक बात और है जिन लोगों को आपने अपने इस आदेश से बेरोजगार किया है, क्या आपने उनको आल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में भी सोचा है ? नहीं सोचा तो मैं तो यही कहूंगा कि इससे किसी समाजवादी सरकार की अर्थ-नीति सही नहीं हो सकती। यह तो लुटेरी सरकार की नीति है जो जनता के प्रति कोई सद्भावना रखने की कोशिश नहीं करती है।

Page No.73

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मसला जो मुझे सदन के सामने रखना है वह यह है कि मैं उनका ध्यान योजनाओं के उन निरर्थक भागों की तरफ दिलाऊं जहां सरकार को व्यर्थ खर्च का बोझा उठाना पड़ता है जैसे—खादी विभाग है, समाज-कल्याण विभाग है, डेवलपमेंट के मण्डलों का विभाग है। आपने इनमें कोई छंटनी-कटनी करने की कोशिश की ? नहीं की। मेरी निगाहों में बहुत से केस आ चुके हैं। यह जयपुर शहर में व और शहरों में भी समाज-कल्याण विभाग के अन्तर्गत ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स चलते हैं जिनमें बोर्डिङ्ग के नाम पर हजारों, लाखों का खर्चा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पर आज रहता कौन है उनमें, कभी आपने इसकी भी छानबीन की ? गरीब विद्यार्थियों को आश्रय देने के स्थान हैं क्या ये ? ये तो ऐसे स्थान हैं जहां मन्त्रिमण्डल के सम्बन्धित व्यक्तियों को, उनके इर्द-गिर्द घेरा डाले पड़े रहने वाले व्यक्तियों के आरामगाह हैं, उनके लिये इनमें कुछ और भी गुन्जाइश बन जाती होगी। इससे विशेष बात कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं और वह कहने की मेरी आदत भी नहीं। लेकिन मैं तो यह बताना चाहता था कि यदि प्रशासन में खर्च कम करने की बात थी तो आपको ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में जानकारी करनी चाहिए थी। आपको प्रशासन में खर्च कम करना था तो आपको ऐसी बहुत सी बातों को पकड़ना चाहिए था और उनमें कमी करने की कोशिश करनी चाहिए थी।

जहां तक टैक्सेशन का सवाल है उसमें मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो टैक्सेज आपने लगाये हैं बहुत अच्छी बात है। एक प्रकार से आप यह कहना चाहते हैं कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से पिछले ५ सालों से जो राज्य सरकार ने करों का भार रखा है उतना इस समय नहीं रखा गया है, लेकिन इसके भी विशेष कारण हैं। वे कारण ये हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार की, आज राजस्थान के इस मन्त्रिमन्डल की यह स्थिति कतई नहीं हो सकती थी कि वह जनता के ऊपर विशेष प्रकार के करों को रख सकती क्योंकि पहले से ही केन्द्र ने जहां तक पैट्रोल इत्यादि का सवाल है यह बजट आउट होने से पहले बहुत से ऐसे उपकरण हैं कि जिनके ऊपर केन्द्र सरकार ने टैक्स लगाया है।

अब रहा सवाल खेती के उपकरणों का जिन पर भी आपने टैक्स लगाया है। गंगानगर ऐसा इलाका है कि जिसमें मेरी जानकारी के आधार पर प्रायः ८० प्रतिशत लोग ट्रैक्टरों से खेती का काम करते हैं। जहां तक ८० प्रतिशत लोग ट्रैक्टरों से खेती का काम करते हों और ट्रैक्टरों के टायर्स के ऊपर और मोटर वेहीकल्स के ऊपर तो जाने दीजिए, उसको तो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं लेकिन किसानों के काम में आने वाले ट्रैक्टर्स के टायर्स के ऊपर भी आपने टैक्स बढ़ाया है। खाद्यान्नों का भाव पहले ही दुगुना हो चुका है। इतने ज्यादा हो चुके हैं कि खाद्यान्न के भाव के ऊपर आपने इस गरीब किसान के ऊपर जितनी उसकी रेवेन्यू थी उतना ही आपने सरचार्ज लगाने की कोशिश की। समाज और कल्याणकारी सरकार के प्रतिनिधिगणों ! मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक किसान की बहबूदी के लिए दुहाई देते हुए २० साल से जब आप बराबर आ रहे हैं और वही टैक्स लगाने का मसला आपके सामने पैदा होता है तो आप

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कहां इन बातों को छोड़ देते हो ? आपके सामने तो गरीब जनता के अधिकारों की रक्षा का सवाल है तो क्या आपने इस प्रकार के टैक्सेज लगाकर गरीब जनता के अधिकारों की रक्षा की है ? किसानों के अधिकारों की रक्षा करना तो दूर रहा किसान जो अन्न उत्पादन करके सारे राजस्थान की जनता को देता है, सारे देश की जनता को देता है वह अन्न के भाव जो आज मौजूदा सूरत में है उससे भी कहीं ज्यादा महंगे हो जायेंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खाद्यान्न मिले या नहीं मिले, पानी मिले या नहीं मिले, पानी और खाद्यान्न की समस्या जब हम आपके सामने रखते हैं तो आप हमारे सामने बहुत बड़ी-बड़ी समस्यायें रखते हैं। शहरों की समस्या आपके सामने रखते हैं तो आप कहते हैं राजस्थान है, राजस्थान की समस्या रखते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे सामने सारा हिन्दुस्तान है और जब हिन्दुस्तान की समस्या रखते हैं तो आप कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान है। यह आपका जवाब कहां तक आयेगा ? हम आपके सामने समस्या लेकर जाते हैं और आप उल्टे हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इस प्रकार से आपकी शासन-व्यवस्था सही माने में नहीं चल सकती...

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य, आपने ट्रेक्टर्स के टायर्स पर टैक्स बताया पर उस पर तो नहीं बढ़ा है।

श्री हरिदेव जोशी : भूल गये हैं। उस पर बढ़ी है। ट्रक्स के टायर्स पर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो आपने लिखा है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्टेशन के काम में आते हैं तो ट्रेक्टर्स के पीछे ट्रॉली लगाई जाती है और उसमें ट्रक के टायर्स लगते हैं और वह सारी किसान के काम में आने वाली चीज है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ट्रक के टायर्स पर टैक्स बढ़ाया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ट्रक के पीछे ट्रॉली होती है उसमें ट्रक के टायर्स लगते हैं उन टायरों के ऊपर आपने टैक्स बढ़ाया है। मेरे समझाने का आशय यही है। टायर्स पर आपने टैक्स लगाया है। यह तो आपके समझ लेने की बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले गलती से कह दिया था आपने।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कुछ एक मैं ऐसी बात भी माननीय मन्त्री महोदय से आपके सामने कहना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : कहां हैं मन्त्री महोदय ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो एक ही मन्त्री को मानता हूं कि वह सारी केबिनेट को रिप्रेजेन्ट करते हैं। अच्छी बात है, एक मन्त्री तो बैठे हैं वर्ना आज यह भी नहीं होते तो अच्छा था इन दीवारों को कम से कम सुनाते। यही आशा हम आपसे करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बजट में खर्चे के प्रावधान का सवाल है मैं एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधि हूं और मैं अपना यह पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं कि कुछ स्थानीय समस्याओं के बारे में भी इस सदन के सामने मैं थोड़ी सी चर्चा करूं और इसी दृष्टिकोण से अंत में मैं अपने जिले से संबंधित, अपने क्षेत्र से संबंधित जो

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका भी जिक्र आपके द्वारा इस सदन के सामने करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशा नहीं थी कि इस जयपुर जिले के प्रति क्योंकि कुछ ऐसा होता आया है कि गये चुनावों में भी और वर्तमान चुनावों में भी और इससे पहले भी कांग्रेस को कोई विशेष सहयोग इस जयपुर जिले से नहीं मिला और ऐसा मालूम पड़ता है कि यह कांग्रेस का मंत्रिमण्डल इस जयपुर जिले की उन्नति करने का तो प्रश्न दूर रहा अगर उन्नति करने के लिए कोई प्रावधान कभी किसी प्रकार से रख भी दिया गया है तो जान-बूझ करके उन प्रावधानों में कमी और कटौती करने की कोशिश की है और यह इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण नीति जो इस राज्य सरकार की रही है उस नीति पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना उचित समझता हूं। इम्प्रूवमेन्ट ऑफ पब्लिक हैल्थ में इन योजनाओं की मदों में से जयपुर जिले के लिए ६४ लाख ७१ हजार रुपये का प्रावधान रखा गया था लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि ६४ लाख ७१ हजार रुपये के प्रावधान में से केवल २ वर्षों में १॥ और २ लाख रुपया खर्च किया गया और इस वर्ष बजट में केवल १० हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। बाकी सारी रकम इस जयपुर जिले की राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल ने कौन-से जिलों में ले जाकर खर्च की, कहां खर्च की, किस मद में खर्च कर दी इसका जवाब तो देने वाले वही हैं। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ५ साल समाप्त होने को आ गये, यह रुपया समाप्त होने को आ गया यदि ६४ लाख रुपया पब्लिक हैल्थ का जयपुर जिले में लगा दिया होता तो ये सारी समस्यायें हमारे सामने नहीं आतीं। अभी हमारे सामने पानी की बड़ी भयंकर समस्या उत्पन्न हुई। मंत्री महोदय के आश्वासन को मैंने देखा लेकिन मैंने बजट के प्रावधानों को देखा तो मेरा माथा ठनक गया कि यह मंत्रिमण्डल १० हजार रुपये पानी की योजना के लिए सारे शहर के लिए और जयपुर जिले के लिए रखता है और हमको आश्वासन देते हैं कि हम पानी की समस्या को सोल्व कर देंगे। क्या आप सोल्व कर देंगे? इस जयपुर जिले के लिए आपने कितना सा प्रावधान रखा है। बजट में थोड़ा सा प्रावधान रखने के बाद आप झूठे आश्वासन इस सदन के सामने देना चाहते हैं और यह कहते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बस्सी सीतारामपुरा में पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की स्कीम के लिए १ लाख ८५ हजार रुपया सैंक्शन हुवा था और उस १ लाख ८५ हजार की सैंक्शन में निरन्तर बार-बार अध्ययन करने के पश्चात् हम यह देखते आ रहे हैं कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने कोशिश क्यों नहीं की? क्या कारण है यह तो राज्य सरकार ही जानती है और कोटपुतली में गवर्नमेंट कॉलेज के निर्माण के लिए ४ लाख रुपया सैंक्शन हुआ था उसमें से ६५-६६ में ४१,३२४ और ६६-६७ में ४३,६२४ रखा है और अब कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार यह राज्य सरकार जो प्रावधान बजट में रखती है किसी जिले के लिये उतना प्रावधान अगले सालों में नहीं रखती है और जो पैसा रखा भी जाता है उसको भी खर्च नहीं करती है। इस प्रकार की राज्य सरकार की नीति है और इस प्रकार की नीति को, इस राज्य सरकार की नीति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सवाल तो यह है उपाध्यक्ष महोदय कि एक मिसाल मेरे सामने अभी दो-तीन दिन पहले की टौंक जिले की आई। यह भी एक बड़ी आश्चर्यजनक मिसाल है। जहां राज्य सरकार को जनता के हित के लिए, जनता की बहबूदी के काम करने के लिए कोई न कोई काम करने चाहिए और जैसे उदाहरण मैंने जयपुर जिले का दिया कि बजट में रुपया रखा भी जाता है तो भी उसे समुचित रूप से राज्य सरकार खर्च करना नहीं चाहती और दूसरी जगहों पर उस रुपये का प्रावधान रखती है। टौंक जिले का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। माननीय मंत्री महोदय, आप इसकी जानकारी करें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गणेती नामक कोई टोडा-रायसिंह तहसील का गांव है। वहां के कुछ काश्तकार मेरे पास आए और उन काश्तकारों ने बताया कि सन् ६२ के अन्दर कलेक्टर टौंक ने वहां पूरी जानकारी करने के बाद जो चरागाह की जमीन वहां थी उसमें से कोई ४०० बीघा के करीब जमीन चरागाह के लिए अलॉट की गांव वालों की शिकायत दूर करने के लिए, गांव के लोगों को इमदाद पहुँचाने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने वहां पर चरागाह के लिए जमीन अलग से निकाली। लेकिन इन मौजूदा चुनावों में अपने केवल मतों को प्राप्त करने के लिए, केवल वोटों को प्राप्त करने की दृष्टि से वह चरागाह की जमीन कुछ आदमियों को इस प्रकार से अलॉट कर दी गई कि जिसके लिए गांव वालों ने काफी आपत्ति भी की, लेकिन उस आपत्ति की कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव वाले बराबर चिल्ला रहे हैं। यह चरागाह जोहड़िया तालाब के नीचे है और जो आपके रेवेन्यू विभाग के नियम हैं, उनके अनुसार भी और रेवेन्यू कानूनों के मुताबिक भी चरागाह की जमीन किसी को अलॉट नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार की पॉलिसी राज्य सरकार केवल वोटों को प्राप्त करने की दृष्टि से अपनाती है तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं इस राज्य सरकार को कहता हूं कि यह उनकी अच्छी नीति नहीं है। यह तो उसी तरह की बात है कि जिस तरह से बजट में प्रावधान रखे जाते हैं और ११ करोड़ का खर्चा योजनाओं के नाम पर, जो अकाल सहायता के नाम पर इस राज्य सरकार ने खर्च किया और उसके बारे में इस सदन में काफी चर्चाएं हो चुकी हैं और राज्य का मंत्रिमण्डल इसका कोई उत्तर देने में असमर्थ रहा है और न कोई सबल दलील, इस रुपये के बारे में, इस ११ करोड़ रुपये को खर्च करने के बारे में राज्य का मंत्रिमण्डल दे सका है। इस खर्चे में जनवरी और फरवरी के महीने के अन्दर ही बढ़ोतरी हुई और....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो केवल जयपुर जिले की बात और अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं और अब टौंक चले गये और वहां से पूरे राजस्थान पर आ गए हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह चुनाव से सम्बन्धित मामला है। इस टोपिक को लेकर ही बात कह रहा हूं। इस टोपिक से बाहर की बात आप कम से कम इसमें नहीं पायेंगे। जो टोपिक लिया है उसी से सम्बन्धित बात है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चुनावों से सम्बन्धित अलॉटमेंट किये गए और चुनाव के सम्बन्ध में ही ११ करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह सब चुनाव से सम्बन्धित मसले हैं और उस टोपिक से सम्बन्धित होने की वजह से इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो राज्य सरकार की यह नीति है और जिस

Page No.77

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

नीति के द्वारा यह सरकार के रुपये का दुरुपयोग करती चली आ रही है, यह नीति किसी प्रकार भी श्लाघनीय नीति नहीं कही जा सकती। इसलिए अन्त में मैं राज्य सरकार को दो-तीन सुझाव इस प्रकार के देना चाहता हूं। वे सुझाव इस प्रकार है मंत्री महोदय कि इस सरकार के कल्याणकारी सरकार होने के नाते और जनहित के नाते इस राज्य सरकार ने जो खाद्यान्नों से सम्बन्धित वस्तुओं पर टैक्स लगाया है उन टैक्सेज के अन्दर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है और उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मवेशियों पर जो टैक्स लगाया है जैसे बैलों पर, सांडों पर टैक्स लगाया है तो एक तरफ तो राज्य सरकार हमारे सामने यह कहती है कि आज पशुओं के अन्दर, पशु-धन के अन्दर अच्छी संतति का उत्पादन नहीं होता और उसका मूल कारण क्या है कि अच्छे सांडों की उपलब्धि नहीं होती। अच्छे सांडों को उपलब्ध कराने के लिए बाजारों में लाया जाता है तो उस पर राज्य सरकार टैक्स लगाने की चेष्टा करती है। राज्य सरकार की भावनाओं का हम किस प्रकार सम्मान करें। राज्य सरकार एक तरफ तो कहती है कि अच्छे सांड नहीं मिलते हैं और दूसरी तरफ जब अच्छे सांड पैदा करके उनका आदान-प्रदान किया जाता है तो उन पर टैक्स लगाया जाता है। इसी प्रकार मजदूरी के काम में आने वाले खच्चर, गधे जो आजकल बैलों के अभाव में और बैलों पर विशेष व्यय होने के कारण प्रायः लोगबाग गधों के द्वारा कारोबार करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और इन गधों जैसे जानवरों पर इस राज्य सरकार ने टैक्स लगाया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि इससे गधे नाराज हो जायेंगे और वे कहेंगे कि [× × × ×] यह अच्छी बात नहीं है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मुझे आपसे सहानुभूति है कि [× × × ×]

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई भाइयों पर टैक्स नहीं लगायें तो अच्छा हो।

श्री हरिदेव जोशी : उनके प्रति आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद।

श्री विजयसिंह रावत : शंकरलालजी, उनसे आपकी पहचान काफी अच्छी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो इस प्रकार दूसरा सुझाव जो इस राज्य सरकार को देना चाहता हूं वह यह है कि प्रशासनिक व्यय में कमी करने के कारण यदि कुछ कर्मचारियों को, इन दुर्बल कर्मचारियों को कष्ट होता है, जैसे आपने ३२० पोस्टें ग्राम-सेवकों की कम करने की कोशिश की है। इस प्रकार विकास अधिकारियों की पोस्टें कम की हैं। हो सकता है कि परमानेंट कैडर के आर. ए. एस. ऑफिसर जो हों उन्हें तो आप इधर-उधर एब्जोर्ब कर दें लेकिन जो टेम्परेरी हैंड्स हैं उनको कहीं निकाल दिया गया, कुछ दो, तीन, चार साल में ही राज्य सरकार की सेवा में आए, उनको निकाल दिया गया तो उनके सामने गम्भीर सवाल पैदा हो जाएगा। बेरोजगारी और बेकारी की समस्या भी राज्य सरकार के सामने खड़ी होगी और उन गरीब आदमियों को सम्भालने वाला कौन पैदा होगा ? राज्य सरकार को इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि प्रशासनिक हैड में कहीं

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

और किसी मद में कमी कर सकते हों तो वहां पर कमी करने की चेष्टा करें। इन कर्मचारियों को हटाने से राज्य सरकार के खजाने में कोई विशेष वृद्धि होने वाली नहीं है बल्कि इन कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए मैं यहां तक भी कहने को तैयार हूं कि राज्य सरकार तो कर्ज लेने की आदी है, जहां तीन-सौ, चार-सौ करोड़ का कर्जा है वहां एक-दो करोड़ से इस राज्य सरकार का क्या हो जाएगा ? यह तो दिवालिया सरकार है और दिवालिये का बजट पहले से ही चला आ रहा है और जिस प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दिवालिया अपना दिवाला निकालने के बाद और दूसरों की पूंजी को दबा कर दो-चार साल में फिर डिस्चार्ज करा कर साहूकार बनने की कोशिश करता है, ठीक इसी प्रकार यह हमारी राज्य सरकार है। यह करोड़ों रुपयों का कर्जा ले रही है और उस कर्जे के बारे में बजट में हिसाब बताने की कोशिश करती है कि इतना कर्जा हमारे पर जरूर है लेकिन हमारी सरकार अपने सारे एसेट्स को भी गिनाती है और इन एसेट्स को गिनाने के बाद पुराने राजाओं की जो सम्पत्ति चली आई है उस सम्पत्ति को भी गिनाने की कोशिश करती है कि यदि उस सम्पत्ति को गिनेंगे तो हमारी हैसियत ज्यादा अच्छी रहेगी। बलिहारी है उनकी बुद्धि को। जो पब्लिक असेट्स हैं, जो बागात हैं, जो होस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, बांध हैं उनको अपने कर्जे के मुकाबले में गिनते हैं और उनको मकबूल कर देते हैं और फिर राजाओं की सम्पत्ति को भी मकबूल कर देते हैं और इसके बाद बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हमारे पास तो ११ करोड़ की गुड्स ज्यादा है। यह है इनकी तारीफ। इस प्रकार से ये अपने आपको साहूकार बनाना चाहते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि कांग्रेस ने इस राजस्थान को दिवालिया करके छोड़ दिया है, राजस्थान को इतना गरीब बना दिया है कि आप इस राजस्थान की जनता पर कितने भारी टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं कि जन-जीवन बहुत कठिन हो गया है। आराम के साधनों को ले लें, अन्य सहूलियतों को ले लें, शिक्षा के क्षेत्र को ले लें, केपिटल एक्सपेन्डीचर में कोई प्रावधान नहीं है यहां तक कि अधिकांश खर्चा करने के बाद भी राज्य के साधनों के अन्दर कोई लाभ नहीं हुआ है। तीन-तीन योजनाओं पर करोड़ों रुपये जहां टैक्स के रूप में आपको दे दिये, लेकिन आज बिजली की समस्या इस देश में ऐसी है कि शाम को कोई पढ़ने बैठता है तो बिजली बन्द हो जाती है। सुबह काम के लिए कोई चलता है तो पानी वक्त पर नहीं मिलता है। खाने का आराम नहीं, पीने का आराम नहीं और मनोरंजन का जो एक साधन था उस पर भी एन्टरटैनमेंट टैक्स। बाबा के माल के माफिक बढ़ा दिया। अगर सारी बातों को आप लें तो बड़े-बड़े आदमियों के पास तो आराम के साधन उपस्थित हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जो कभी-कभी सारे दिन की मजदूरी के बाद सिनेमा देखने की कोशिश करेगा तो जितने पैसे का वह सिनेमा देखेगा उसका पौना पैसा उसको टैक्स में देना पड़ेगा।

इस प्रकार की स्थिति जो टैक्सों को लगाई है वह बड़े आदमियों को प्रभावित करने वाला टैक्स नहीं है। जो टैक्स आप लेंगे वह गरीब तबके को प्रभावित करने वाला टैक्स है, जन-साधारण के जीवन पर आघात पहुँचाने वाला टैक्स है, वह एक ऐसा टैक्स है जो साधारण जनता के जीवन को प्रभावित करेगा।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं केवल इस राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उन्होंने संतुलित बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की है इसके लिए तो मैं उनको थोड़ीसी बधाई भी दे देता हूं और साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि नॉन-टैक्स रैवेन्यू को इसमें बढ़ाने का यत्न किया है, ऐसा उनका यत्न प्रशंसनीय हो सकता है, ऐसा उनका यत्न श्लाघनीय हो सकता है लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए जागरुक रहना चाहिये। राज्य सरकार को इस प्रकार के यत्न करते रहने चाहिए कि किस प्रकार से नॉन-टैक्स रैवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की जाय। लेकिन मैं यह प्रशंसा, यह तारीफ उनकी नहीं करता, यह तारीफ मैं विरोधी पक्ष की करता हूं कि ५ साल से बराबर यह विरोधी पक्ष इस राज्य सरकार के बहरे कानों तक यह आवाज पेश करता आया है कि हमको बजट बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रावधान रखना चाहिये कि जिसमें नॉन-टैक्स रैवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। यह विरोधी पक्ष ने आवाज उनके कानों तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस बजट के अन्दर उन्होंने थोड़ीसी नॉन-टैक्स रैवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है। इस दृष्टिकोण से मैं यह निवेदन करूंगा कि बजट में करों के प्रावधानों पर पुनर्विचार राज्य सरकार को करना चाहिए और इस प्रकार का कोई स्टेप लेना चाहिए जिसके कारण जन-जीवन को प्रभावित करने वाला यह टैक्स कम से कम जनता के जीवन पर भार नहीं हो और दूसरे प्रकार की कोई कठिनाई या अव्यवस्था जन-साधारण के जीवन में न हो। बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ! आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं।

माननीय बाढ़दार के इन शब्दों [XXX] को कार्यवाही से हटा दिया जाता है।

(विराम)

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो राजस्थान का ६७-६८ का बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में विरोधी पक्ष की ओर से एक माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये, और मैं इस सामान्य बहस में भाग लेता हुआ कुछ मेरे विचार इस बारे में व्यक्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो वर्ष है ऐसा वर्ष है जिसमें राजस्थान के बहुतसे जिलों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, और राजस्थान की जनता विशेषकर ग्रामों में बसने वाले लोग बहुत दुःखी हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि राजस्थान में पिछले २-३ सालों में अकाल बराबर पड़ता जा रहा है और उसका असर राजस्थान के बजट पर हुआ। माननीय उपाध्यक्षजी यह हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है और जब राजस्थान पर क्या, हिन्दुस्तान की बहुतसी स्टेट्स का बजट किस तरह से घाटे का है और किस तरह से टैक्स लगाये जायं....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : (बिजली बन्द होने पर) बिजली बहुत अच्छी है।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार की नीतियां क्या हैं और जनता पर किस तरह के टैक्स लगाये जायं और जो इकोनोमी हो वह किस तरह की हो। इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं।

हिन्दुस्तान में पिछले २० वर्षों से कांग्रेस का शासन है और एक तरह से अपनी नीतियों पर चलती जा रही है कांग्रेस, और जो नीतियां समय-समय पर संशोधनों के साथ रखी हैं उन्ही के अनुसार बढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने जनतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए घोषणा की

(३.१५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

उसके अनुसार अपना बजट भिन्न-भिन्न वर्षों में रखा है और उसी के अनुसार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोशिश करती है, और इसी तरह से कदम उठाने के बारे में, कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में तो सब जनता और इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले २० वर्षों में कांग्रेसी शासन...

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ये किसी दल की सराहना कर रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : बजट की सराहना करते हुए बोल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने क्या ऑब्जेक्शन किया है मेरी समझ में नहीं आया है। माननीय सभानेत्री महोदया, जो प्रोग्रेस इस कांग्रेसी शासन में हुई है इसके बारे में आपने जो कुछ किया है, जो कुछ प्रोग्रेस है वह सामने है—कृषि क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में—इनमें प्रोग्रेस कुछ न कुछ दिखाई देती है। २० वर्ष पहले शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर बहुत कम प्रगति थी। आज कम से कम प्राथमिक पाठशालाएं हर गांव में मिलती हैं। शिक्षा संस्थाओं की विशेषकर जो प्रगति हुई है उसको हर कोई मन्जूर करेगा। इसके लिये हमारा फर्ज था। ग्रामीण जनता जो कि १०० में ८० फीसदी गांवों में बसती है वह अनपढ़ है और अनपढ़ रहना ज्यादातर लोगों का, हमारी समस्याओं का मूल कारण है। इस निरक्षरता को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी प्रोग्रेस की जाय उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान का हर सालाना बजट शुरू से लेकर आज तक शिक्षा के प्रसार के लिये बढ़ता चला गया और इसी के परिणामस्वरूप आज गांवों में प्राथमिकशालाएं, मिडिल स्कूल और उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं देखने को मिलती हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या छोटे से लेकर बड़ों तक सालाना बढ़ती जा रही है। यह हरएक को मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है।

अब इस क्षेत्र में यह भी सोचने का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो पढ़ाई का सामान, सुविधाएं और स्तर हैं और जो गांवों में दी जाती हैं, उनके बारे में जो जन-सहयोग की रकम है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

शहरों में जो शिक्षा दी जाती है, जितने भवन निर्माण किये जाते हैं उन सारे के सारों में पैसा सरकार लगाती है और उसके विपरीत ग्रामों में कोई जन-सहयोग की रकम के बिना स्कूल नहीं बन सकता है। उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के भवन तो कोई दानदाता मिलता है तो स्कूल बनते हैं, नहीं तो अधूरे ही पड़े रहते हैं और वहां के बच्चे शिक्षा से महरूम रहते हैं। धनी लोग तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

शहरों में अपने बच्चों को भेज कर पढ़ा लेते हैं, लेकिन ग्राम के लोगों को शिक्षा के साधन नहीं होने से बहुतसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में राज्य सरकार को विचार करना पड़ेगा। शहरों में इतनी फेसिलिटीज होते हुए भी लोग हल्ला करते हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ तरीका होना चाहिये, और इस बारे में राज्य सरकार ने सक्रिय कदम जरूर उठाये हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी डाइरेक्ट टैक्सेज़ के रूप में पैसा मिलता है तो गावों के लोगों के अन्दर टैक्स इवेजन की कोई टेन्डेन्सी नहीं होती है और शहरों के होशियार लोग जो भी टैक्स लगाये जायं उनको इवेड करने की कोशिश करते हैं और यह हमारे सामने ऐसी विचारधारा सब जगह मौजूद है कि इतने टैक्स होने के बावजूद भी जो धनी है वह धनी होता जा रहा है और जो गरीब है वह गरीब होता जा रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कितना ही टैक्स लगाया जाय, जो होशियार लोग हैं वे टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं कई तरह से। जितने भी टैक्स उन पर लगते हैं उनसे किसी तरह वे अपने को बचा लेते हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ऊपर जो भी टैक्स का भार पड़ता है, उसमें जो भी टैक्स की आमद दिखाई जाती है वह हमेशा उससे ज्यादा वसूल होता है। इतना होने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों को जो सुविधा शिक्षा के रूप में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के रूप में, आयुर्वेदिक और एलोपैथी मेडीसन की फैसिलिटी के रूप में मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है और ग्रामों की जितनी प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हुई है। इस बारे में मैं राज्य सरकार से और माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जो भी सुविधायें गांव की जनता को देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण लोग इस राज्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा विश्वास रखते हैं इसलिये उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की आवश्यकता है। शहरों में आप कितना ही खर्च करते चले जायं, कितनी ही सुविधा शहर के लोगों को दें फिर भी लोग संतोष नहीं करते हैं। गांवों में, हमें यह मानना पड़ेगा, पहले कुछ भी नहीं था, अब वहां पर कुछ न कुछ जरूर हुआ है इसलिये उनको संतोष है। मगर, माननीय सभानेत्री महोदया, इस बारे में राज्य सरकार का, और विशेष रूप से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की की दृष्टि से बजट में से उनके प्रोपोर्शन का खर्चा करने के बारे में गम्भीरता से आपको विचार करना चाहिये। मैंने, माननीय सभानेत्री महोदया, गांवों में शिक्षा के भवनों की समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है। इसमें जो जन-सहयोग देने की बात है, वह मेरे ख्याल में खत्म की जानी चाहिये। उच्चतर माध्यमिकशाला, जहां तक हो सके भवन राज्य सरकार को बनाने चाहियें। स्कूल के लिए तो वे किसी तरह से करते हैं लेकिन जहां पर धन उपलब्ध कराने की गुंजाइश लोगों में नहीं हो वहां पर राज्य सरकार मदद देकर भवन-निर्माण कराये तभी गांव के लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं। वरना जैसे जैसलमेर है, शेरगढ़ है, फलौदी-सांचोर का इलाका है, बाड़मेर का क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भवन-निर्माण की कमियों की वजह से स्कूल अभी तक खोल नहीं पाये हैं जबकि वे दस वर्ष पहले ही खोल दिये जाने चाहिये थे। आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां दस-पन्द्रह मील तक कोई स्कूल दिखाई नही देता है। ऐसी हालत में सबसे पहले राज्य सरकार को योजना बनानी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चाहिए कि कम से कम ऐसे एरियाज में जहां पर मिडिल स्कूल या उच्चतर माध्यमिकशाला राज्य की ओर से भवन-निर्माण की कमी की वजह से नहीं खुल पाये हैं, वहां पर जो जन-सहयोग के आधार पर स्कूल खोलने की शर्त है उसको खत्म किया जाना चाहिए। वरना ऐसे क्षेत्र हर रूप में और विशेष रूप से जो शिक्षा में प्रगति की बात है उसमें पिछड़े रह जायेंगे। वहां के लोगों को राज्य सरकार से स्वतन्त्रता के इतने वर्षों के बाद में भी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। इसलिए इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

समानेत्री महोदया, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो भी बातें कही हैं उनमें यही बताने की कोशिश की है कि राज्य में कुछ भी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब भी बजट पेश होता है उसमें कुछ न कुछ टैक्स जरूर लगाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी राज्य सरकार की ओर से अच्छी बातें होती हैं उन अच्छी बातों को भी वे अच्छी नहीं बताते हैं। यह तो विरोधी पक्ष की आलोचना है। लेकिन मैं जानता हूं कि कन्स्ट्रक्टिव आलोचना की कद्र राज्य सरकार हमेशा से करती आ रही है और करेगी। परन्तु इसके साथ ही जो उसने अच्छा काम किया है उसकी तो हमें सराहना करनी पड़ेगी और जो काम होने लायक हैं उनको भी बताना पड़ेगा। वे एक तरफ तो यह कहते हैं कि टैक्स क्यों लगाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि फलां जगह पर सड़क नहीं है, फलां जगह पर कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। बहुतसी चीजों की आलोचना के साथ-साथ मांग करते हैं। सभानेत्री महोदया, यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी-अभी स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य ने अपनी पार्टी की नीति के बारे में विचार रखे और उसके साथ-साथ कहा कि हम प्लान्ड इकोनोमी में विश्वास करते हैं और विश्वास नहीं भी करते हैं। यह चीज ऐसी है कि जिस पर वे अच्छी तरह से विचार करें जबकि वे अपने विचारों के अनुसार प्लान्ड इकोनोमी में विश्वास करते हैं तो ऐसे टैक्सों के लगाये बिना राज्य सरकार काम कैसे कर सकती है? इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जो बात है वह बहुत जरूरी है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, परन्तु ऐसे तबके के ऊपर, जिनकी इन्कम ज्यादा है, टैक्स लगाये बगैर सरकार आज के इस विकासशील युग के अन्दर कैसे चल सकती है? अपना विकास करने के लिए जब सरकार कदम बढ़ाती है तो उसको टैक्स लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन माननीय सदस्य ने एक भी सुझाव ऐसा नहीं दिया है कि बगैर टैक्स के काम कैसे चल सकता है। तो साथ-साथ में उनको यह मानना पड़ेगा कि टैक्स तो लगाने पड़ेंगे। परन्तु, माननीय सभानेत्री महोदया, यह मानना पड़ेगा कि जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस वर्ष जो टैक्स की पॉलिसी बनाई है और जिस प्रकार टैक्स लगाने की कोशिश की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने बहुत कोशिश करके, प्रयत्न करके जो टैक्स के प्रोपोजल्स इस वर्ष रखे हैं वे ऐसे हैं कि जिनकी इन्कम ज्यादा है उन पर टैक्स का भार अधिक पड़े और जिनकी इन्कम कम है उन पर टैक्स का भार कम पड़े, मैं समझता हूं कि टैक्सेशन की यही पॉलिसी होनी चाहिए कि जिनकी इन्कम बढ़ती है वे टैक्स ज्यादा दें और जिनकी इन्कम कम है उनके ऊपर उनकी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन्कम के अनुपात में टैक्स का भार पड़े। परन्तु इसके साथ-साथ जो दो-तीन टैक्स लगाये हैं उनकी ओर मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक टैक्स तो मेलों में मवेशियों के क्रय-विक्रय पर लगा दिया है। हम इस टैक्स का घोर विरोध करते हैं। दो-तीन वर्ष पूर्व, मुझे याद पड़ता है, जिस समय कौल साहब फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उस समय ही हमने इस टैक्स का विरोध किया था। इतने दिनों के बाद वही टैक्स उन मिनिस्टर के द्वारा लगाया गया है जो कि मेलों में जाते हैं और काश्तकार किस तरह की हालत में हैं, कैसे वह मवेशी को पालते हैं, एक जोड़ी बैल को पालने में कितना खर्च लगता है–यह सब जानते हैं। वे लोग जब मेलों में खरीद-फरोख्त के लिए आते हैं तो इस टैक्स के लगने के बाद में उन लोगों के सामने बड़ी निराशाजनक स्थिति पैदा हो जायगी और यह टैक्स लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

इसके अलावा जो दूसरा टैक्स सीमेन्ट और सीमेन्ट के आर्टिकल्स पर लगाया है वह ऐसा है जो काश्तकारों से सम्बन्ध रखता है। वैसे तो सीमेन्ट दूसरे लोग भी उपयोग में लेते हैं लेकिन आजकल जो वैल्स का कन्स्ट्रक्शन होता है और जो काफी खेती-बाड़ी के काम में आता है उसमें काश्तकार ज्यादा से ज्यादा सीमेन्ट काम में लेते हैं। सीमेन्ट के ऊपर इतना टैक्स बढ़ने से काश्तकारों की परेशानी बढ़ेगी। आज हर काश्तकार अपने खेत में कुएं बनाना चाहता है और उससे सिंचाई करके काश्त करना चाहता है। माननीय सभानेत्री महोदया, इस बात को फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस युग में जब नेचर इतनी अनसर्टेन है कि मानसून फेल होती जा रही है, इसलिए काश्तकारों को, जो पहले कुए कम बनाते थे, अब हर खेत में कुआ बनाकर काश्त करनी पड़ती है जिससे पानी दे सकें अपने खेत में। मुझे यह अच्छी तरह से मालूम है और आपको शायद आंकड़ों में भी मिल जाय कि जालौर में जो वैल्स का कन्स्ट्रक्शन हुआ है, वह इन वर्षों में अधिक हुआ है और वह हजारों की संख्या में हुआ है। इस वर्ष जो कम वर्षा हुई और भयंकर अकाल पड़ा, उसमें लोग मेहनत करके कुए बना कर खेती करना चाहते हैं। कुए से तीन, चार, पांच, बीघा से ज्यादा पिलाई नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी कुए से सहायता मिलती है। ये कुए ज्यादातर कंक्रीट, सीमेन्ट आदि से बनते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आपको इर्रीगेशन की समस्या को प्रायोरिटी देनी है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। आज देश में जो खाद्य की विषम समस्या है वह वास्तविक रूप में तभी हल हो सकती है जब प्रोडक्शन बढ़े। अगर प्रोडक्शन बढ़े तो सारी प्रोब्लम हल हो जाती है। सीमेन्ट पर जो आपने टैक्स लगाया है इससे प्रोडक्शन पर खराब असर पड़ेगा। इसलिए सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने जो आर्टिकल्स हैं, जो काश्तकारों के काम में आते हैं उनके बारे में दुबारा सोचने की नितान्त आवश्यकता है।

माननीय सभानेत्री महोदया, इसके अलावा दूसरा टैक्स ड्राई फ्रूट्स के ऊपर है, यह टैक्स लिस्ट में दिया है जिसे मैंने पढ़ा है। यह आपको भलीभांति मालूम है कि आज जो फूड अडल्ट्रेशन की भावना इस देश में फैली है, आज यह हालत है कि हर फूड में अडल्ट्रेशन चलता है। इसके बारे

Page No.84

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में मेरा विचार है कि चाहे जितने कन्विक्शन्स होते हों या चालान होते हों फिर भी लोगों की मनोवृत्ति अडल्ट्रेशन की बढ़ती जा रही है और इससे हम सब लोग पीड़ित हैं। ड्राई फ्रूट्स आम तौर पर सब लोग खाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं कि ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली भी आती है......

श्री भगवानदासः ड्राई फ्रूट तो काजू है।

श्री मथुरादास माथुरः बादाम है, काजू है।

श्री रघुनाथ विश्नोईः ड्राई फ्रूट्स खाकर लोग अच्छी तरह रह सकते हैं, यह जो शुद्ध भोजन है इसके ऊपर भी आप टैक्स लगाते हैं पर फाइनेन्स मिनिस्टर ने दूसरी तरफ दृष्टि दौड़ाई और टैक्सेज लगाने की कोशिश की है तो मैं कहूंगा कि इसका असर गरीब जनता पर पड़ता है।

श्री मदनसिंह : सूखे मेवों पर तो बड़े-बड़े लोगों पर टैक्स का भार पड़ेगा। अगर काकड़ी और मतीरे पर टैक्स लगाया हो तो उसका असर गरीब लोगों पर पड़ेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर भी कोई दूसरे सोर्सेज मिलें और यह बच सके तो बहुत अच्छी बात होगी।

इसके अलावा चांदी के जेवरात पर आपने टैक्स बढ़ाये हैं। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में लोग ज्यादा चांदी के जेवर ही पहिनते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : एक पर्सेन्ट बढ़ाया है।

एक माननीय सदस्य : यह लग्जरी में आता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ड्राई फ्रूट्स में सोया बीज नहीं आता है।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें काजू आते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गांवों में जैसा कि वित्त मंत्री स्वयं जानते हैं कि ज्यादातर लोग सिल्वर के ओरनामेन्ट ही पहिनते हैं। हालांकि यह एक सामाजिक प्रश्न है लेकिन इस सामाजिक रिवाज को दूर करने में बहुत समय लगेगा। ग्रामीण औरतें ज्यादातर चांदी के जेवर ही पहिना करती हैं। इस रिवाज को दूर करने में बहुत समय लगेगा। परन्तु इस पर अगर टैक्स लगता है तो इसका सीधा इफेक्ट गरीब पर पड़ता है। इसलिये मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गरीब आदमी पर कम टैक्स पड़े तो ठीक रहेगा और अगर आपका यह दृष्टिकोण है तो आपको सिल्वर के जेवरों पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये। अगर आप इस पर टैक्स नहीं बढ़ाते तो उचित रहता और मेरे खयाल से आपको यह टैक्स वापिस लेना चाहिये क्योंकि इसका ज्यादा असर उन औरतों पर पड़ेगा जो गांवों में रहती हैं और जो चांदी के जेवर पहिनती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि इसका भार गरीब समाज पर जा कर पड़ेगा।

इसके अलावा सेल्स-टैक्स के प्रोसीजर में सुधार और अन्य टैक्सों की अपील के बारे में कुछ सुविधा के बारे में सरकार ने कदम उठाये हैं और स्मॉल ट्रेडर्स के लिये कुछ नये सुधार घोषित किये हैं उसके लिये मैं सरकार को सराहना करूंगा क्योंकि ज्यादातर गांवों में व्यापारियों से यह सम्बन्ध रखता है। जब उनको लम्प सम में टैक्स देना पड़ता है तो वे कुछ कम भार सा महसूस करते हैं। इस बारे में जनता की मांग को देखते हुए प्रोसीजर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में परिवर्तन किया गया है वह बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है।

इसके अलावा आपने २५ पर्सेन्ट सिंचाई दर में बढ़ोतरी की है और बताया है कि इससे करीब ४० लाख के आस-पास आमदनी के बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि आप एक ओर तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिये लोगों को प्रायोरिटी देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप सिंचाई के तरीकों पर २५ पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं जब कि आज हमारे यहां पर ऐसी हालत है कि हमारा उत्पादन बहुत कम है। एग्रीकल्चर हमारे लिये एक विशेष समस्या बना है। साइन्टीफिक मेथड से खेती करना बहुत कम लोग जानते है। तीन तरह इर्रीगेशन होता है—मेजर इर्रीगेशन, माइनर इर्रीगेशन आदि।

श्री मथुरादास माथुर : कुओं से जो सिंचाई होती है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : तालाबों पर खेती होती है उस पर तो इसका असर पड़ेगा ही।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिंचित एरिया में ज्यादा गुन्जाइश है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब हम ऐसे विकट समय से गुजर रहे हैं और बाहर से करोड़ों रुपयों का अनाज हमें मंगाना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में यह २५ पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाना न्यायसंगत नहीं होगा और इसका असर काश्तकारों के दिमाग पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। वे यह समझेंगे कि हम चाहे कितना ही प्रोडक्शन करें हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज उन लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं और कितनी नहीं मिलती हैं वह तो आपसे छुपी हुई नहीं है। फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि सिंचाई की दरों को बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसलिये कि इससे किसानों के दिमाग पर बड़ा भारी असर पड़ेगा और वजन रहेगा और इससे उत्पादन बढ़ने में कमी होगी। ऐसी हालत में आपको इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने अपने बजट भाषण में बताया है कि एग्रीकल्चरिस्ट किस तरह से अपना उत्पादन बढ़ावें और उनको उत्पादन बढ़ाने के लिये जो भी सोर्सेज हैं, जहां-जहां जिलों में माइनर इर्रीगेशन होता है वहां बढ़ाने की जरूरत है। वहां पर आपको काश्तकार को सुविधा देने के बारे में विचार करना चाहिये। यह सही है कि आपने अपने बजट में काफी एलोकेशन करने की कोशिश की है और माइनर इर्रीगेशन में कुछ पैसा दिया है मगर फिर भी २५ पर्सेन्ट बढ़ाने से वेल इर्रीगेशन और माइनर इर्रीगेशन करने वाले लोगों का उत्साह टूट जावेगा। इसलिये ऐसी हालत में सिंचाई की दरों के बारे में आप गम्भीरता से विचार करें तो उचित होगा।

इसके साथ-साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सांचोर और सिरोही जिले के काश्तकार कोशिश करना चाहते हैं। मगर इन जिलों में सीमेन्ट वहां के लोगों को एक बोरी भी उपलब्ध नहीं होती है और काश्तकार के लिये कुओं की मरम्मत के लिये और कुओं के लिये सीमेन्ट की समस्या रहती है। राजस्थान में आपने सीमेन्ट को खुली करने के लिये कहा था लेकिन अभी तक खुली नहीं की गई है। अभी भी परमिट और तसदीक करानी पड़ती है। यह भी एक बहुत मुश्किल समस्या है।

श्री मदनसिंह : इस परमिट से तो फायदा ही है। एग्रीकल्चरिस्ट को ६) रु० बेग

(श्री मदनसिंह)

के भाव से सीमेन्ट मिलती है मगर परमिट नहीं होगा तो उससे १५) रु० या १६) रु० लगते हैं इसलिये इससे तो फायदा ही है काश्तकारों को।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आपने कहा वह तो ठीक है लेकिन लोगों को दो-दो तीन-तीन दिन चक्कर लगाना पड़ता है, तसदीक कराने के लिये और परमिट लाने के लिये। ठीक है अगर आपको तसदीक ही करानी है तो ग्राम पंचायत के सरपंच की तसदीक होनी चाहिये। वह इस बात को एसर्टेन करता है कि यह सीमेन्ट एग्रीकल्चर पर्पज के लिये काम में लेंगे क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि काश्तकार को कितनी बोरियों की आवश्यकता है। वह तसदीक सरपंच कर सकता है और उस पर उनको सीमेन्ट मिल जानी चाहिये। यह सफिशियेन्ट होनी चाहिये, इसलिये इसके लिये लोंग प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आज काश्तकार को सीमेन्ट नहीं मिलने से वह अपने कुए अच्छी तरह से नहीं बना सकता है और ऋण उसको उपलब्ध नहीं होने से कुओं को भी नहीं बना सकता है। इसके अलावा काश्तकार को अपनी मर्जी के माफिक खातेदारी के आधार पर कुए बनाने की आवश्यकता हो तो उसे बनाने की खुली छूट देनी चाहिये। अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की समस्या का प्रश्न है तो आपको इस पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको एलोकेशन और लोन्स ज्यादा देने होंगे और जहां पर लोगों को जरूरत नहीं है और वहां पर दिया जाता है, वहां पर कम दिया जावे तो भी उचित होगा। क्योंकि वहां पर पेनल इन्टरेस्ट और रिकवरीज बहुत डिफिकल्ट होती है। हमारे सांचोर और सिरोही में बेल से इरींगेशन करते हैं। मगर उनको सीमेन्ट नहीं मिलने से कुछ लोग लकड़ियों के पाटिये रख कर काम चलाते हैं। इसलिये आपका ध्यान इस तरफ जाना जरूरी है। जैसा कि आपका ध्यान सिंचाई की दरों को बढ़ाने की ओर गया उसी तरह से सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, उनको राज्य सरकार की तरफ से जो भी उनको आवश्यकता है जैसे-ट्रेक्टर, पंपिंग सेट्स के लिये लोन की आवश्यकता हो तो उनको लोन दिया जावे। लोगों को ऋण दिया जावे उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान सरकार के सामने खाद्य समस्या इस समय जितने विकट रूप में उपस्थित है वह दिन-ब-दिन और विकट होती जायगी। किसानों के दिमाग में अस्थिरता है, अन्सर्टेन्टी है, एलॉटमेंट की सुविधा नहीं मिलने के कारण और अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलने के कारण, किसी एरिया को उन्हें एक साल के लिये एलॉट किया जाता है, किसी एरिया को उन्हें दो साल के लिये एलॉट किया जाता है, इस कारण किसान लोग तहसीलों में चक्कर लगाते रहते हैं, उनके दिमाग में एक प्रकार की अन्सर्टेन्टी घर किये हुए है, इससे कृषि के उत्पादन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने हमारे लैंड रेवेन्यू सम्बन्धी कानून हैं, जितने लैंड रेवेन्यू सम्बन्धी रूल्स हैं उनको सिम्पल बनाने चाहियें, समय-समय पर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सबको एक जगह करके सिम्पल बनाना चाहिये, जिससे कि हमारे लैंड रेवेन्यू लॉज, लैंड रेवेन्यू रूल्स सिम्पल बनें और काश्तकारों के दिमाग में स्थिरता पैदा हो, उनके दिमाग में जो एक तरह की अस्थिरता घर किये हुए है वह दूर हो, किसी प्रकार की अन्सर्टेन्टी किसानों के दिमाग में न रहे और वे कृषि का उत्पादन बढ़ाने में निरन्तर जुटे रहें।

काश्तकारी का धंधा १०० में से ८० प्रतिशत घाटे का धंधा है। दूसरे धंधों में तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सेल्स-टैक्स की छूट होती है पर कृषि में ऐसा नहीं है। इस वर्ष तो राज्यपाल महोदय ने कुछ मिनिमम होल्डिग्स पर छूट दी है. यह सराहनीय कार्य है, इस बारे में मैं सरकार की सराहना किये बगैर नहीं रह सकता पर काश्तकारों की बड़ी अहम प्रोब्लेम्स हैं, शिक्षा के बारे में, मेडिकल फेसिलिटीज के बारे में जो उनको दिक्कतें हैं, एनीमल हस्बेन्डरी की प्रोब्लेम्स हैं और कई प्रकार की अन्य दिक्कतें हैं उनके सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिये। किसानों को ऋण दिये जाते हैं, उस सारी प्रक्रिया पर आपको विचार करना होगा। उनको जो ऋण प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई-कई साल उनको ऋण प्राप्त करने में लग जाते हैं, उन सब दिक्कतों को आपको दूर करना होगा और एक ऐसी सरल प्रक्रिया, एक सरल व्यवस्था काश्तकारों को ऋण देने के सम्बन्ध में करनी होगी जिससे कि किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और समय पर उन्हें ऋण मिल जाय जिससे कि वे कृषि का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो....

श्रीमती सभानेत्री : आपको आधा घंटा हो गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काश्तकारों को ऋण देने के जो नियम हैं, इतने कॉम्प्लीकेटेड हैं कि ऋण प्राप्त करने में किसानों को अनेकों डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। उन डिफिकल्टीज को दूर किया जाना चाहिये। जिस काश्तकार के पास भूमि है और उसको कृषि की उपज बढ़ाने के लिये ऋण की आवश्यकता है तो उसे ऋण जल्दी से जल्दी देना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा को-ऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है इस ओर भी आपको ध्यान देना होगा। पहले क्वांटिटी को बढ़ाने के बारे में ध्यान दिया पर अब क्वालिटी को बढ़ाने की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस प्रकार के एट्रेक्शन्स गांवों के लोगों के सामने रखने चाहियें कि हर गांव का हर आदमी को-ऑपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बने। फर्टीलाइजर ऋण देने की योजना इस प्रकार की बनाइये कि हर किसान इस ओर एट्रेक्ट हो, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा इस प्रकार के ऋण देने की व्यवस्था कीजिये। किस को-ऑपरेटिव सोसाइटी को कितने फर्टीलाइजर की आवश्यकता होगी, कितना रफ फर्टीलाइजर आप समय पर कहां-कहां पहुँचा सकेंगे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को चाहिये कि कृषि विभाग और को-ऑपरेटिव विभाग, इन दोनों विभागों में को-ऑर्डिनेशन स्थापित करके, यह काम क्रय-विक्रय संघ को देकर फर्टीलाइजर देने की इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये कि किसानों को आसानी से समय पर आवश्यकता के अनुसार फर्टीलाइजर समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके, जिससे कि काश्तकार कृषि का उत्पादन बढ़ा सकें। आपको इन सब बातों पर विचार करके इन सारी दिक्कतों को दूर करना है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुल मिला कर बजट के प्रोपोजल्स हैं, जिस तरह से बजट प्रोपोजल्स को तैयार किया गया है, नोन-टैक्स रेवेन्यू के बारे में, और दूसरी रेवेन्यू के बारे में जो समुचित, उपयुक्त ठोस सुझाव आयें उनको स्वीकार किया जाना चाहिये और जो टैक्स रेवेन्यू में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

छूट दी जाना आवश्यक है, उसको पूरा दिया जाना चाहिये। रिकवरीज में जो डिफिकल्टीज हैं और दूसरी प्रकार की डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करना आवश्यक है।

(अनेक सम्माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभानेत्री महोदया, वित्त मंत्रीजी ने जो अपना बजट भाषण दिया है उसके लिये मैं उनको बधाई देने से अपने-आपको नहीं रोक सकता। वित्त मंत्रीजी ने राज्य का जो आर्थिक ढांचा है, उसकी जो नंगी तस्वीर असली रूप में हमारे सामने रखी है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान सरकार आज दिवालिया बन कर कगार पर खड़ी हुई है, राजस्थान सरकार ने अरबों रुपयों का ऋण केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किया, लगभग ४८ करोड़ रुपया आपने अन्य साधनों से ऋण के रूप में प्राप्त किया, १६ करोड़ रुपयों का ओवरड्राफ्ट राजस्थान सरकार पर मौजूद है। इन सारी स्थितियों के बावजूद आज राजस्थान की जो आय है वह घटी है। ५४-५५ की कान्स्टेन्ट प्राइस के ऊपर आपने बताया है, ६४-६५ के मुकाबले ६५-६६ में राजस्थान की आय ५.१६ पर्सेन्ट घटी है और इस प्रकार इन बड़े-बड़े करों के बावजूद, बड़े-बड़े कर्जों के बावजूद और बड़ी-बड़ी योजनाओं के बावजूद राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय घटी है, वित्त मंत्रीजी ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे स्पष्ट है कि ६४-६५ में प्रति व्यक्ति आय २५२ रुपये थी वह ६५-६६ में २३६ रुपये रह गई है। यह नक्शा आपने स्वयं दिया है। राजस्थान सरकार ने अपने शासनकाल में राजस्थान का कितना विकास किया इसका सच्चा चित्र वित्त मंत्रीजी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और मैं समझता हूं कि सच्चा चित्र रखना एक हिम्मत का काम है। यह ठीक है कि वित्त मंत्रीजी जोखिम उठाने के आदि हैं, जब गृह मंत्री थे तब भी जोखिम उठाई। जो सच्चा चित्र राजस्थान की आर्थिक स्थिति का उन्होंने रखा है उसके लिये उन्हें बधाई दिये बिना नहीं रह सकता।

सभानेत्री महोदया, वित्त मंत्रीजी अपनी टिप-टोपनेस और कम से कम दिखावे के लिये पक्के चतुर हैं और इस बजट को पेश करने के अन्दर भी टैक्स का बर्डन कितना प्रति व्यक्ति पड़ा, एक्च्युअल टैक्स कितना लगाया है यह न बता कर चतुराई से यह बताने की कोशिश की कि टैक्स बिल्कुल नहीं लगा, नॉन-टैक्स रेवेन्यू में बढ़ाने की कोशिश की है, उसको छिपाने की कोशिश की है, उसकी सराहना करूंगा पर जिस प्रकार के आंकड़े रखे हैं उनसे वे सदन को गुमराह नहीं कर सकते। सभानेत्री महोदया, जो इस प्रकार का बजट हमारे सामने आया है उसमें राजस्व खाते में १,५७५ लाख का घाटा बताया गया है और उससे आमदनी १,२७५ लाख की है और ३ करोड़ का घाटा राजस्व खाते में बताया गया है। आर. एस. ई. बी. में ब्याज और डेप्रिसियेशन फण्ड में कमी आई है, बड़े कर लगाने में छूट दी है उसको मिला कर ३॥ करोड़ का और दोनों को मिला कर ६॥ करोड़ का घाटा होता है और इसके अलावा योजना कार्यों के लिये जो सरकार को साधन जुटाने पड़ेंगे, जो रुपया चाहिये वह डेढ़ करोड़ के करीब आता है इस प्रकार वित्त मंत्री ने अपने भाषण के अन्दर आठ करोड़ की कमी को पूर्ण करने के लिये तीन-तीन उपाय बताये हैं।

Page No.89

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन करोड़ की बचत जो हम देखते हैं जो वित मंत्री ने बताई है मैं समझता हूं यह ३.६३ की जो बचत की जा रही है उसमें कोई नये ढंग सुझाये गये हों यह बात नहीं है। सरकार को यह उपाय तो रूटीन के अन्दर ही कर लेने चाहिये थे। सरकार ने अपनी एफीशियेन्सी को बताने के लिये कि हमने एफीशियेन्सी करके १.२० लाख की बचत की है। पहले सरकार के सामने कौनसी बात थी जिसके कारण वह एफीशियेन्सी नहीं बढ़ा सकती थी ? पहले उनको यह कदम उठाने से कौन रोक सकता था ?

राजाओं को बिजली और नल के पानी की सुविधा को बन्द कर दिया। यह तो आप पहले भी कर सकते थे। हो सकता है आपको राजनैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर यह कदम उठाना पड़ा हो। विरोधी पक्ष वालों ने तो यह सवाल समय-समय पर उठाया था लेकिन सरकार ने उस पर विचार नहीं किया। ६७ के आम चुनावों के बाद आपको इस पर विचार करना पड़ा।

कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड, अन-ऑथोराइज्ड ऑक्युपेन्ट्स हैं, उनके लिये आपने एग्रीकल्चर भूमि को कन्वर्ट करने के कारण जो आमदनी बतायी है वह कोई नया ढंग नहीं है। इससे नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है। जो अन-ऑथोराइज्ड ऑक्युपेन्ट्स हैं उनको रेगुलेराइज कर लेंगे। एग्रीकल्चर लैण्ड को खरीद लिया और उसको आबादी लैण्ड में कन्वर्ट करने के लोभ में खरीद लिया। उन पर मकान बना लिये उससे आप पैसा वसूल करेंगे इससे आप पचास लाख रुपये की आमदनी करना चाहते हैं। यह भी आपने ८ करोड़ की कमी की पूर्ति करने के लिये साधन रखा है यह तो सरकार चाहती तो सेशन से पहले भी यह कर सकती थी, चुनाव से पहले भी कदम उठा सकती थी लेकिन उस समय उठाया नहीं।

सभानेत्री महोदया, जहां तक टैक्सेज के छुपाने का सवाल है वह न करके आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिये ढ़ाई करोड़ के हमने टैक्स लगाये हैं। ये केवल ढ़ाई करोड़ के नहीं बल्कि चार करोड़ और पैंतालीस लाख के टैक्सेज राजस्थान की जनता पर लगाये हैं। आपने बजट भाषण के अन्दर ढ़ाई करोड़ के टैक्स की बात कही है लेकिन आपने बजट भाषण में दूसरे टैक्स लगाये हैं जिनको भिन्न-भिन्न स्थानों पर बताया गया है। सेल्स-टैक्स के अन्तर्गत जहां चांदी के जेवर बनेंगे वहां एक पर्सेन्ट से बढ़ाकर दो पर्सेन्ट कर दिया है। इस प्रकार चांदी के जेवरों पर जो टैक्स बढ़ाया है वह नया है उससे आपने ६० लाख की आमदनी चाही है।

इसी प्रकार इर्रीगेशन चार्जेज गत साल के अन्दर भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि नोन-सीरियल की जो फसलें हैं उनके ऊपर पांच रुपये पर एकड़ का सरचार्ज लगाया जायगा, जो पिछली बार नहीं लगा था इस बार इस बजट में वह भार पड़ेगा यह भी आपके द्वारा नया टैक्स लगाया गया है उससे भी कर-भार बढ़ जायगा।

इसी प्रकार शहरों में जहां नल व्यवस्था है उसको रेशनेलाइज कर दिया जायगा, वाटर रेट्स बढ़ जायेंगे उससे भी टैक्स बढेगा। यह जो भार पड़ने वाला है उससे ४.२५ लाख की आमदनी होगी।

Page No.90

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सेन्ट्रल टैक्सेज का शेयर जो मिलने वाला है राजस्थान की जनता को उस १०६ करोड़ में भागीदार बनना होगा। इस तरह से वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से हमको यह बताना चाहा है कि हमने मामूली ढाई करोड़ के टैक्स लगाये हैं। ये ढाई करोड़ के टैक्स नहीं ये ४.२५ लाख पर जायेंगे। केन्द्र का हिस्सा निकाल भी लिया जाय तो ३.४५ लाख के टैक्सेज का भार पड़ेगा।

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने जिस विचार से किसानों की उपेक्षा की है वह बरदाश्त के लायक नहीं है। जो इर्रीगेशन चार्जेज पर कर लगाने का प्रयास किया है वह तर्क संगत नहीं है। आपके तर्क को सही मान लिया जाय, और जिस प्रकार वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है—

"यह उचित नहीं लगता है कि राज्य के कुछ लोग तो सिंचाई सुविधाओं और पैदावार में वृद्धि से लाभान्वित हों और अन्य लोग सिंचाई योजनाओं के घाटे को देकर पूरा करें"।

इससे आपके कहने का तात्पर्य स्पष्ट है जहां पर सिचाई सुविधायें नहीं गई हैं, किसान फायदा उठा रहे हैं, जहां पर पानी पहुंच गया है, उसके लिये राज्य सरकार दूसरी जनता पर कर लगाकर जो उस पानी का उपयोग नहीं करती उन पर बर्डन न डाला जाय। इसी तर्क के आधार पर यह कहां तक न्यायसंगत है कि राजस्थान सरकार डी० सी० एम० को तीन नये पैसे यूनिट बिजली दे रही है। इससे राजस्थान के बजट में लाखों का नुक्सान हो रहा है। उस नुक्सान की पूर्ति राज्य सरकार जनता से क्यों कर रही है? वह बेचारे गरीब पूंजीपति से तीन पैसा यूनिट चार्ज कर रहे हैं। जो किसान आपको अन्न दे रहा है, जो किसान भारत को अमेरिका के गिरवी रखने से बचा रहा है, उस किसान को कोई फायदा होता है तो उसको बरदाश्त नहीं कर सकते।

सभानेत्री महोदया, उद्योगपतियों को केवल यही फायदा नहीं, उद्योगों के लिये कन्सेशन रेट्स पर प्लॉट्स दिये जा रहे हैं। डेढ़ हजार रुपया पर एकड़ पर जमीन दी जा रही है, यह आश्वासन सदन में दिया गया था। जालान को कोटा के अन्दर एक हजार रुपये पर एकड़ पर जमीन दी गई है। पानी और बिजली की सुविधायें अलग, सड़कों की सुविधा, ऋण की सुविधायें दी जाती हैं। कोटा के अन्दर तो इनके अलावा होम प्राइज टैक्स भी माफ कर दिया है। इससे सरकार को लाखों की आमदनी हो सकती थी, लेकिन उससे भी महरूम रखा गया है। आज तो सरकार की यह नीति रही है कि उद्योगपतियों को किसी न किसी रूप में फायदा पहुँचाया जाय। क्या यही समाजवादी सरकार की नीति है, टैक्स देने लायक जो लोग हैं उनको तो माफ किया जाय और उसका भार अन्य जनता पर डाला जाय।

(४ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार ने सरचार्ज के बारे में नीति तय की है कि ३० स्टैंडर्ड एकड़ की जिसके पास भूमि होगी उस पर सरचार्ज लगेगा। यह समाजवाद का स्वांग करने वाली सरकार है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने सीलिंग का कानून बनाया, आपने नियम बनाये। क्या आपके इस भाषण के आधार पर यह मान कर चलें कि आप उनको ताक के अन्दर डालकर सीलिंग

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कानून राजस्थान में नहीं लागू करना चाहते हैं? जो बड़े-बड़े सरमायेदार प्लॉट्स लेकर बैठे हुए हैं, आज उनको उसी प्रकार बना रखना चाहते हैं। अगर सरकार का सीलिंग कानून को प्रभावशाली बनाने का इरादा होता तो इस प्रकार सरचार्ज टैक्स के नाम से टैक्स का प्रस्ताव लेकर आप आए हैं, उसका विचार नहीं रखते। सरकार सरचार्ज टैक्स लगाना चाहती है लेकिन ऐसे बताया है कि जैसे बड़े किसानों पर ही इस टैक्स को लगा रहे हैं लेकिन असली बात तो आप छिपाना चाहते हैं। सरकार किसी भी हालत में समाजवाद का नारा जरूर देगी लेकिन सीलिंग कानून को राजस्थान में लागू करने वाली नहीं है क्योंकि उसने इस चुनाव को जीतने के लिए कमिटमेंट्स किये हैं, बड़े-बड़े जमींदारों से फंड्स प्राप्त किए हैं, सरकार आज उस बात को छिपाती है।

आज वित्त मंत्री महोदय ने सब तरफ से, वह अकेला नहीं, राज्य सरकार ने चारों तरफ से किसान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। सरकार किसान को कुचल देना चाहती है, किसान के नाम पर राज्य करने वाली यह सरकार आज किसान को खत्म कर देना चाहती है, उसकी क्रय-शक्ति को समाप्त करना चाहती है। आपने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही छोटे किसान पर से लगान माफ कर रहे हैं। छोटा किसान खुश हुआ लेकिन उसके तुरंत बाद घोषणा की, प्रोक्योरमेंट की, लेवी की। आप लेवी का हिसाब तो लगायें। आपने कानून बनाया है काश्तकार से कितनी मात्रा में, किस मूल्य पर आप उससे लेवी प्राप्त करने जा रहे हैं, उसके कारण बाजार भाव के अनुसार उसको कितना नुकसान होने वाला है। सरकार ने इसकी कल्पना नहीं की। सरकार कहती है कि हम लेवी लेंगे। सबसे पहले हमला जो सुखाड़ियाजी के नए शासन काल में मिला वह मिला लेवी के रूप में। सरकार ने किसान पर लेवी लगाई और आज लेवी को प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

उसके बाद भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने नॉन-सीरियल क्राप्स पर ५) रु० प्रति एकड़ इर्रीगेशन चार्जेज लगाने का फैसला किया था, वह अब इस बजट के बाद आज उस किसान पर भार पड़ेगा। २५ प्रतिशत जो इर्रीगेशन चार्जेज़ आज हैं उनमें वृद्धि का भार किसान पर पड़ेगा। सरचार्ज का भार किसान पर पड़ेगा। इस प्रकार से वह किसान जो अन्नदाता है उस पर आपने लेवी के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर, प्रोक्योरमेंट के नाम पर, बेटरमेंट लेवी के नाम पर, दूसरी टैक्सेज के नाम पर उस पर एक प्रकार से हमला किया है। लेकिन आप यह मान कर चलें कि जैसे सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि किसान का इससे इन्सेंटिव खत्म हो जायगा, उसकी क्रय-शक्ति खत्म हो जायगी और जिस अन्न समस्या को लेकर राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे देश के अंदर त्राहि-त्राहि मची है तो आपकी इस नीति और घोषणाओं के कारण समस्या और विकट बनती हुई जायगी।

केवल इतना ही नहीं, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आपके स्वयं के आंकड़ों के अनुसार जब कि आप मानकर चलते हैं कि राज्य को जितनी आय होती है उस आय का ४३ से ५० प्रतिशत भार किसान और पशुपालन करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है और दूसरी तरफ उस उद्योगपति से जिसको आप भिन्न-भिन्न प्रकार से रियायतें देने पर तुले हुए हैं और दे रहे हैं चाहे देवस्थान फंड को डाइवर्ट करके कर्जे के

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रूप में उद्योगपतियों को देने का विचार करके चल रहे हैं, उन उद्योगपतियों को, आप लगातार समाजवाद के नाम पर कन्सेशन पर कन्सेशन देकर चलते जा रहे हैं। सरकार की कुल आय कितनी है, कितना प्रतिशत उद्योगपति देते हैं ? उद्योगपति केवल १.०८ प्रतिशत आय का देते हैं। वे सरकार के प्रकोप का भाजन नहीं बनते, सरकार उनको राहत देती है लेकिन ४३ से ५० प्रतिशत आय देने वाले किसान और मवेशी पालने वाले व्यक्ति सरकार के कोप का भाजन बनते हैं। आज आप मवेशी बेचने पर ५ प्रतिशत सेल्स-टैक्स लगाना चाहते हैं। पिछले सत्र के अंदर जब यह प्रश्न आया था, इस प्रकार का विधेयक आया था उस पर विरोध किया गया था। विरोध करने के बाद इस टैक्स को वापस लिया गया था केवल यह मानकर कि इससे पशुपालन करने वाले पर प्रभाव पड़ेगा और अन्य प्रदेश जो आस-पास लगे हुए हैं जहां पशुओं के मेले लगते हैं उनके मुकाबले में राजस्थान के पशुओं की स्थिति खराब होगी और इसलिए उस टैक्स को वापस ले लिया था। लेकिन आज सरकार को एक प्रकार से यह कहने में गर्व होता है, वह मानती है कि हम बहुमत में नहीं आये तो भी क्या है ? सरकार तो बनायेंगे ही। बहुमत प्राप्त करने के लिए सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इस प्रकार की कल्पना सरकार के दिमाग में बैठ गई है। उस कल्पना का परिणाम है कि राजस्थान की ८० प्रतिशत आबादी किसान की और मवेशियों के पालने वाले व्यक्तियों की अवहेलना करके उद्योगपतियों का सरकार पालन करना चाहती है।

मैं सरकार से केवल यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो टैक्सेज किसान और पशुपालक पर लगाए गए हैं, सरकार को जल्दी वापस लेने चाहियें।

आज आपने मनोरंजन-कर लगाया। आपने कहा कि ५० पैसे तक आपने माफ किया है। मुझे मालूम नहीं कि राजस्थान में कोई ऐसा सिनेमा भी है जहां ५० पैसे का टिकट हो लेकिन वित्त मंत्री ने उन पर टैक्स लगाकर जो गरीबों का एकमात्र मनोरंजन का साधन है उस पर भार लगाया है। इस टैक्स के कारण भी सारी जनता पर प्रभाव पड़ेगा। आज बड़े आदमियों के लिए जयपुर मे और बड़े-बड़े शहरों में क्लब मौजूद हैं जहां वे ताश खेलते हैं, जहां जुआ खेलते हैं लेकिन कानून के अंदर वह जुआ नहीं कहलाएगा। बड़े से बड़े बेट्स लगाये जाते हैं, वहां जाकर वे लोग मनोरंजन करते हैं लेकिन मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना मन बहलाने के लिए सिनेमा में जाता है तो आपने उस पर टैक्स लगाया। आपको उसी सिद्धांत पर जिस सिद्धान्त पर टैक्स लगाना चाहते हैं, वापस लेना चाहिए।

आपने किसान पर प्रहार करने के लिए और तर्कों के साथ-साथ यह तर्क भी लगाया है कि इन सिंचाई-सुविधाओं के कारण राज्य सरकार पर साढ़े तीन करोड़ सालाना का नुक्सान आता है। आपने किसान पर टैक्स डाल दिया, लेकिन उस किसान को दोष क्यों देते हैं ? योजना की आड़ के अन्दर जो पैसे के साथ खिलवाड़ किया जाता है उस पर सोचिए। आज माइनर इर्रीगेशन के साधन हैं राजस्थान में, आज उनका रिटर्न क्या है ? उनको कायम करते हुए कितने साल हो गए ? आज १५-१५, २०-२० साल के बाद भी क्या वे कॉमर्शियल हो गये ? रिटर्न्स देना प्रारंभ कर दिया ? आज स्थिति यह है कि जो माइनर इर्रीगेशन हैं धीरे-धीरे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नॉन-कार्मशियल होते चले जा रहे हैं। ए. जी. बार-बार आपत्तियां उठाते हैं। यह सरकार यह नहीं प्रयास करती कि नॉन-कॉमर्शियल रिटर्न्स बढ़ रहे हैं उनको कॉमर्शियल किस प्रकार से बनाया जाय? किन-किन कारणों से ये गड़बड़ियां हो रही हैं, इसके लिये कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, प्लान डिफेक्टिव हों तो कौन जिम्मेदार हैं? यह सरकार विचार नहीं करना चाहती। सरकार तो केवल ए. जी. की निगाह से बचने के लिये, ऑडिट ऑब्जेक्शन्स न हों उससे बचने के लिये धीरे-धीरे मीडियम इर्रीगेशन वर्क्स को कॉर्मशियल से नॉन-कॉर्मशियल में करती है, खारी, माची आदि इन सात-आठ मीडियम इर्रीगेशन योजनाओं को नॉन-कॉर्मशियल में डाल दिया गया। क्या इसी कार्यकुशलता के आधार पर सरकार एक उस प्रकार का जामा पहनना चाहती है कि हम प्रगतिशील हैं, हम राजस्थान को आगे लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ये कमियां हैं और उनको इन कमियों के कारणों को मालूम करना पड़ेगा, उनको उन तथ्यों की खोज करनी पड़ेगी और जो दोषी है इसके लिये उनको दण्ड देना पड़ेगा और कमियों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है उन कमियों को पूरा किया जाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं एक और भी आश्चर्यजनक और किस प्रकार से यह सरकार रुपयों को बर्बाद कर रही है, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माही प्रोजेक्ट के नाम पर राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सोचता हूं राजस्थान में तो क्या हिन्दुस्तान में ऐसा दृष्टांत नहीं मिल सकता। माही प्रोजेक्ट, मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, काफी अर्सा हुआ सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के लिये पार्टी डली हुई पड़ी है। सरकार उस पर दस करोड़ रुपयों का खर्चा कर चुकी है। इसका फायदा किसको होने वाला है?. राजस्थान के मुकाबले गुजरात सरकार को इसका अधिक फायदा होने वाला है। यदि एक एकड़ में हम सिंचाई करेंगे तो गुजरात वाले ढ़ाई एकड़ में सिंचाई करेंगे। दस करोड़ रुपये सर्वे और इन्वेस्टिगेशन पर खर्च कर दिया गया। एक सुपरिन्टेन्डिङ्ग इन्जीनियर, तीन एक्स. इएन. १५-१६ ए. इएन. और दूसरी बड़ी फौज माही प्रोजेक्ट के नाम से डाली हुई है। लेकिन गुजरात की सरकार को जो इसके लिये शेयर देना चाहिये गुजरात सरकार ने एक पैसा भी शेयर का राजस्थान सरकार को नहीं दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माही प्रोजेक्ट को क्या प्लानिंग कमीशन ने एप्रूव कर दिया? उपाध्यक्ष महोदय, वह योजना जिसको प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार नहीं किया हो, गुजरात जिसको इसका शेयर देना चाहिये वह नहीं दे रहा हो, वह योजना सन् ६२ से लेकर आज तक राजस्थान की जनता की छाती पर थोपी जा रही है। इस योजना पर कितना खर्चा किया? इसमें सबसे बड़ी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय राष्ट्रपति शासन राजस्थान में था और उनकी सलाह के लिये एडवाइजर्स राजस्थान में आये हुवे थे तो १४ अप्रेल को उन एडवाइजर्स ने माही प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में यह निर्णय लेकर क्योंकि इसके लिये फण्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गुजरात सरकार अपना शेयर नहीं दे रही है और प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये योजनाएं एप्रूव्ड नहीं हैं इसलिये इस योजना को ड्रॉप कर देना चाहिये—एडवाइजर्स ने यह निर्णय लेकर सरकार को कन्वे किया। सरकार ने यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आदेश २९ अप्रेल को दिये कि ३० जून तक सारे प्रोजेक्ट को खत्म करके वाइन्ड-अप कर देना चाहिये। २८-२९ अप्रेल को राजस्थान सरकार ने एडवाइजर्स की सलाह पर इसको वाइन्ड-अप करने के ऑर्डर्स प्रसारित किये लेकिन ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, यह तारीख वही थी जिस रोज नया मंत्रि-मण्डल अपने रूप में आया और सिंचाई मंत्रीजी ने सिंचाई मंत्री के नाते शपथ ली और उनके निर्वाचन क्षेत्र का माही क्षेत्र से संबंध आता है. उन्होंने शपथ लेते ही बिना जांच किये कि इसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या हैं, क्या स्थिति होगी इससे, उन्होंने तत्काल ऑर्डर्स किये कि सलाहकारों ने जो ऑर्डर्स प्रसारित किये हैं उनको अबेयेन्स में रखा जाय। वे अबेयेन्स में डाल दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता से करोड़ों रुपयों को लेकर खिलवाड़ करने की क्या आवश्यकता है? केवल इसलिये कि अमुक मंत्री के क्षेत्र में वह आता है, अमुक मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र मे उस क्षेत्र का संबंध है। उस क्षेत्र के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हुवा। जब तक गुजरात सरकार अपना शेयर नहीं देती, प्लानिंग कमीशन इसको एप्रूव नहीं करता, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट चल नहीं सकता केवल वहां के लोगों को धोखा देना होगा कि माही डेम बनेगा, इसको चलाया जायगा, चिंता मत करो। यह गलतफहमी पहुँचाने के लिए यह सारी कार्यवाही की गई है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। समय का कोई निर्धारण है क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप चिंता मत करिये।

श्री खेतसिंह : लीडर की तरफ से बोल रहे हैं। जैसे स्वतन्त्र पार्टी की ओर से बाढ़दार साहब बोल रहे थे। जनसंघ को कितना समय दे रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो किसी दल का नेता है उसको ज्यादा समय दिया जावेगा। जो पार्टी की ओर से, दल की ओर से बोलते हैं उनको आधा घंटा दिया जावेगा। गोयल साहब अपना भाषण पांच मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठीक है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जिन मुद्दों और प्रश्नों को लेकर विधानसभा में आते हैं उनको हम फिर सदन के सामने नहीं रख सकेंगे। पार्टी को समय एलाटेड है। जितने माननीय सदस्य बोलते हैं उस समय के बाद जितना समय बच रहता है उसका वे उपयोग करेंगे। यदि इस प्रकार आप रोकेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कुल २० घन्टे का टाइम बनता है। आधा २ सब पार्टी और दलों को डिवाइड होता है तो १॥ घंटा। आधा घन्टा दिया है। आगे बोलेंगे तो डिडक्ट करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माही प्रोजेक्ट के बारे में करोड़ों रुपयों का खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न मैं राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के बारे में रखना चाहता हूं। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट कुल १८४ करोड़ रुपये का था। ५० करोड़ रुपया लगभग अभी तक इस योजना पर खर्च हो चुका है। फोर्थ फाइव-ईयर प्लान में ३० करोड़ रुपयों का प्रोविजन इस प्रोजेक्ट के लिये रखा गया था और इस साल केवल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

३ करोड़ रुपया प्राप्त होने वाला है। मैं निवेदन करूं कि ३ करोड़ में से १।। करोड़ रुपया तो ब्याज का चला जावेगा और बाकी बचा १।। करोड़ रुपया वह एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्च हो जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं। आज राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर जो बड़े-बड़े हाथी बैठा रखे हैं, तीन भागों में केनाल प्रोजेक्ट को बांटा है उसकी जरूरत क्या है ? आज राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल बोर्ड मौजूद है, फाइनेन्शियल एडवाइजर्स मौजूद हैं, चीफ इन्जीनियर मौजूद है। इस प्रकार यह प्रोजेक्ट तीन भागों में बांटा हुआ है। समझ में आ सकता है कि चीफ इन्जीनियर का स्टाफ वहां मौजूद होना चाहिये, काम के लिये वहां मौजूद होना चाहिये लेकिन राजस्थान केनाल बोर्ड जिसके अन्दर चेयरमेन हैं श्री यादव मोहन। यादव मोहनजी इसके चेयरमेन और एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तीन हजार रुपया महीना लगभग उनको रकम मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। एक आई० सी० एस० ऑफिसर मौजूद है यहां, आप डिप्टी सेक्रेटरी ग्रेड के हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। फिर इनकी उम्र–चेयरमेन की ६० साल की है और करीब इतनी ही डिप्टी सेक्रेटरी की है। सेक्रेटरी साहब के तो काम करते समय बुढ़ापे के कारण हाथ कांपते हैं। पर आज उनको यह सरकार न जाने क्यों बिठाये हुए है। फिर दूसरे सेक्रेटरियों, असिस्टेन्ट सेक्रेटरियों की तो पूरी फौज की फौज मौजूद है।

ठीक है, वह समय हो सकता था जब पंजाब के साथ झगड़ा चल रहा था केनाल बोर्ड का। तब इतने भारी भरकम स्टॉफ की आवश्यकता समझ में भी आ सकती थी। पर चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के द्वारा जैसे काम चल रहा है उसी तरह इसका भी निपटारा किया जा सकता था। पर आज जब वह फीडर कम्प्लीट हो चुका विशेष प्रश्न कुछ मौजूद नहीं रह गया है तो फिर आज यह लाखों रुपया व्यर्थ का खर्च करना क्या अर्थ रखता है ?

एक तरफ दो-दो रिटायर्ड व्यक्तियों को ऊंची-ऊंची तनख्वाहों में बिठाया जा रहा है। फिर डिप्टी सेक्रेटरी सुमेरसिंह के लिये तो निवेदन करूंगा कि यह सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर ग्रेड का व्यक्ति है तो आज यदि कोई यहां का इन्जीनियर इस पोस्ट पर लगाया जाता तो राजस्थान सरकार को अपने शिड्यूल के अनुसार इनके जितनी भारी तनख्वाह नहीं देनी पड़ती कुल अन्दाज केवल डेढ़ हजार देना पड़ता। पर आज यह सरकार इन सेक्रेटरी महोदय को, जिनका कम्पलसरी रिटायरमेन्ट उत्तर प्रदेश से किया गया उनको दो हजार रुपया महीना दे रही है।

श्री खेतसिंह : आप पुरानी बातें कह रहे हैं। आज कल तो भीमसिंह हैं सेक्रेटरी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज इन सारे प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। पर आज सरकार योजनाओं के नाम पर इधर तो जनता पर नये-नये भारी-भारी टैक्स लगाकर उसका शोषण करती जा रही है और उधर इन लोगों पर अनापशनाप व्यर्थ का खर्च करती है और कुछ विचार नहीं करती।

वित्त मंत्री ने कुछ सुझाव दिये हैं कि हमने ए०ईएन० और एक्स०ईएन० इनको कम किया है। पर इस सम्बन्ध में भी एक केस रखना चाहता हूं सदन के सामने।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बनाने के लिये नीचे से अपग्रेड करते हैं। इसके लिये एक कमेटी होती है जो उनके रेकार्ड वगैरह को स्क्रीनिंग करके अपनी सिफारिश करती है और उसके हिसाब से सरकार अपग्रेड करके ये पद भरती है। उनकी रिकमण्डेशन के आधार पर प्रोमोशन दिये जाते हैं। पर आज लगभग तीन-चार सालों से बिना किसी डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी की सिफारिश के लगभग सात-आठ व्यक्तियों को सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बना चुकी है।

एक तो अभी-अभी का किस्सा है। २८-१-६७ की बात है डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी के सामने प्रोमोशन देने का सवाल आया। लोगों को कॉल किया गया। रेकार्ड को स्क्रीन किया गया। पर स्क्रीनिंग के समय दो व्यक्ति थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी खत्म कर रहा हूं। वे दो व्यक्ति थे श्री माथुर और दूसरे श्री जी०एस० गुरम। श्री माथुर का रेकार्ड था नहीं, पर श्री गुरम का रेकार्ड मौजूद था। पर उस रेकार्ड में उनके लिये काफी एडवर्स रिमार्क्स थे और वे भी एक साल के नहीं, कई सालों के। ६२-६३, ६३-६४, ६४-६५, ६५-६६ के पांचों सालों के लगातार एडवर्स रिमार्क्स मौजूद थे। इन रिमार्क्स पर श्री गुरम ने अपना रिप्रेजेन्टेशन पेश किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप इन सब मसलों पर कट मोशन्स के समय फरमा दें। इस समय तो आपका समय खत्म हो गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दो मिनिट में खत्म कर दूंगा। श्री गुरुचरणसिंह एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं राजस्थान केनाल पर उन्होंने श्री गुरम का एपोइन्टमेन्ट नहीं किया, कई वक्त तक इनको सरप्लस रखा और चीफ इन्जीनियर ने भी इन रिमार्क्स की वजह से उनका पोस्टिंग नहीं किया। पर आप ताज्जुब करेंगे कि डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी द्वारा इनके रिप्रेजेन्टेशन पर कोई फैसला नहीं दिया गया, वे एडवर्स रिमार्क्स उनकी सर्विस बुक पर वैसे के वैसे मौजूद हैं। रिप्रेजेन्टेशन करने पर भी ऊपर के सभी इन्जीनियरों ने, अधिकारियों ने अपनी वही राय फिर लिख दी कि यह व्यक्ति प्रोमोशन के लायक नहीं है, ये रिमार्क्स उचित हैं, पर इन सब बातों को चीफ सेक्रेट्री के पास नहीं भेजा गया और इनको प्रोमोशन दे दिया गया। दो पोस्टें जो खाली थीं, उनमें एक इनको लेकर भर ली गई और दूसरी अभी भी खाली है।

तो वित्त मन्त्रीजी, आप इन केसों को तरफ भी देखें। केवल इस तरह के रिट्रेन्चमेन्ट से ही काम नहीं चलेगा। इस तरह के प्रोमोशन के पीछे क्या-क्या होता है और जो डिजर्विंग लोग हैं उनके साथ कितनी ज्यादती होती है और इस तरह के लोगों को ऊपर ले लिया जाता है इन सबका निराकरण अगर आप नहीं करेंगे तो कोई एफीशियेन्सी सर्विस क्लास से आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिये।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में इतना ही निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री इन मामलों को देखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत् मन्त्रीजी !

(४.२५ म. प.)

दिल्ली-अलवर विद्युत् लाइन के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत् मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने २५-६-६७ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिस तथ्य का, लाइन का उल्लेख किया था यानी राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल दिल्ली से अलवर तक बिजली लाने को अनइकोनोमिक कह कर इस पर आवश्यक धनराशि लगाने को तैयार नहीं है, ऐसा जो कहा था मैंने तब भी निवेदन किया था कि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है। अब उसी चीज को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

इस क्रम में वास्तविकता यह है कि गत तीन-चार सालों से अनावृष्टि के कारण चम्बल क्षेत्र में विद्युत् के कम उत्पादन से जो संकट उत्पन्न हुआ उससे राहत पाने के लिये राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने केन्द्रीय सिंचाई मन्त्रालय और केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग से अनेकों बार वार्तालाप की और अन्ततोगत्वा दिसम्बर, १९६६ में यह निश्चित किया गया कि अप्रेल-मई, १९६७ में दिल्ली में चालू होने वाले इन्द्रप्रस्थ थर्मल स्टेशन से २० मेगावाट पॉवर राजस्थान को दी जा सकती है, यदि राजस्थान एक लाइन तैयार करले। इस प्रकार से प्राप्त शक्ति के उपयोग का लक्ष्य प्रारम्भ से ही चम्बल क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिए था। अर्थात् संक्षेप में यह योजना इस प्रकार की थी कि दिल्ली से अलवर तक १३२ के० वी० की एक प्रसारण लाइन डाल कर दिल्ली से जयपुर जो चम्बल क्षेत्र से जुड़ा हुआ था बिजली लाई जा सके क्योंकि जयपुर से अलवर की लाइन पहले से ही स्वीकृत है और उस कार्य को और भी शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जा सकता था। सदन की सूचनार्थ यह यहां बतलाना अप्रासंगिक न होगा कि चम्बल स्टेज २ में जयपुर-अलवर प्रसारण लाइन पहले से ही चम्बल सेकिण्ड योजना में स्वीकृत है और इसका कार्य प्रगति पर है।

कहने का आशय यह है कि इस लाइन का लक्ष्य अलवर या भरतपुर क्षेत्र को अतिरिक्त बिजली देने का कतई नहीं था जैसी कि माननीय सदस्यों की धारणा प्रतीत होती है।

पूर्ण प्रयत्न के बाद केन्द्रीय सरकार से इस योजना की स्वीकृति ली गई और शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य की पूर्ति हेतु एक डिविजन और बाद में एक सर्किल की स्थापना की गई। अथक परिश्रम से इस लाइन का सर्वेक्षण संपादित किया गया और सर्वेक्षण रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। साथ ही आवश्यक सामग्री को जुटाने का भी प्रयत्न किया गया। किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधिक प्रगति सम्भव नहीं हो सकी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए यह मानना कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल इस कार्य को अनइकोनोमिक समझ कर छोड़ देना चाहती है, यह कहना ठीक नहीं होगा।

वास्तविक तथ्य यह है कि अर्थाभाव के कारण इस समय इस कार्य को प्रगति पर रखना सम्भव नहीं हो सका है। जैसे ही इस कार्य के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी यह कार्य पुनः प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जावेगा।

धनराशि प्राप्त करने के लिये प्रयत्न बराबर जारी है और राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल एवं सरकार इसके लिए अपने स्तर पर पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं।

इस क्रम में निम्नलिखित तथ्य भी सामने लाये जा रहे हैं:—

(१) प्रारम्भ में इस लाइन पर केवल १४० लाख रुपये खर्च का अनुमान था। बाद

(श्री हरिदेव जोशी)

में यह मालूम होने पर कि जो खम्भे पंजाब लाइन के लिये डाले जावेंगे उनमें से कुछ दलदलीय क्षेत्र में से गुजरेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन ठीक करने के लिये कैपेसिटर भी लगाने होंगे। इसका अनुमानतः व्यय १६० लाख रुपये तक पहुँचा।

(२) इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि पंजाब विद्युत् मंडल दिल्ली-बहादुरपुर सेक्शन को २२० के. वी. लाइन द्वारा कनेक्ट कर दे जहां पर जयपुर-अलवर–दिल्ली लाइन जोड़ी जा सके। किन्तु चूंकि पंजाब के द्वारा इस कार्य को दिसम्बर, ६७ तक सम्पन्न करना सम्भव नहीं था इसी वजह से राजस्थान को २० मेगावाट के स्थान पर केवल ८ मेगावाट पावर मिलने की सम्भावना रह गई। क्योंकि इस परिस्थिति में बजाय १३२ के. वी. सर्किट के दिल्ली के केवल ३३ के. वी. सर्किट द्वारा ही विद्युत् प्रसारण राजस्थान की लाइन के छोर तक हो सकता था।

(३) इस लाइन का करीब आधा भाग हरियाणा राज्य की सीमा में से गुजरता है जो हरियाणा विद्युत् मण्डल को ही पूरा करना था। उन्होंने अनेकों बार लिखने पर भी कोई तत्परता नहीं दिखाई और न ही हमारे द्वारा उनके क्षेत्र में काम किया जाना मन्जूर किया।

जहां तक अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रश्न है, प्रथम तो जैसा ऊपर लिखा गया है इस लाइन से इस क्षेत्र को कोई तत्कालीन लाभ नहीं पहुँचने वाला था। दूसरे अलवर की विद्युत् स्थिति को सुधारने के लिये निम्न-लिखित प्रयत्न किये जा रहे हैं:—

(१) पंजाब से तावड़ू सब-स्टेशन द्वारा लगभग ८०० किलोवाट बिजली इस समय भी ली जा रही है।

(२) नारनौल क्षेत्र से भी बिजली लेने के पूर्ण प्रयत्न जारी हैं और अलवर के करीब १६ ग्रामों में विद्युत् कार्य सम्पूर्ण किया जा चुका है और उन्हें शीघ्र ही बिजली प्राप्त होने की आशा है।

(३) चम्बल स्टेज २ में अलवर और भरतपुर क्षेत्र को चम्बल क्षेत्र से जोड़ने के लिये जयपुर-अलवर-भरतपुर प्रसारण लाइन पहले से ही स्वीकृत है और इस पर राणा प्रतापसागर कार्यालय द्वारा कार्य हो रहा है। वर्ष १९६८ तक इस कार्य के पूर्ण होने की आशा है। इस कार्य के पूर्ण होने पर इस क्षेत्र में हाइडल बिजली प्राप्त हो सकेगी।

वर्तमान स्थिति में अलवर में करीब २.३२ मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता है जो अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता एवं प्राप्ति के अनुपात से कहीं अधिक है। इससे अधिक उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर प्रयत्न किया जा रहा है। तारीख ११ को सम्भवतः डॉ० के० एल० राव से इसी संबंध में मिलकर जो भी प्रयत्न हम से हो सकेंगे उनको करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के स्टेटमेंट पर मुझे यह कहना है कि यह जो लाइन मन्जूर हुई १३२ के. वी. की दिल्ली से जयपुर तक दिलाने के लिये यह अलवर होती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुई ही जयपुर तक इसलिये हुई थी कि इस सारे सिस्टम से भाखरा या चम्बल को अलवर और भरतपुर इन दोनों जिलों को मुस्तस्ना रखा गया था और इधर और उधर पड़ने वाले जिले भाखरा से या चम्बल से कनेक्ट हो गये थे। क्योंकि इस समय जयपुर से भाखरा और चम्बल दोनों कनेक्टेड हैं इसलिये जहां पर भी कोई कमी होती है यदि चम्बल में कमी हो जाये तो भाखरा से बिजली वहां जारी रहती है और यदि भाखरा में कमी हो जाये तो चम्बल से कवर होती है। इस दृष्टिकोण से, क्योंकि अलवर और भरतपुर चम्बल से फिट नहीं हो सके, राणा प्रताप-सागर से फिट होने की बात है लेकिन वहां पानी की कमी कब पूरी होगी और वहां की बिजली पर पहले ही लोड फैक्टर बहुत ही हो गया है, फिर बिजली बच सकेगी या नहीं यह भी अनिश्चित है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री से भी बातचीत हुई थी इस सम्बन्ध में और उन्होंने आश्वासन भी दिलाया था कि वे प्रयत्न करेंगे कि अलवर को दिल्ली सिस्टम से जोड़ दें ताकि अलवर को बिजली दी जा सके।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में जब सबसे पहले भाखरा से बिजली दी गई तो क्योंकि अलवर बोर्डर पर पड़ता है तो सबसे पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अलवर को मौका दिया था कि अलवर जिले को भाखरा से जोड़ दिया जाय। लेकिन क्योंकि राजस्थान सरकार राणा प्रतापसागर स्कीम को मन्जूर करवाने में इन्टरैस्टेड थी इसलिये अलवर और भरतपुर को हाइडल पॉवर देना मुहमल करके राणा प्रतापसागर स्कीम से जोड़ कर स्कीम को मन्जूर करवाया गया था वर्ना १९५४-५५ में ही हाइडल पॉवर से अलवर कनेक्ट हो जाता। अलवर को थर्ड फाइव-ईयर प्लान में हाइडल पॉवर दे दिया जायगा ऐसा पहले फेज्ड प्रोग्राम था लेकिन गांधीसागर से पानी नहीं आने से यह काम पूरा नहीं हुआ और ट्रान्समिशन लाइन भी जो काफी पहले आ जानी चाहिये थी वह गवर्नमेंट ने पीछे कर दी। तो इस पृष्ठभूमि में इस स्कीम को मन्जूर किया गया और डॉक्टर के० एल० राव आये उन्होंने यह घोषणा की और मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने जो घोषणा की थी उसमें यह भी ऑफर दी थी कि २ करोड़ रुपये तक की राशि इस कार्य के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से दिला देंगे और उन्होंने युद्धस्तर पर इस लाइन को खिचाने के लिए कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस लाइन का कार्य जनवरी, १९६७ में शुरू हो गया और एक सर्किल खोल दिया गया, डिविजन्स खोल दिए गए जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है और कार्य शुरू हो गया लेकिन फिर एकदम एडवाइजर्स की रिजिम आने से पहले ही जो माननीय मन्त्री महोदय पहले थे उन्होंने राजस्थान विद्युत् मण्डल के खुद चेयरमेन के ऑर्डर्स से इस काम को रोक दिया। उपाध्यक्ष महोदय, चेयरमेन को कोई अधिकार नहीं था इस तरीके से काम को रोकने का। उनको गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ अपने आप इस काम को रोकने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इर्रेगुलर तरीके से उसको रोका गया और बाद में चीफ सेक्रेटरी से सैंक्शन ली और इस तरह से अब उस काम की जो प्रगति हुई थी, जिस काम को जनवरी में शुरू किया गया, जिसके लिए ऑफिसर्स अपॉइन्ट हो गए थे, मेटीरियल जिसका जुटाया जा रहा था उस काम को एकदम से बीच में ड्रॉप कर दिया गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि हमारे अलवर जिले का विकास बिजली के कारण बिल्कुल रुका पड़ा है। यह सदन जानता है उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लिए एक टैक्सटाइल मिल मन्जूर हुई थी। उसको जे० के० इन्डस्ट्रीज वाले जो कि कानपुर के बड़े उद्योगपति हैं उनके नाम लाइसेन्स था और वह इस मिल को इस कारण नहीं लगा पाये कि वक्त पर उनको बिजली नहीं मिल सकी। जो पहले भी उद्योग खोले गये थे वे बन्द हो गये हैं और आज कोई भी उद्योगपति दूसरे उद्योग नहीं खोल सकता जब तक कि पॉवर की श्योरिटी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दिल्ली से बिजली आने वाली थी जैसा कि विद्युत् मंत्री ने कहा कि चम्बल से मिलने वाली थी और अलवर को मिलने वाली थी इसमें हिसाबी बातचीत है। एडजस्टमेन्ट की बात है। प्रेक्टिस में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं नहीं समझता कि अलवर ने ऐसा क्या कसूर किया है कि उधर की बिजली मिलने के बाद उधर को बिजली नहीं दी जाती और वह कहीं आगे ले जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर यह स्कीम मन्जूर होती है तो इससे सारे राजस्थान को फायदा है। उसमें उधर का हिस्सा निकल जायेगा, जयपुर तक वह आयेगी तो चम्बल का जो भाखरा पर बोझा है वह हट सकेगा और राजस्थान में यह कमी पूरी हो सकेगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को जो रोक दिया गया है और इस कारण रोक दिया गया है कि अर्थाभाव की बात मंत्रीजी ने कही मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको इस काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपने इस एरिया के लिए जितना भी पैसा रखा है करीब ७ करोड़ ७३ लाख रुपया आपने पॉवर, इर्रीगेशन के लिए रखा है आप इसका एडजस्टमेन्ट कीजिए। आखिर बिजली का एक डेवलपमेंट बोर्ड है। राणा प्रतापसागर में से इसका प्रोवीजन कीजिए और यह योजना अर्थाभाव के कारण छूट जाये और आप इसको छोड़ दें या डिले कर दें यह नहीं होना चाहिए। मैं बार-बार इस सदन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस बात को कहता रहा हूं कि हमारे इधर का विकास बिजली नहीं होने के कारण हर क्षेत्र में पिछड़ा है। पर केपिटा एक्सपेंडीचर में टोटल ओवरहॉल अगर प्लान को देखें तो हम सारे राजस्थान में आज २२वें स्थान पर हैं। आपने अलवर को २२वें स्थान पर पहुंचा दिया है जब कि राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ था उस समय यह सातवें स्थान पर था। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन का आपका दृष्टिकोण होना चाहिये। राजस्थान के सम्पूर्ण विकास का दृष्टिकोण आपका होना चाहिये और इसी नाते मैं समझता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां पर मौजूद हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वास्तव में अलवर पिछड़ गया है और हाइडल पॉवर आने पर इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। आपके पहले जो विद्युत् मंत्री स्वर्गीय राजा हरिश्चन्द्र जी थे उन्होंने भी इस सदन में विद्युत् मंत्री के तौर पर यह आश्वासन दिया था कि यह रतनगढ़-जयपुर की लाइन खींचने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी इस अलवर की लाइन को दी जाएगी और अलवर की बिजली हाइडल से जोड़ी जायगी। उन्होंने थर्ड फाइव-ईयर प्लान के अन्त तक इस तरह की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। परन्तु कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं बारिश वगैरह की जिसकी वजह से उस बात को पूरा करना सम्भव नहीं हुआ लेकिन हम भी उस बात को नहीं कहते हैं। अब जब यह अपोर्चुनिटी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आई है, इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही हमें बिजली मिल सकती है। आप इसको प्रायोरिटी दीजिये और जो काम शुरू हो रहा था उसको दुबारा आप जारी कराइये और आप जो सैंट्रल गवर्नमेन्ट से बात करने जा रहे हैं उसके लिये तो धन्यवाद है और आप उसको आग्रह करके मंजूर कराइये और अगर वे मंजूर नहीं करें तो स्टेट प्लान से इसको एडजस्ट करिए लेकिन यह स्कीम पूरी होनी चाहिये।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत बोलने के लिए खड़ी हुई)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने जो स्थिति थी वह बता दी है इसके बाद ज्यादा चर्चा की गुन्जाइश नहीं रहती है। अब बजट पर वाद-विवाद होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : मैं दो मिनिट के अन्दर ही सुझाव देना चाहती हूं।

(श्री पी० के० चौधरी भी बोलने के लिये खड़े हुए)

मुझे इजाजत मिल गई है, पहले मैं बोल रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें, लम्बे चौड़े भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : भाषण की बात नहीं है, कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बिजली के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहती हूं कि जो जनरेटर लगा दिया गया है इसलिए दिल्ली में भाखरा से आने वाली पॉवर में अलवर के रास्ते नई लाइन लगाने का मेरा सुझाव है। जो मौजूदा रतनगढ़ लाइन चली आ रही है उससे ३० मेगावाट बिजली मिलने वाली है उसे यदि भाखरा से ला सकें तो हमारा काम पूरा हो जायेगा। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि २० मेगावाट की जगह केवल ८ मेगावाट ही हमारे लिये उपलब्ध होगी तो मैं समझती हूं कि यह चिन्ता की बात है। इसे ३० मेगावाट तक ला सकें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ३० मेगावाट जनरेट करने से बिजली की जो उत्पत्ति होगी उससे हमें ज्यादा बिजली मिलने की सम्भावना हो सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मौजूदा रतनगढ़ लाइन से ही बिजली लाई जाय।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिजली के सम्बन्ध में कॉल अटेन्शन नोटिस रखा गया, इसके सम्बन्ध में मैं भी कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। यह जो दिल्ली से बिजली लाई जा रही है इसकी लाइन पर करीब सवा करोड़ रुपया....

श्री उपाध्यक्ष : जितनी जानकारी देनी थी वह तो मंत्री महोदय ने दी। अब कोई नई बात हो तो आप कहिये। जो जानकारी मंत्री महोदय ने दी है वही ठीक है।

श्री पी० के० चौधरी : उससे कुछ ज्यादा ही दूंगा।

इस लाइन को बनाने के लिए, इस लाइन को तैयार करने के लिए जो टाइम फैक्टर आता है, उस टाइम फैक्टर के बाद

(श्री पी० के० चौधरी)

हमको जो बिजली मिलनी शुरू होगी इस लाइन के बनने के बाद तो उसके बाद तो हमारे यहां भी सप्लाई एडीक्वेट हो जायेगी। आज पॉवर के मामले में हमारी डिफिकल्टीज हैं वे विश्यूएलाइज हो जाएंगी। इसमें जो डिफिकल्टी आ रही है वह जमुना के बैंक को क्रोस करने की है। जमुना रिवर हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल है। जिस प्रकार हमने रतनगढ़—जयपुर लाइन को डिपार्टमेंटली कम्प्लीट कराया उसी तरह से इस लाइन पर भी काम किया जा सकता है। इस लाइन के मामले में हम कहते हैं कि जो हमारी टेरिटरी में आता है उस हिस्से का कंस्ट्रक्शन तो हम करेंगे और जो उनके हिस्से में आता है उसको वे पूरा करेंगे, लेकिन वह कितने दिनों में कम्प्लीट करेंगे उसकी टाइम लिमिट नहीं बताते हैं— साल भर में, छः महीने में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : साल भर में पूरा हो जाएगा।

श्री पी० के० चौधरी : दूसरी बात यह कि जमुना रिवर का टावर्स ऑफ फाउण्डेशन है उसका छः महीने में भी डिजाइन तैयार नहीं हुआ है किस प्रकार का टावर्स बनेगा, किस प्रकार का फाउण्डेशन होगा उसके बारे में अभी तक डिजाइन तैयार नहीं किया गया है। छः महीने तक तो पेपर वर्क ही चलता रहा और आज तक डिजाइन तैयार नहीं हो सका है। इसी प्रकार से देखा जाता है कि यह आपके जिम्मे छोड़ते हैं कि सेंट्रल पॉवर डिपार्टमेंट से पैसा नहीं आता है और इसके द्वारा बिजली आने में भी साल भर, सवा साल लग जाएगा। इन दो मीन टाइम, एक साल के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन ईज हो जाएगी, दो साल के बाद राणा प्रतापसागर से जो एटोमिक पॉवर आएगी तो उस एटोमिक पॉवर को हमको दिल्ली तक ले जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और यह पैसा दिल्ली के लोग खर्च करेंगे। आज इस लाइन को लगाने में सवा करोड़ रुपया तो हमारे अकाउण्ट में आ जाता है और साल भर के अन्दर पॉवर मिलती है उस समय जब कि हमारी पॉवर की पोजीशन ईज हो जाती है और दो साल के बाद जब पोजीशन दूसरी हो जाती है और उसके बाद १३२ या १२० के० वी० की लाइन दिल्ली वाले अपने खर्चे से बनायेंगे। इसलिए अगर इसी लाइन को दिल्ली वाले बना लें अभी से तो यह उनके लिए भी इकोनोमिक होगा या नहीं? आपने उस लाइन को पूरा करने के लिए सवा करोड़ रुपया खर्च कर दिया और दो साल के बाद इसी लाइन का कंस्ट्रक्शन दिल्ली वाले करेंगे और यहां से उनको पॉवर देने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम उचित समझते हैं कि इस लाइन का कंस्ट्रक्शन फिलहाल न किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत् मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो बातें कही हैं उनसे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा न हो जाय इसलिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्थिति यह है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट ने अथवा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पहले यह खर्चा करना आज जरूरी है अथवा नहीं है यह मान करके इसको स्टार्ट करने अथवा यह काम हाथ में लेने का नहीं सोचा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि चम्बल स्टेज २ का काम जयपुर से अलवर तक का काम और अलवर से दिल्ली तक का काम अलग-अलग स्टेज पर है। हम इसकी फैक्चुअल पोजीशन को देखें तो जयपुर से अलवर तक

(श्री हरिदेव जोशी)

का काम तो आज भी चालू है और वह उसी प्रकार से चल रहा है। अब रहा अलवर से लेकर दिल्ली तक की स्टेज को पूरा करने का सवाल तो इसमें तीन स्टेट्स आती हैं। हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट और राजस्थान स्टेट। हरियाणा स्टेट का यह आग्रह है कि अपने क्षेत्र में वही काम करेंगे। इसलिए जब तक वह एग्री नहीं करें और जब तक कोई टाइम लिमिट उनके द्वारा फिक्स नहीं हो हमारे लिए कहना सम्भव नहीं है कि अमुक काम अमुक समय पर पूरा हो जाएगा और अमुक दिन बिजली मिल जाएगी।

दूसरा प्रश्न अर्थ का है। जब तक गवर्नमेंट आॅफ इंडिया से डेढ़ करोड़ की मदद की बात स्पष्ट न हो तब तक उस डिविजन का काम चालू नहीं रखा जा सकता। यहां धारणा पैदा हुई है वह उस डिविजन को तोड़ने के कारण हुई है। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे ही उसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो जायगी एक डिविजन से दूसरे डिविजन में लाने में एक दिन का समय भी नहीं लगेगा। मैं अलवर के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एटोमिक पॉवर आवेगी उस समय दिल्ली वालों को बिजली की लाइन ले जाने के लिए कहा जाएगा इसलिए हम अभी जो लाइन को लाना चाहते हैं उसे नहीं लाना चाहते तो यह बात नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के कारण और अर्थाभाव के कारण है कि जिनके कारण हम यह नहीं कह सकते कि किस दिन हमें बिजली मिल सकेगी और कब बिजली मिल सकेगी और इसी कारण से उस डिविजन को तोड़ा है। जहां तक अलवर के अन्दर पॉवर की पोजीशन को ठीक करने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है तो इसके प्रति पहले से ही सरकार जागरुक है। इस स्कीम को राजस्थान गवर्नमेंट छोड़ रही हो इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री हरिप्रसाद (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिजली के मामले में एक दो मिनट के लिए मुझे भी कहना है। बिजली का मसला हमारे एरिया के लिए, जिला अलवर और भरतपुर के लिए ऐसा मसला है कि जिसे जिन्दगी और मौत का सवाल कह सकते हैं। मैं इस बात को बढ़ाकर नहीं कहना चाहता। लेकिन हर तरह से यह उस एरिया के लिए नम्बर एक की समस्या रही है। आपका आदेश यह था कि इस विषय पर भाषण वगैरह न दिये जायें, तो मैं भाषण वगैरह तो नहीं देता लेकिन एक बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन के अन्त में एक बात यह कही है कि अनुपात से अलवर का रेशयो जो है वह ऑल राजस्थान से कुछ ज्यादा है, शायद ऐसी बात कहें। मैं इसको समझता हूं कि यह हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए एक इन्सल्ट की बात है। सैंकड़ों करोड़ों के प्लान बनते हैं, जो भाखरा, चम्बल या राजस्थान कैनाल के और पिछले तीन प्लान बने हैं, उनमें सैंकड़ों करोड़ों का खर्चा हुआ उस जगह भी कोई कागज पैन्सिल लेकर नहीं बैठता है कि उन सब जगहों के अन्दर उनका कितना हिस्सा आता है, लेकिन अगर हमारे यहां सिर्फ विकास के काम में २-४ काम ज्यादा हो गये हैं तो जब-जब भी गवर्नमेंट जवाब देती है इस समस्या को लेकर तो हमेशा इन आंकड़ों को हमारे सामने लाकर पेश कर देती है कि आपके यहां तो एवरेज २-४५ आता है जब कि राजस्थान का एवरेज २-१० है। इस सम्बन्ध में रीजनेलिज्म का रूपक नहीं देना चाहिए,

(श्री हरिप्रसाद)

लेकिन जब-जब यह एवरेज का सवाल लाकर रखते हैं तो हमको विवश होना पड़ता है कि हम भी इस तरीके से सोचें कि आज राजस्थान में विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में कितना रुपया खर्च हुआ है और किस अनुपात में कहां-कहां पर खर्च किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि मैं इस चीज में नहीं पड़ना चाहता लेकिन एवरेज का सवाल किया जाता है और जब कागज पेन्सिल उठाकर फीगर कोट किये जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : विचारणीय विषय बिजली का है अलवर और जयपुर के बीच में, टैक्सेज़ एण्ड एक्स्पेन्डीचर का नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी चीज को लेकर कह रहा हूं। मंत्री महोदय ने फीगर कोट किये हैं कि एवरेज राजस्थान में कितने लेवल का है और अलवर के लिए कितना ज्यादा किया गया है तो ऐसी चीज कहने का मतलब यह होता है कि यह दूसरा सवाल है और हमारे दिमाग में भी यह सवाल उठता है कि राजस्थान में करोड़ों रुपये खर्च हुए और हमें उसका गर्व है और दुनियां में एक बड़ा एक्सपेरिमेन्ट किया है। इसका हमें गर्व होता है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हमारी स्टेट में हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम सारी स्टेट के नेशनल पॉइंट को लेकर चलते हैं तो उसमें एक छोटी सी चीज को लेकर हमें एवरेज निकाल कर देते हैं तो यह सोचना जरूरी हो जाता है कि सदन के अन्दर हम इस आवाज को उठावें कि इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये। प्लान के आंकड़े के जो समान आंकड़े देते हैं वे बिल्कुल इनसल्ट की तरह हैं। इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो मिनिट में अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में कोई चर्चा नहीं होगी। बजट पर सामान्य वाद-विवाद दुबारा शुरू होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब समय ५ मिनिट का रहा है और ५ बजे तक यह समय समाप्त हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : कई माननीय सदस्य २-४ मिनिट ही बोलना चाहते हैं। श्री अब्दुल हादी !

श्री अमीलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बिजली का मसला है और खास तौर से हमारे जिले से ताल्लुक रखता है...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। अब बजट पर विचार हो रहा है।

श्री अमीलाल यादव : ५ मिनिट का ही समय रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्य चर्चा के अन्दर ये सब मसले उठा सकते हैं।

श्री अमीलाल यादव : हमारे इलाके में जिसमें...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीलाल यादव : जब यह....

श्री उपाध्यक्ष : आप आदेशों का पालन करें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल हादी !

(४.५५ म. प.)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं। मगर मिनिस्टर साहब ने हमारे बाड़मेर जिले पर बजट में खास खयाल नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता हूं जो कि रेगिस्तानी इलाका है जहां पर न पीने का पानी है और न खाने को अनाज है। २-३ साल से बराबर वहां पर अकाल पड़ रहा है और गुजिश्ता साल में काफी भयंकर अकाल पड़ा है....

कई माननीय सदस्य : सुनाई नही देता है।

श्री अब्दुल हादी : जिसकी कि कुछ इन्तिहा नहीं। हमारे बाड़मेर जिले में भयंकर अकाल है। खास तौर से जिस इलाके से मै ताल्लुक रखता हूं उस इलाके में बहुत ही ज़बरदस्त फेमीन था। सरकार ने उस चौहटन तहसील में इस साल तीन सड़कों का काम शुरू किया था, जो काम तमाम खत्म हो चुका है। रामगढ़ से चौहटन की जो सड़क है उस सड़क पर १५ हजार मजदूर काम करते थे। उस सड़क का काम १९ मार्च को खत्म हो चुका है। धनाऊ से धोरीमना वाली सड़क का काम चल रहा था, वह काम २२ मार्च को खत्म हो चुका है। सेड़वा से बाखासर की सड़क का जो काम चल रहा था वह अप्रेल के आखिरी हफ्ते में खत्म हो चुका है। दूसरे इलाके में जो हमारे इलाके के प्रोजेक्ट की सड़कों का काम चल रहा था वह भी खत्म हो चुका है। ऐसी हालत में चौहटन तहसील में कुल ३३ हजार जो मजदूर काम करते थे वे बिल्कुल बेकार बैठे हैं। इसके सम्बन्ध में मिनिस्टर साहब को निवेदन करूंगा कि अभी तक उनका कोई इन्तजाम नहीं हो पाया है। अभी एक सड़क धोरीमना से बाखासर की मन्जूर हुई है उस पर ४ हजार मज़दूरों को रखा है। बाकी जो मजदूर गये उनका यह कह दिया गया कि हमारे पास जगह नहीं है और हमारे पास कोई काम नहीं है। अलावा इसके उस जिले में जो १७ काम फेमीन के चल रहे थे उनमें से ७ काम जो थे वे खत्म हो चुके हैं और करीबन ५०-६० हजार मज़दूर ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार बैठे है। इसलिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से खास तौर से निवेदन करूंगा और फेमीन मिनिस्टर साहब को भी निवेदन करूंगा कि यहां के लोगों को फेमीन की वजह से खाने-पीने का कोई चारा नहीं है इसलिए जल्दी से जल्दी सड़कों का काम शुरू करवाया जाय।

अलावा इसके हमारे यहां हमारे जिले में तीन तहसीलें जो हैं जिनमें खारा पानी है, जहां के लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। सरकार हर साल पानी की सुविधा के लिए करीबन रेलवे के जरिये ५० हजार रुपये खर्च करती है। इसलिए मेरी यह अर्ज है कि जहां पर मीठा पानी है वहां से खारे पानी के जो गांव हैं वहां पर नलों के जरिये पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें तो यह इन्तजाम हो सकता है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सदन का समय समाप्त हो रहा है इसलिए या तो आगे बढ़ा दिया जाय....

श्री अब्दुल हादी : पानी का....

श्री खेतसिंह : आप थोड़ी देर तसल्ली रखें। बहुत महत्व की बात आप कह रहे हैं, उनको सुनें।

Page No.106

श्री अब्दुल हादी : मेरा एक ऐसा जिला है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मवेशी बाड़मेर जिले में हैं। सरकार ने बड़ी-बड़ी स्कीम्स खोल रखी हैं, मगर मवेशियों के लिए कोई खास तवज्जह नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि अगर सरकार बाड़मेर जिले के मवेशियों के लिए खास तौर से इन्तजाम करे तो वहां के लोगों का मवेशियों पर काफी गुजारा हो सकता है।

दो साल बराबर अकाल होने की वजह से हमारे जिले में अनाज की बहुत भारी कमी है। लोगों को अनाज........

श्री श्रवणलाल : समय समाप्त हो गया है।

श्री अब्दुल हादी : बहुत कम मात्रा में मिलता है।

श्री श्रवणलाल : साहब समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अब्दुल हादी : मैं निवेदन करूं....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री अब्दुल हादी : किसान अनाज के लिए कितनी जद्दोजहद करता है, अनाज पैदा करता है........

श्री विजयसिंह : कस कर बोलिये।

श्री अब्दुल हादी : फिर भी उसको अनाज शहर के लोगों से कम मिलता है। एक तरफ गांव वालों को कम मिलता है और शहर वालों को ज्यादा मिलता है। मेरा निवेदन है कि शहर में जिस तरीके से अनाज दिया जाता है गांव में भी वैसे ही अनाज दिया जाय।

वास्तव में अबके मवेशियों पर जो कर लगाया गया है उसके सम्बन्ध में काफी साहबान बोल चुके हैं। मैं भी इसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह कर जो लगाया गया है, खास तौर पर........

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या भाषण दे रहे हैं ? समझ में नहीं आता है।

श्री खेतसिंह : बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।

श्री अब्दुल हादी : हमारे इलाके में यह खास शिकायत है कि जो पटवारी लोग हैं वे लोगों को काफी तंग करते हैं। खास तौर से जो म्यूटिशन फॉर्म भरे जाते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें क्या चीज है। आज दस-दस साल हो गये हैं लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनके फॉर्म वगैरह पास नहीं होते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे इलाके में लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और समझते नहीं हैं इसलिए आप इस सम्बन्ध में पंचायतों को, पंचायत समितियों को पूरे अख्तियारात दे दें ताकि वे काम को सम्भालें।

दूसरे मुझे खास शिकायत है कि जिस इलाके से ताल्लुक मैं रखता हूं वहां पर कुछ मुस्लिम आबादी है और दूसरे लोग हैं वे गरीब लोग हैं। वहां पर पुलिस के जुल्म-ज्यादती और रिश्वतखोरी ज्यादा है। खास तौर से जो सी० आई० डी० डिपार्टमेंट के लोग हैं वे हर गांव में जाते हैं और कहते हैं कि मैं सी० आई० डी० का ऑफिसर हूं, मुझे इतना रुपया दो। इस तरह से वह लोगों को बहुत तंग करते हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि हमारी सरकार एक कान्स्टेबल की रिपोर्ट को सही मान कर चलती है

(श्री अब्दुल हादी)

और इस तरह लोगों को तंग किया जाता है। मेरा निवेदन है कि वहां पर अच्छे ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर को लगाया जाय ताकि वहां का इन्तजाम माकूल हो।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ५ बज कर ५ मिनट पर बृहस्पतिवार दिनांक १-६-६७ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No.108

परिशिष्ट–१

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४३ का उत्तर देखिये)

तालिका

क. सं.	वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण जारी किया गया	ऋण का विवरण	ब्याज की दर	निर्गम मूल्य	ऋण की राशि	चुकाये जाने का वर्ष
१	२	३	४	५	६	७
					(अंक लाखों में)	
१.	१९६१–६२	४$\frac{१}{४}$ प्र. श. राजस्थान राज्य विकास ऋण	४$\frac{१}{४}$ प्र. श.	९९.५०	४४९.२०	१९७२
२.	१९६२–६३	४$\frac{१}{२}$,, ,,	४$\frac{१}{२}$,,	९९.५०	४६४.७४	१९७४
३.	१९६४–६५	४$\frac{३}{४}$,, ,,	४$\frac{३}{४}$,,	९९.५०	५२४.२०	१९७६
४.	१९६५–६६	५$\frac{१}{२}$,, ,,	५$\frac{१}{२}$,,	९९.००	५१३.६१	१९७७
५.	१९६६–६७	५$\frac{१}{२}$,, ,,	५$\frac{१}{२}$,,	९८.००	५०१.९८	१९७८
				योग....	२४८३.७३	

नोटः—सन् १९६३-६४ में राजस्थान सरकार ने स्वतन्त्ररूप से कोई सार्वजनिक ऋण नहीं लिया, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के लिये लिये गये मिश्रित (combined) ऋण में से राजस्थान सरकार को ५.०० करोड़ रुपये अपने हिस्से के ऋण के रूप में मिले थे। यह राशि उपरोक्त विवरण में दी गई राशियों के अतिरिक्त है।

परिशिष्ट–२

(समयाभाव के कारण प्रश्नकाल में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों को हाउसिंग सब्सिडी

१५४. श्री रावतराम (छापर) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रूरल एरिया में आबाद अनुसूचित जाति के लोगों को हाउसिंग सब्सिडी नहीं दी जाती ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) रूरल एरिया में रहने वाले अनुसूचित जातियों की हाउसिंग प्रोब्लम को हल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) देहाती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को गृह-निर्माण सहायतार्थ सन् १९६७-६८ के वित्तीय वर्ष में ५०,०००) रु. का प्रावधान रखा गया है।

ग्राम मूंडवा, जिला नागौर की जल-प्रदाय योजना

१५५. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम मूण्डवा, जिला नागौर में वाटर सप्लाई स्कीम मन्जूर हुई थी और जनसहयोग के रुपये जमा करवाये जाने के बावजूद भी यह कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया है; और कब तक यह कार्य चालू हो जायगा ?

उत्तर

जी नहीं। योजना मन्जूर नहीं हुई है, योजना बनाई जा रही है। योजना के बन जाने पर आगे कार्यवाही की जायेगी। जनसहयोग के रूप में धनराशि जमा हो चुकी है।

भरतपुर जिले में टीनों के कृषि कोटा का वितरण

१५६. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पिछले छः महीनों में भरतपुर जिले की टीनों का कृषि कोटा पंचायत समितियों को नहीं दिया जाकर सिविल सप्लाई में ट्रान्सफर कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कारण से अग्निपीड़ित किसानों तक को टीन नहीं मिली है ?

(३) क्या यह सही है कि जिले में जो टीन का कोटा प्राप्त था वह सब कुछ लोगों को काफी-काफी तादाद में वितरित कर दिया गया है ? पिछले छः महीनों में जिन व्यक्तियों को ५० टीन या उससे अधिक का परमिट दिया गया है, उनकी सूची

(श्री नत्थीसिंह)

मय उस उद्देश्य के जिसके लिए यह परमिट दिया गया है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रकार से टीन का परमिट जिनको मिला है उनमें से अनेकों ने इसे उक्त कार्य में काम में नहीं लिया और क्या इस बात की कोई जांच जिला रसद विभाग द्वारा की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है कि १५१६ टिन शीट्स का कोटा जो दिनांक १८-३-६७ को प्राप्त हुआ था वह दिनांक १-४-६७ को डीलर के स्टॉक को देखते हुए तथा गत एलॉटमेन्ट के न उठने की वजह से सिविल सप्लाई व इन्डस्ट्रीज को ट्रान्सफर किया गया।

(२) जी नहीं। कलेक्टोरेट, भरतपुर में टीन मिली। अग्निपीड़ितों की दरख्वास्तें प्राप्त हुई उन्हें तुरन्त टीन दी गई।

(३) जी नहीं। टीन वितरण सभी प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यकतानुसार की गई। ५० या इससे अधिक टीन केवल इण्डस्ट्रीज को उनकी आवश्यकता देखते हुए अधिकांशतः जिला उद्योग अधिकारी की सिफारिश पर दी गई जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट-३ देखिये)

(४) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि किसी टीन प्राप्तकर्त्ता ने इसका सही उपयोग नहीं किया। टीन देने से पूर्व ही एन्फोर्समेन्ट निरीक्षक अधिकारी से प्रार्थी की आवश्यकता की जांच करा ली जाती है तथा स्वयं जिला रसद अधिकारी ने भी मौके देखे हैं तथा मौके देख कर परमिट दी गई है।

परिशिष्ट–३

(कृपया प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिये)

नक्शा वितरण टिन शीट्स एलाटमेंट ट्रांसफर जिला परिषद् से सिविल इन्डस्ट्रीज कोटे में—माह अप्रेल, १९६७

नम्बर शुमार	नाम प्रार्थी	कार्य जिसमें चाही गई	नम्बर परमिट मय तारीख	तादाद टीन
१.	दी हिन्दुस्तान एस्बेस्टस सीमेन्ट प्रोडक्ट्स, भरतपुर	शेड के लिये	६/४०१ १-४-६७	३००
२.	भारत एस्बेस्टस सीमेन्ट प्रोडक्ट्स, गंगा मंदिर, भरतपुर	,,	६/४०४ १५-४-६७	७०
३.	भरतपुर जिला खादी ग्रामद्योग समिति, भरतपुर	,,	६/४१६ १८-४-६७	५०
४.	सरस्वती सेफ्टी फायर वर्क्स, लोहा बाजार, भरतपुर	,,	६/४४८ १-५-६७	५०
५.	खेमचन्द्र जैन, जैन इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	,,	३३/१६१८ ५-५-६७	७५
६.	भरतपुर ट्रेडिंग कम्पनी	,,	३३/१६२० ६-५-६७	५०
७.	लक्ष्मणप्रसाद पुत्र गोविन्द शरण, पुरोहित मोहल्ला, भरतपुर	,,	३३/१६३४ १२-५-६७	५०

लिस्ट वितरण टिन शीट्स एलाटमेंट—दिसम्बर, १९६७

१	२	३	४	५
१.	मनोहरलाल, पार्टनर राजस्थान जनरल इन्डस्ट्रीज	शेड के लिये	४४/५६५ १३-१२-६६	१५०
२.	सेन्ट्रल इंडिया मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि०, बेगन फैक्ट्री, भरतपुर	,,	५२/२५७१ २०-१२-६६	३००

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ३१ मई, १९६७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३	अन्तिम से १२	हाती हैं।	होती हैं।
१६	२	एलों	एलॉट
५०	शीर्षक	प्रंश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
५१	१२	हिन्डोला	हिन्डोलो
६२	६	हुवे हैं	हुये हैं
६५	७	१९६५ म	१९६५ में
७८	८	सरकार	सरकार के
८१	१२	बड़ा	बड़ी
९०	१६	मायनीय	माननीय
९९	१९	बढ़ सक	बढ़ सकें
९९	२४	कोशिश का	कोशिश की
१०४	अन्तिम से ७	आय-व्यक	आय-व्ययक
११९	११	सरकार ने	सरकार को
१६३	१६	समानेत्री	सभानेत्री
१७६	६	आदि	आदी
१८०	८	कन्सेशन	कन्सेशनल